लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 44, सोमवार, 15 मई, 1972/ 25 वैशाख, 1894 (शक)
No. 44, Monday, May 15, 1972/Vaisaka 25, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
823 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तदर्थ आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर अध्यापकों की सेवाओं का विनियमन	Regularisation of Services of P. G. Teachers appointed on ad hoc basis in Government School, Delhi	1—3
824 केन्द्रीय स्थानीय स्वायत्त शासन परिषद्	Central Council of Local Self Government	3—4
825 हिन्दुस्तान लेटैक्स, त्रिवेन्द्रम	Hindustan Latex, Trivandrum	4—7
826 देश में गैर-सरकारी मैडिकल कालेजों का खोला जाना	Setting up of Private Medical Colleges in the Country	7—10
827 गुरू नानक विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा छात्रवृत्तियों से वंचित करना	Depriving Guru Nanak University students of National Sports Talent Scholarship	10
829 राज्य खेल-कूद परिषदों द्वारा व्यय की गई धनराशि	Amount spent by State Sports Councils	10—12
832 चीनी मिलों का लाभ तथा उसमें गन्ना सप्लाई करने वालों का भाग	Profits of Sugar Mills and Share of Sugarcane Suppliers therein	12—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRTTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

Th sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
821	विज्ञान की शिक्षा का पुनर्गठन और प्रसार	Reorganisation and Expansion of Teaching of Science	18
822	राजस्थान में चम्बल नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over chambal river in Rajasthan	19
828	उड़ीसा में सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों सम्बन्धी योजना	Scheme for Marginal Farmers and Agricultrual Labour in Orissa	19
830	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवास समस्या को हल करने हेतु अपनाई गई विधि के बारे में विचार-विमर्श	Discussion on how Housing Problem in Delhi has been solved by D. D. A.	20
831	ग्रामीण आवास योजनाओं की प्रगति	Progress of Rural Housing schemes	20
833	राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता को स्वायत्त-शासी निकाय के रूप में बदला जाना	Conversion of National Library, Calcutta into an Autonomous body	20—21
834	दिल्ली में मिनी बसें चलाने के लिये परमिट	Permits for plying Mini Buses in Delhi	21
835	नलगोंडा (आंध्र प्रदेश) में कृषि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनायें	Prospects of increasing Agricultural Production in Nalgonda (Andhra Pradesh)	21—23
836	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं में पूंजी लगाना	Investment in Minor Irrigation scheme by Agriculture Refinance Corporation	23—24
837	दिल्ली में सीमेंट की चोर बाजारी	Black Marketing in cement in Delhi	24
838	उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 60 प्रतिशत चीनी के वितरण के लिये सांविधिक विनियम	Statutory Regulation for Distribution of 60% Sugar through Fair Price Shops	24
839	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा 'इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स' के संयुक्त ग्रंथालय का विभाजन	Division of Joint Library of Jawahar Lal Nehru University and I. C. W. A.	25
840	सस्ते और टिकाऊ मकानों के निर्माण की नई तकनीक	New Technique for Construction of Cheap and Durable Houses	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6003	स्वर्गीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी	Late Pt. Makhan Lal Chaturvedi	25—26

अता० प्र० संख्या US. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6004	बंगलौर में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का एक पृथक सर्किल खोला जाना	Creation of Archaeological circle of survey of India at Banglore	26
6005	संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में पंजाबी का शिक्षण	Teaching of Punjabi in Chandigarh U. T.	26—27
6006	विश्व पुस्तक मेले पर हुआ व्यय	Expenditure on World Book Fair	27
6007	केरल में संस्थानों की विज्ञान वैद्यशाला उपकरण देना	Science Laboratory Equipment to Institutions in Kerela	28
6009	नये केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना	Opening of New Central Schools	28—29
6010	बिहार के लिये विदेशी नसल के साँढ़ों तथा गायों की माँग	Demand of foreign breed bulls and cows for Bihar	29
6011	शिक्षा और रोजगार के लिये विदेश जाने वाले मेडीकल स्नातक	Medical Graduate going abroad for Education and Employment	29—31
6012	कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले जहाजों में स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशतता और सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन	Percentage of indigenous components in ships to be produced in Cochin shipyard and encouragement to ancillary industries	31
6013	वन्य जीवन को संरक्षण	Preservation of wild life	31—32
6014	कार्य के दिन चीनी की प्रतिशतता और गन्ने के लिए दिया गया मूल्य	Working days, percentage of recovery and price paid on account of sugarcane	32
6015	1970-71 के मौसम की समाप्ति पर और 30 अप्रैल, 1972 को गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि	Arrears to sugarcane growers at the end of 1970-71 season and on 30th April, 1972	32
6016	बंगला देश में बेकार खड़े भारतीय 'फ्लेग शिप'	Indian Flagship lying idle at Bangladesh.	32—33
6017	दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के चलते फिरते औषद्यालय	C. G. H. S. Mobile Dispensaries in Delhi.	33
6018	बहादुरगढ़, दिल्ली के लिए मास्टर प्लान	Master Plan of Bahadurgarh, Delhi	33
6019	प्रत्येक राज्य में उर्वरक की प्रति हैक्टेयर खपत	Consumption of Fertiliser per hectare, Statewise	34—35
6020	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेट, त्रिवेन्द्रम में हड़ताल	Strike in the Hindustan Latex Limited. Tivandrum	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6021	दिल्ली प्रशासन द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अध्यापकों की छटनी	Retrenchment of Teachers appointed on adhoc basis by Delhi Administration.	35—3
6022	पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन तथा बिक्री व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Printing and Issuing of Text Books	36—37
6023	खाद्यानों की खुदरा बिक्री को राज्यों द्वारा अपने अधिकार में लेना	Taking over of Retail Distribution of Foodgrains by States	37—38
6024	आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1972-73 वर्ष के लिये ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुन योजनाएं	Schemes under Crash Programme for Rural Employment submitted by Andhra Pradesh Government for 72—73,	38
6025	गया (बिहार) में नलकूप लगाना	Drilling of Tube-wells in Gaya, Bihar.	38—39
6226	बी० ए० तथा बी० एस० सी० डिग्री के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण	Vocational Training as part of Curriculam for B.A. and B.Sc. Degree	39
6027	बड़े पत्तनों के मजदूरों के लिए बौनस	Bonus to Workers at Major Ports	39—40
6028	केन्द्रीय विद्यालय कोटा में हुई परीक्षा में कदाचार	Mal-practices in Examination conducted in Central School, Kotah	40
6029	आयात में कमी होने से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध न होना	Non-availability of adequate quantity of Fertilizers due to less import	41
6030	आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक तथा सहकारी ऋण भूमि बन्धक बैंक के ऋण पर ब्याज की दर में अन्तर	Differance between Rate of Interest on loan from World Bank and Cooperative Credit Land Mortgage Bank in Andhra Pradesh	41—42
6031	दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान अध्यापकों के पद का न भरा जाना	Unfilled Post of Science Teachers in Delhi Schools	42
6032	उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के बारे में ड्रिलिंग तथा पम्पिंग आपरेशन का अध्ययन	Study of Drtlling and Pumping Operation on Sub-soil Water in U. P.	42
6033	परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र चलाने हेतु भारत सेवक समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj for running Family welfare Planning Centre	42—43
6034	ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिये कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास	Development of Agro-Industries to provide Employment to Rural People	43
6035	उत्तर प्रदेश के पाली सब-डिविजन में ओला वृष्टि के कारण फसल की क्षति	Damage to Crop in Pali sub-Division of U. P. due to Hailstorm	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
6036	हृदय गति रुक जाने से मृत्यु	Deaths due to Heart Attack	43—44
6037	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को आरोप पत्र	Employees Charge Sheeted in I. I. T.. New Delhi	44
6038	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारियों का चयन	Selection of academic and non-academic staff of I. I. T., New Delhi	44—45
6039	उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना	Scheme of Three Year Degree Course in U. P.	45
6040	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये गावों में बनाये गए मकान	Rural house constructed for Scheduled Castes/Tribes	45—46
6041	हरिजनों से जबरन काम लेना	Forced labour from Harijans	46
6042	गंगई के प्रकोप के कारण मध्य प्रदेश में क्षति	Damage in Madhya Pradesh due to Gangayee Ravage	46
6043	वैस्ट कोस्ट रोड पर पैसेंजर शिपिंग कम्पनियों की स्थापना के लिये आवेदन-पत्र	Applications for establishment of passenger lines on West Coast Road	46—47
6044	दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञों की गोष्ठी	Seminar of Heart-Specialists in Delhi	47
6045	अस्पृश्यता के अपराध के मामले	Number of cases of offences of untouchability	47
6046	पश्चिम बंगाल में कंटाई और झारग्राम तटवर्ती पट्टी पर काजू की खेती, परिष्करण और बिक्री के लिए कार्यवाही	Steps for cultivation, processing and marketing of cashewnut in contaix and Jhargram, West Bengal	48
6047	बिहार में पानी की कमी को दूर करने के लिए नल-कूपों का लगाया जाना	Installation of Tube-wells to remove water shortage in Bihar	48
6048	राज्यों में ढोर और फसल बीमा योजनायें	Cattle and Crop Insurance Scheme in States	49
6049	राज्य परिवहन निगम की स्थापना के लिए त्रिपुरा को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Tripura for setting up State Transport Corporation.	49—50
6050	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास	Development of Rural Areas during Fourth Plan	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6051	पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के ऊपर पुल के निर्माण हेतु धनराशि	Funds for construction of a bridge over Damodar river in West Bengal	50
6052	देश में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की औसत दर	Average death rate on account of accidents in the country	50—51
6053	राज्यों में हरिजनों के साथ भेदभाव की घटनाओं के बारे में अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त को भेजी गई सूचनाएं	Incidents of discrimination against Harijans Reported to Commissioner for S.C. & S.T. in States	51
6054	दिल्ली में अनारकली पार्क में नागरिक सुविधाओं की कमी	Lack of cividamenities in Anarkali Park. Delhi	51—52
6055	उड़ीसा और तमिलनाडु में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का विकास	Development of Minor Irrigation project in Orrissa & Tamil Nadu	52—53
6056	परीक्षाओं में अनुचित उपायों का प्रयोग	Use of unfair means in examinations	53
6057	मध्य प्रदेश की उर्वरकों की माँग	Quantum of demand of fertilisers from M. P.	53
6058	पर्यटकों के आकर्षण के पुरातत्वीय स्मारकों के विकास के लिये केन्द्रीय समन्वय समिति	Central Coordination Committee for the development of archaeological monuments of tourist interest	53—55
6059	सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया	Procedure for registration of Societies	55
6060	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें	Recommendations made in the 19th Report of Commissioner for S. C. and S. T.	55—56
6061	मुगल सम्राट अकबर की चौथी शताब्दी का मनाया जाना	Celebration of 400 th anniversary of Mughal Emperor, Akbar	56
6062	आसाम में साक्षरता	Literacy in Assam	56
6063	वन सम्पत्ति में कमी	Shortfall in forest wealth	56—57
6064	भोजन प्रोटीन की कमी	Deficiency of proteins in food	57
6065	नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में मुर्गी-पालन फार्म	Poultry farms in Government colonies in New Delhi	57
6066	मध्य प्रदेश में भवनों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण	Loan to Central Government employers for construction of house in Madhya Pardesh	57—58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6067	कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज	Ayurvedic treatment for cancer	58
6068	चीनी सम्बन्धी नई नीति निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की उप-समिति की नियुक्ति	Appointment of a sub-committee of the Union Cabinet to formulate a New Sugar Policy	58
6069	चौथी योजना में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं	Schemes submitted by Orrisa Government under crash programme for Rural Employment during Fourth Plan	58—59
6070	कृषि स्नातकों को रोजगार	Employment of Agricultural Graduates	59
6071	स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षा की पद्धति	System of Medical Inspection in Schools	59-60
6072	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Rural Areas	60
6073	मध्य प्रदेश के सिधी और रीवा क्षेत्र में खोले गए स्कूल	Schools opened in Sidhi and Rewa Region of M. P.	61
6074	मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों के लिये शिक्षा	Education for Adivasis in Eastern Region of Madhya Pardesh	61—62
6075	मध्य प्रदेश में पैदावार बढ़ाने हेतु कृषकों को सहायता देने सम्बन्धी योजनाएं	Schemes is to help Farmers to Raise Yield in Madhya Pardesh	62
6076	कैंसर के कारण मौतें	Deaths due to Cancer	62
6077	नगरीय क्षेत्रों में भूमि के बढ़ते हुए मूल्य	Soaring Land Values in Urban areas	63
6078	चीनी के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए मिलों द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्री का बद किया जाना	Stoppage of free sale of Sugar by Mills in view of High Price of sugar	63
6079	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूँ तथा चावल और इन वस्तुओं का प्रति टन वसूली मूल्य, निकासी मूल्य तथा व्यापार पर ऊपर खर्च	Wheat and Rice Procured by F. C. I. and Procurement Price, Issue Price and Trading Overhead Expenses per Tonne	63—65
6080	दक्षिण के राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central Universities in Southern States	65
6081	कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय में लायब्रेरियन का पद	Post of Librartan, National Library, Calcutta	65—66
6082	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें	Recommendations of Review Committee on National Library, Calcutta	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6083	150, बलिया घाट मेन रोड, कलकत्ता स्थित इमारत का अधिकार में लिया जाना	Taking-over of Building at 150, Baliaghata main Road, Calcutta	66
6084	केन्द्रीय विद्यालय, गया (बिहार) के पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Backward Class Students in Central School, Gaya (Bihar)	66—67
6085	शुद्ध घी में मिलावट	Adulteration of Pure Ghee	67
6086	कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये राज्यों की माँग	Demands from States for Establishing Agricultural University	67
6087	आँध्र प्रदेश में भूमिगत जल की उपलब्धता	Ground Water Availability in Andhra Pardesh	68
6088	नई दिल्ली में आर० के० पुरम के सेक्टर तीन और चार में दिल्ली दुग्ध योजना के अतिरिक्त बूथ खोलने की माँग	Demand for opening of more D. M. S. Milk Booths in Sectors III and IV of R. K. Puram, New Delhi	68
6089	अमरीकी सहायता से पूरी की गई कृषि अनुसंधान योजना	Agricultural Research Scheme Executed with U. S. Aid	68—69
6090	कृषि प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Farmers, Training and Education Programme	69
6091	अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Children of Teachers	69—70
6092	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को विदेश भेजा जाना	Sending of Students abroad for Higher Studies	70
6093	मैट्रिक के ऊपर की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु राज्य को धन	Funds to State for Post-Matric arship	70
6094	रोजगार प्रधान पाँच वर्षीय राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	Five-Year National Diploma in Job Oriented Course	70—71
6095	सभी पत्तनों को तटीय राजमार्गों से मिलाने के लिए गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन	Approval of Master Plan submitted by Gujarat State to link all Ports with Coastal Highways	71
6096	छात्रों द्वारा नशीली वस्तुओं का प्रयोग	Consumption of Intoxicants by Students	71—72
6097	अखिल भारतीय मधुमेह अनुसंधान संस्थान	Setting up of all India Institute for Research in Diabetes	72
6098	पोलीटेकनीक शिक्षा के पुनर्गठन तथा विकास के बारे में समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Reorganisation and Development of Polytechnic Education	72

6099 दिल्ली के स्कूलों में इतिहास विषय का पढ़ाया जाना	Imparting Education in History in Delhi Schools	72—73
6100 भूतपूर्व मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों की ओर बकाया किराया	Rent due from Ex-Ministers, state Minister and Deputy Ministers	73
6101 ग्रंथालयों का श्रवण-दृश्य संचार केन्द्रों में बदला जाना	Conversion of Libraries into Audio-Visual Communication Centres	73
6102 फसल की प्रणाली में परिवर्तन का अध्ययन	Study in Change of crop Pattern	73—75
6103 बीजों और उर्वरकों के बेहतर वितरण के के लिये पंजाब के किसानों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Punjab Farmers for better Distribution of seeds and Fertilizers	75
6104 पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education in West Bengal	76—77
6105 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर दक्षिण उप-नगरीय नगरपालिका बेहाला, कलकत्ता की बकाया राशि	C. P. W. D. Authorities owe Amount to South Suburban Municipality Behala, Calcutta	77
6106 उर्वरकं के मूल्य	Price of Furtilizers	77—78
6107 कोका-कोला की बन्द बोतलों में कीड़ों का पाया जाना	Insects found in sealed Coca-Cola	78
6108 मध्य प्रदेश में कत्था कारखाने की स्थापना	Setting up Catechu Factory in Madhya Pardesh	79
6109 जयन्ती शिपिंग कम्पनी का कार्यकरण	Eunctioning of Jayanti Shipping Company	79
6110 आवश्यक वस्तुओं के मुल्य में वृद्धि होने पर खाद्यानों के थोक व्यापार की अधिग्रहण	Take over of wholesale Foodgrains Trade Consequent on rise in Price of Essential Commodities	79—80
6111 उत्तर प्रदेश के मेडीकल कालेजों को वित्तीय सहायता	Financial Help to Medical Colleges in U. P.	81
6112 तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी राज्य बोर्ड	State Boards on technical Education	81—82
6113 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण	Interest free Loan to farmers	82
6114 निर्माण और आवास विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण	Explanation from officers of works and housing department	82—83
6115 कलकत्ता में टेम्पल स्ट्रीट प्रेस प्लांट का लगाया जाना	Installation of Tample street press plant in Calcutta	83
6 116 कनाट सर्कस, नई दिल्ली के चारों ओर बहु मंजिली इमारतों के निर्माण के लिये नई योजनाएं	Construction of Multi-storeyed Buildings around Connaught Circus, New Delhi	83

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6117	विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए राज्यों की सहायता	Assistance to states for construction of school Buildings	83
6118	दिल्ली में बड़े होटलों में विषाक्त भोजन के मामले	Cases of food poisoning in big hotels of Delhi	84
6119	बिहार में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलना	Opening of new central school in Bihar	84—85
6120	बिदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural delegation sent foreign countries	85
6121	बिहार के किसानों के लिये बीजों के वितरण की बेहतर व्यवस्था	Better seed distribution system for farmers of Bihar	85
6122	कार्ड धारियों को नर्सिग होम में स्थान देना	Accommodation in Nursing home to card holders	85—86
5123	शहरी सम्पत्ति की सीमा	Ceiling on urban property	86
6124	बाघों की 'रायल' नस्लों के संरक्षण के बारे में विदेशी विशेषज्ञ की राय	Foreign Expert opinion on preservation of Royal species of Tigers	86
6125	गो-रक्षा समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of committee on cow protection	86—87
6126	दिल्ली में गंदगी के कारण बिमारियों के फैलने की आशंका	Danger of outbreak of diseases due to rubbish in Delhi	87
6127	आपरेशन के पश्चत एक मरीज के पेट के अन्दर औजार रह जाना	Surgical Instrument left inside the stomach of an operated patient	87—88
6128	दिल्ली में सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास	Accommodation for Government Employees on deputation to public Undertaking in Delhi	88
6129	खाद्यान के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति	Present position of Foodgrains	88
6130	ग्रामीण चिकित्सालयों में शय्याओं की कमी	Shortage of Beds in Rural Hospitals	88—89
6131	डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल तथा बंगलौर में प्रशिक्षण	Training at Dairy Research Institutes at Karnal and Banglore	89
6132	विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रमों के विषय	Subjects for Correspondence Courses in various Universities	89
6133	मैसूर सरकार की चीनी का कोटा बढ़ाने की मांग	Demand from Mysore Government to increase sugar quota	89—90
6134	दक्षिण क्षेत्र में बनस्पति के मूल्य में वृद्धि करना	Increase in price of Vanaspati in South Zone	90

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6135	कलकत्ता बन्दरगाह पर माल यातायात में हो रही कमी	Downward trend in Goods Traffic at Calcutta Port	90—92
6136	पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase number of Scholarship for Backward Classes and S. C. and S. T. Students	92
6137	कृषि उत्पादन में खेतिहर मजदूरों का भाग	Share of Agriculture Labour in Agricultural Production	92—93
6138	पालामऊ जिले (बिहार) में हरिजन और आदिवासी ग्रामों को पीने के पानी की सुविधाएं	Drinking water facilities to Harijan and Tribal villages in Palamau District Bihar	93
6139	बाघ की नसल समाप्त होने से रोकने के लिये कार्यवाही	Step to check Tiger Population from Extinction	93
6140	संरचना इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रूड़की को अनाज भंडार गृहों के ढांचों का डिजाइन तैयार करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance to Structural Engineering Research Centre, Roorkee for Designing Grain Storage Structures	93—94
6141	तिब्बिया कालेज, दिल्ली के छात्रों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by the students of Tibbia College, Delhi	94
6142	पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासियों और हरिजनों के लिये बनाये गये मकान	Houses constructed for Adivasis and Harijans during Five Years Plan	94—95
6143	मध्य प्रदेश में सघन खेती और उस पर व्यय	Intensive cultivation and expenditure there on in Madhya Pradesh	95
6144	चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गए विद्यार्थी	Students sent abroad for medical training	95
6145	मराठवाड़ा में कृषि विश्वविद्यालय के लिए माँग	Demand for Agricultural University in Marathwada	96
6146	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावास में पाया गया छात्रा का शव	Dead body of girl students found in B. H. U. Hostel	96
6147	दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और कारें खड़ी करने के लिये स्थान की समस्या	Public transport and car parkfng problem in Delhi	96—97
6148	दिल्ली में गंदी बस्तियों का हटाया जाना	Slum clearance in Delhi	98
6149	अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों से कतिपय बागानों को मुक्त रखना	Exemptions of cartain plantations from Ceiling laws	98—99
6150	राज्यों में आवास बोर्डों की स्थापना	Setting up of Housing Boards in States	99—100

अता० प्र० सं० U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6151	पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए राज्यों की सुविधायें	Facilities to States for National Highways to be built in Backward Areas	100
6152	इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट स्टडीज	In titute of Management Studies	100—101
6153	दिल्ली में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गए स्नातकोतर अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करना	Regularisation of services of post-Graduate Teachers appointed on ad hoc basis in Delhi	101
6154	मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट	Report of Review Committee on Madras Institutute of Technology	102—103
6155	तकनीकी शिक्षा में 'सेन्डविच कोर्स'	Sandwich Courses in Technical Education	103—105
6156	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendation made by Expert Committee of All India Conncil for Technical Education	105—106
6157	राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की बारहवीं बैठक में की गई सिफारिशें	Recommedations made by the 12th meeting of National Council for Women's Education	106—109
6158	सख्त किस्म के चावल का विकास	Development of a Harder varity of Rice	109
6159	उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में माध्यमिक स्तर पर कृषि शिक्षा देने की योजना	Schemes to impart Agriculture education at Secondary Stage in Orrissa and other States	109—110
6160	बिहार राज्य में भीषण जल संकट को दूर करने की योजना	Schemes to overcome serious water crisis in Bihar State	110
6161	आदर्श ग्राम गृह निर्माण योजना के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि	Increase in quantum of Loan for Model Village Housing Scheme	110
6162	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	Pre-Matric Scholarship to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students	111
6163	राजधानी में पानी जमा हो जाने का खतरा	Water logging Threat in the Capital	112
6164	अखिल भारतीय खाद्यान विक्रेता एसोसियेशन के संघ द्वारा राशन व्यवस्था समाप्त करने की माँग	Demand by Federation of All India Foodgrain Dealers Association for Lifting Rationing	112
6165	शिक्षा नीति को नया रूप देना	Reorientation of Eductional Policy	112—113
6166	पाकिस्तान के विभाजन के परिणामस्वरूप लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का भविष्य	Fate of India Office Library, London with the Bifurcation of Pakistan	113

6167	हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम से शिपयार्डों सम्बन्धी मूल्य-निर्माण एवं राज सहायता नीति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध	Request from Hindustan Shipyard Visakha patnam for revision of Pricing and Subsidy Policy in regard to shipyard 113—114
6168	उच्चतम सीमा सम्बन्धी कानूनों से धार्मिक धर्मस्वों को छूट	Exemption of Religious Eddowments from Ceiling Laws 114
6169	चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केन्द्र	Agro-service Centres during Fourth Plan 114-115
6170	संसद् सदस्यों के प्लेटों के बरामदों में शीशेदार खिड़कियाँ लगाना	Glazing of Verandahs of M. Ps. Flats 115—116
6171	राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव	Proposals from Orissa Government for Conversion of State Highways into National Highways 116
6172	अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग कम्पनियों द्वारा लागू की गई भारत तथा अन्य देशों से माल की भाड़ा-दरें	Freight rates in respect of Indian Cargoes and Cargoes belonging to other countries imposed by International Shipping Lines 117
6173	बिहार और पश्चिम बंगाल में धान का मूल्य	Price of paddy in Bihar and West Bengal 117—118
6174	कृषि क्रान्ति के कारण पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूँ का उत्पादन और इसके लिये दी गई केन्द्रीय सहायता	Production of Rice and Wheat in West Bengal due to Green Revolution and Central Aid therefor 118-119
6175	बंगला देश द्वारा भारत में बन्दरगाह सुविधाओं का उपयोग	Use of Marine Port facilities in India by Bangladesh 119
6176	दिल्ली में होटल खोलने के लिये जमीन दिया जाना	Allotment of Land for opening Hoteis in Delhi 119—120
6177	दिल्ली परिवहन निगम को ऋण	Loan to Delhi Transport Corporation 120
6178	1971-72 और 1972-73 में संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय कृषि सगठनों से सहायता	Help from International Agri-Organisation of United Nations during 1971-72 and 1972—73 120
6179	मंत्रियों और संसद् सदस्यों के कार्यालयों और निवास स्थानों की मरम्मत और उनके नवीनकरण पर व्यय	Expenditure on Repair and Renovation of Offices and Residences Ministers and M. Ps. 120—121
6180	कैंसर के लिए अनुसंधान केन्द्र और अस्पताल खोलने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता	W. H. O. Aid for setting up of Research Centres and Hospitals for Cancer 121-122

6181 ढोरों की नमल सुधार के लिए केन्द्र और उनके लिये केन्द्रीय सहायता — Centres fo improving Breed of Cattle and Central Aid there for 122

6182 लोअर डिविजन क्लर्कों की दैनिक मजदूरी पर भर्ती — Recruitment of L. D. Cs. on Daily wages 123

6183 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की नियुक्ति — Appointment of Director-General, Indian Councial for Medical Research 123

6184 ग्राम्य कृषि क्षेत्र की आय में विषमता — Disparity in Income in Rural Agricultnre Sector 123

6185 चावल के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध — Restrictions on movement of Riee 123—124

6186 उड़ीसा के सूखा और तूफान पीड़ित क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना — Declaration drought and cyclone it Areas of Orissa as Famine-affected Areas 124

6187 वर्ष 1971-72 में किए गए सांस्कृतिक करार — Cultural Agreement signed during 1971—72 124—125

6188 राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान द्वारा अपर्याप्त सहकारी ऋण के बारे में अध्ययन — Study by National Council of Applied Economic Research regarding inadequate Cooperative Credit 125

6189 मार्डन बेकरीज लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारी — Employees in Modern Bakeries Ltd, Kanpur 125

6190 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों के वेतनमान — Pay scale of Veterinary Doctors in States and Union Territory 125—126

6191 उत्तर प्रदेश के बहराच जिले में नलकूप — Tube-wells in Bahraich, U.P. 126

6192 गौहाटी और नयामती के बीच यात्री एवं माल सेवा के बारे में केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार के बीच मतभेद — Difference between Central Government and Assam State Govt. over passenger cum-cargo service between Gauhati & Neamati 126

6193 छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधायें, उर्वरक और कीटनाशी औषधियाँ उपलब्ध करने पर व्यय — Expenditure on providing irrigation, fertilizers and insecticides to small farmers 126

6194 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लिये बनाए गए फ्लेटों का मूल्य — Price of D. D. A. flats for low income Group 127—128

6195 लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना — Admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in lady Hardings Medical College, Delhi 128-129

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6196	मार्किट रोड, गोल मार्किट, नई दिल्ली के रिहायशी क्वार्टरों को बाहिरी प्रांगण की दीवारों को ऊंचा करना	Raising of the outer compound walls of the Reslidental Quarters on Market Road, Gole Market, New Delhi	129
6197	केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court verdict on Kerela Land Reforms Act; 1964	129—130
6198	नेशनल कोआपरेटिव कन्जयूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, बम्बई में जब्त की गई वस्तुओं का कम होना	Shortage of confiscated goods in National Cooperative Consumers Federation Limited, Bombay	130
6199	सामूहिक आवास योजना के दूसरे चरण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण	DDA Registration for 2nd phase of Group Housing Scheme	130—131
6200	फार्मेसिस्टों के लिये प्रबोधन पाठ्यक्रम (रीफ्रेशर कोर्स)	Refresher course for Pharmacists	131
6201	केन्द्रीय चावल अनुसंधान, विद्याधरपुर, उड़ीसा में नई किस्म के चावल का विकास	Development of a new varity of rice at central rice Research Institute, Bidyadharpur, Orissa	132
6202	तम्बाकू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा	Safeguard of interest of Tobbacco growers	132—133
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent public Importance	133
	श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhede Rai	134
	श्री बैजनाथ कुरील	Shri B, N. Kureel	133
	बक्सर-कोइलूर तटबन्ध के प्रस्तावित निर्माण से उत्तर प्रदेश के कुछ गाँवों के डूब जाने की आशंका का समाचार	Reported apprehension of submersion of some U. P. Villages due to proposed constructon of Buxer-Koiloor embankmen	
	परियोजना भत्ता दिये जाने के लिये बरौनी क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	Re: Railway Men's strike in Barauni Area for Grant of Project Allowance	137-138
	पश्चिम बंगाल में सूखे और पानी की कमी की स्थिति के बारे में	Re. Drought and Water Scarcity Conditions in West Bengal	138-139
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper laid on the Table	139

तकनीकी अध्ययन के लिये योग्यता-तथा-साधन छात्रवृतियों के पुनरीक्षण के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 535 Re. Revision of Merit-cum-Means Scholarships of Technical Studies	139—140
वित्त विधेयक, 1972	Finance Bill, 1972	140—166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	140
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	147—149
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Vardaraja Rao	149—152
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta	152—154
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. Salve	154—157
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Aggarwal	157—159
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	159—160
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	160—162
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	162—164
श्री सुबोध हँसदा	Shri Subodh Hansda	164—165
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	165—166
श्री के० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	166
रेलवे मंत्री द्वारा अनेक संसद् सदस्यों के अपमान के बारे में	Re. Alleged insult of certain M. Ps. by the Minister of Railways.	143
नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन के बारे में	Re. Anti-war Demonstrations at US Embassy in New Delhi.	143
बिहार में मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा करने की कथित घटनाओं के बारे में	Re. Alleged forcible capture of Election books in Bihar.	143

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 15 मई, 1972/25 वैशाख, 1894 (शक)
Monday, May 15, 1972/Vaisakha 25, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तदर्थ आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर अध्यापकों की सेवाओं का विनियमन

*823 **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों में तदर्थ आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर अध्यापकों की सेवाओं का विनियमन करने में विभागीय पदोन्नति समिति ने गम्भीर त्रुटियां की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मंत्री महोदय तथ्यों को दबा रहे हैं । तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कुछ स्नातकोत्तर अध्यापकों को उस तारीख से विनियमित किया गया है जब से वे उन पदों पर नहीं थे और ना ही उन्होंने उन पदों की योग्यता प्राप्त थी जबकि अनेक अध्यापकों को एक से 11 वर्ष पूर्व से विनियमित किया गया है । क्या यह सच है कि अनेक ऐसे स्नातकोत्तर अध्यापकों के नामों को जो इस विभाग को छोड़ चुके हैं

और जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा जिनकी नियुक्ति उस विभाग में कभी भी नहीं की गई थी, स्थायी, विनियमित और वरिष्ठता सूची में दिखाया गया है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : हमें दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन ने उल्लेख किया है कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठता नियम, 1965 का पूरी तरह पालन किया है। उनके अनुसार ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसे मामले की जानकारी है तो वे कृपया उनकी सूचना मुझ दे दें। मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि कुछ स्नातकोत्तर अध्यापकों को दो विषयों में विनियमित किया गया है जबकि वे केवल एक ही विषय पढ़ा रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है और इसकी स्वीकृति के लिये कौनसा अधिकारी दोषी है। क्या यह भी सच है कि कुछ शिक्षकों के शिक्षिकाओं के कोटे के अन्तर्गत रिक्त स्थानों पर पदोन्नत किया गया है और उनके नाम शिक्षक वरिष्ठता सूची पर भी रहे किन्तु उन पदों की महिला कोटे से पुरुष कोटे में स्थानान्तरित नहीं किया गया और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ?

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव ने भी अनियमितताओं को स्वीकार कर लिया है ? मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा मन्त्री महोदय को इस प्रकार बेवकूफ बनाया गया है। क्या उन शिक्षकों के प्रति न्याय करने के उद्देश्य से, जिन्हें 1 से 11 वर्ष तक परेशान किया जाता रहा है, सरकार का शिक्षकों की सेवाओं को उनकी पदोन्नति। नियुक्ति से नियमित करेगी, यदि वे सेवा में बिना व्यवधान अथवा अवनति के काम करते रहे हैं, जैसा कि अपर डिवीजन क्लर्कों के मामले में किया गया है और (ख) इस सम्बन्ध में विनियमित वर्ष निर्धारित कर शीघ्र आदेश पास करेगी जिससे यह शैक्षिक वर्ष, मध्य जुलाई से अप्रैल तक न होगा, जैसा इस समय है, जिससे शिक्षकों के हितों का पता लगाने में $2\frac{1}{2}$ महीने का अन्तर पड़ता है, मई से अप्रैल होगा।

प्रो० एस नुरूल हसन : जिन नियमों का मैंने अभी कुछ समय पूर्व उल्लेख किया है उनमें यह बात स्पष्ट है कि वरिष्ठता निर्धारित करते समय तदर्थ नियुक्त को विचार में नहीं लिया जायेगा। लेकिन यदि किसी मामले में कठिनाई होगी और यदि माननीय मंत्री ऐसा कोई मामला मेरी जानकारी में लायेंगे तो मैं इस बारे में अवश्य दूंगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि कठिनाई क्या है और कहां तक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है।

श्री आर० डी० भंडारे : स्नातक संस्कृति अध्यापकों के मामले में अन्याय किया गया है। यदि उनके पास जानकारी है तो वे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अथवा मैं अध्यापकों की सूची भेज सकता हूँ जिससे इस मामले में सुधार किया जा सके। **(अन्तर्बाधाएं)** यदि यह सम्भव है और उनके पास जानकारी है तो वे सदन में उत्तर दे सकते हैं।

प्रो० एस० नुरूल हसन : मेरे पास जानकारी नहीं है।

Central C uncil of Local Self Government.

*824 **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agricalture** be pleased to state:

(a) Whether the basic policy framed by the Central Council of local self Government in 1959 was approved by the Conference of Chif Ministers and state Ministers at Madras (Tamel Nadu) in 1968 or some other decision was taken in this regard; and

(b) If so, the reasons for not implementing the said policy so for ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1968 में मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों तथा राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित किए गए इन बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धान्तों कि यद्यपि मूल सिद्धान्तों का व्यापक प्रतिमान एक समान हो सकता है, तथापि, पचायती राज के ढांचे में किसी भी प्रकार की अनम्यता नहीं होनी चाहिये, का अनुमोदन किया था और यह सिफारिश की थी कि दो अथवा तीन स्तरीय ढाँचे का प्रश्न राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए । इसे स्वीकार कर लिया गया है और राज्य सरकारों । केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri M. C. Daga : Your answer appears t o be wrong. It appears from the report that the said policy has not been implemented in Bihar, Kerala and Madhya Pradesh. The answer is against the report what is the basic difference between the two tier and three tier structure. May I know whether there will be Panchayat Samiti or Zila Parishad or Gram Panchyat and Panchayat Samiti in the two tier system ?

In two tier structure Panchayat is necessary. There may be Gram Panchayat and after that there may be Panchayat Samiti or Zila Parisad as there is Gram Panchayat in Kerala at present. But now we want to convert it into Zila Parishad. There is four tier structu e in west Bengal also. There is Anchal Panchyat and Anchalit parishad also and after that there is Zila Parishad and Panchayat also. In some places there are two and in some places there are three and in West Bangal there are four. In eleven states and in two Union territories there are three and in two states, there two and in one state there are four. In some states there are Gram Panchayats. They are thinking of setteng up Zila Parishad.

Shri M. C. Daga : I want to know whether these Gram Panchayat will be given the Power of panchayats when they work as a court ? Gram Panchayat has now become lifeless. These have not been any elections for the last eight years. There are no panchyats in Rajasthan, and Madhya Pradesh. These democratic institutions are almost finishing.

Prof Sher Singh : It is incorrect to say that there are no Panchayts. There are Panchayats. in Madaya Pradesh also. In some states elections have not been held for quite some time——

Shri M. C. Daga : They have not been held for the last nine years.

Prof. Sher Singh : They have not been held perhaps since 1964 or 1965. Elections were held in Uttar Pradesh perhaps in 1961. The elections will be held in Uttar Pradesh during next few month.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether in the gram Panchayas the feeling of castism and Coummunalism. has been developed.

I want to know whether you will set up an Election Commission for the election of Pandayat,. Who will look after its functions ?

Prof. Sher Singh : It is not possible to set up Election Commission for the elections of Panchayats in the whole country because this matter comes under the state's Jurisdictions

and the State Governments are responsible for the elections of Panchayats, The elections should be held after every five years. Whenever there are elections the disease of castiem and Communalism arises. It is not possibl e even for the election Commission to stopit.

It is an easy way to get the votes of a parlicular Community so all the parties try to adopt this method : It is our duty to save our society frcm it. So all the parties should formulate a progremme so that the country way be protected from this disease.

श्री जी वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का विचार पंचायत अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा करवाने के बारे में कोई समान नीति लागू करने का है जिससे उत्पीडित और दबाये हुये व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । वर्तमान अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से केवल निहित हितों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलती है । इन सब बातों को देखते हुये भी क्या सरकार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू करेगी ?

प्रो० शेर सिंह : हम इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक उच्चस्तरीय आयोग की नियुक्ति कर रहे हैं और उक्त आयोग उक्त पहलू पर विचार करेगा । वे इस बारे में सिफारिशें भी देगा ।

Shri Narsigh Narain Pandey : I want to know whether Governnent is prepared to sanction Such powers to Panchayats and Zila Parishad so that there may be decentralization of power as has been stated in the directive pinciples of the constitution ?

Prof sher Singh : Sufficent powers have been given to Zila Parishads in Maharashtra and Tamil Nadu. We want to give them some more powers so that they may do work more efficiently. They should also be provided with resources and more powers in Case. Power is decentralized and the local bodies and Zila Parishads get some more powers, they can work more smoothly.

Shri B. P. Mourya : I want to know whether some complaints have been received by the Minister or whether he has read some reports in the newspapers the effect that some big Zamidars have got removed the names of agriculturists labourers from the list and have put some bogus names in the list. Thus they are preparing a bogus list in order to win the elections.

Prof Sher. Singh : No such complaints have been recieved so for.

हिन्दुस्तान लेटैक्स, त्रिवेन्द्रम

*825. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वाथ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटैक्स, त्रिवेन्द्रम के उत्पादन में 1970–71 और 1971–72 में वृद्धि हुई है; यदि हां तो कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या साथ-साथ उसके उत्पादकों की मांग भी बढ़ी है; और

(ग) इस कारखाने में पड़ें बिना बिके सामान के वर्तमान आंकड़े क्या हैं ?

डी० पी० चट्टोपाध्याय (स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के राज्य मंत्री) : (क) और (ख) जी हां । त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लेटैक्स कारखाने में निरोध का उत्पादन बढ़ गया है । 1969–70 में जहां 527·5 लाख निरोध तैयार किये गए थे वहां 1970–71 में यह संख्या 788·7 लाख और 1971–72 में 976·6 लाख हो गयी है । निरोध की मांग भी बढ़ गई है । 1969–70 में जहां 82·4 लाख निरोध मासिक निकलते थे वहां 1971–72 में (फरवरी, 1972 तक) यह संख्या बढ़कर 144·5 लाख हो गई है ।

(ग) 1 मई, 1972 की स्थिति के अनुसार त्रिवेन्द्रम स्थित कारखाने में 8·42 लाख निरोध अनबिके पड़े हुये थे।

श्री वयालार रवि : उत्तर से पता चलता है कि वर्ष 1971–72 में उत्पादन में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या इस कारखाने का लाभ भी इनके उत्पादन के अनुरूप बढ़ा है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसकी उत्पादन क्षमता तो हमारे इस उत्पादन से कहीं अधिक है। परन्तु गत तीन वर्षों में उत्पादन धीरे-धीरे 470 लाख से बढ़कर 1100 लाख हो गया है। परन्तु इस वर्ष, वर्ष 1972–73 में हमें 2100 लाख की आवश्यकता है जिसमें से हमें आशा है कि लेटेक्स 1100 लाख का उत्पादन कर सकेगा।

श्री वयालार रवि : क्या लाभ में वृद्धि हुई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्य : जी हां।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उत्पादन संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता तक नहीं पहुंच सका है। इस सभा में यह भी बताया गया है तीन लाख रूपये के खर्च से दिल्ली में इसका प्रशासनिक कार्यालय कार्य कर रहा है जबकि कारखाना त्रिवेन्द्रम में हैं और प्रबन्ध निदेशक इस कार्यालय में केवल आधा घण्टा कार्य करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रशासनिक कार्यालय को त्रिवेन्द्रम में स्थानान्तरित करने तथा वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : यदि ऐसी भावना फैल रही है कि प्रशासन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो यह बात सही नहीं है। मैंने आज प्रातः ही इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया था और हमें अधिकृत रूप से बताया गया था कि वर्ष 1970–71 में 3·91 लाख रुपये का लाभ हुआ था। वर्ष 1971–72 में यह लाभ 12 लाख रूपये का था। इन संयंत्र की कुल साम्यापूंजी 70 लाख रुपये है तथा ऋण की राशि भी 70 लाख रुपये है। अब ऋण की राशि केवल 52 लाख रुपये रह गई हैं और शेष अदा कर दी गई है। ब्याज की राशि भी देदी गई है। टूटफूट तथा अन्य मतों के लिये भी व्यवस्था कर दी गई है। इसलिये इस कम्पनी में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इसकी कुल क्षमता 1440 लाख है और उत्पादन भी 960 या 970 लाख तक पहुंच चुका है। अब इसके उत्पादन को बढ़ाकर कम से कम दुगुना अवश्य करना है क्योंकि अनुमान है कि मांग दुगने भी अधिक होगी। माननीय सदस्य इससे चिन्तित न हो कि हम उचित या आवश्यक मात्रा की सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं, वस्तुतः हम चाहते हैं कि भारत में डाक अतिरिक्त संयंत्र भी लगाया जाये। हमें आशा है कि हम ऐसा कर सकते है।

श्री वयालार रवि : मैंने कहा था कि प्रबन्ध निदेशक कार्यालय में केवल आधा घण्टा ही कार्य करता है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस सम्बन्ध में भी यह प्रतीत होता है कि कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निरोध की उत्पादन लागत कितनी है तथा इसके थोक मूल्य क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो त्रिवेन्द्रम के लेटेक्स कारखाने से सम्बन्धित है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह तो कारखाने के लाभ आदि के बारे में बात-चीत कर रहें हैं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है ; यदि वह पृथक से प्रश्न करें तो में इसका उत्तर दे दूँगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो कारखाना त्रिवेन्द्रम में कार्य कर रहा है उसका मुख्यालय दिल्ली में किस लिये रखा जा रहा है जबकि मंत्री महोदय का कहना है कि यह लाभ में चल रहा है । मेरे विचार से यदि यह कार्यालय भी त्रिवेन्द्रम में होता तो ठीक होता । सरकार इस कार्यालय को दिल्ली में ही क्यों रखना चाहती है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इस सम्बन्ध में पुनः जांच करूँगा । यह सीधे ही सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान है और कारखाना दूरस्थ त्रिवेन्द्रम में है । अतः हम कोई ऐसा माध्यम चाहते हैं । जो इससे सम्पर्क स्थापित करके हमें यहाँ जानकारी देता रहे । कारण तो स्पष्ट है । मैं नहीं जानता हूँ कि यह इतनी अजीब बात है ·· (**व्यवधान**) ।

श्री के० गोपाल : प्रश्न भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि 40 लाख नग बिना बिके पडे हैं । अखबारों में खबर थी कि बंगलौर जैसे स्थानों पर निरोध की कमी है । सरकार ने वहां समुचित वितरण के लिये क्या कार्यवाही की है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : शेष बचे स्टोक से स्पष्ट है कि निरोध की मांग सप्लाई से कम है । मैं कह चका हूँ कि हम सप्लाई में बृद्धि करने के प्रबन्धों के बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : हमने उत्पादन में शिथिलता की बात तो सुनी है परन्तु यह मंत्रालय तो वितरण करने में भी शिथिल है । यदि उचित वितरण हो तो इसकी कमी पड़ जायेगी क्योंकि यह कहा जाता है है इनकी मांग उत्पादन से कहीं अधिक है । परन्तु उनके अपने विवरण के अनुसार प्रायः 80 लाख निरोध बिना-बिके पड़े हैं । सरकार ऐसा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि प्रत्येक नगर तथा गाँवों में हर व्यक्ति को निरोध उपलब्ध हो सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह उत्तर दे चुके हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है । अब यह केवल नगरों में ही सुगमता से उपलब्ध है ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं इस मत का दृढ़ता से खण्डन करता हूँ । यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि स्टॉक में एक मास से भी कम अवधि की खपत योग्य सप्लाई है । अतः ऐसा आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : देश में जनसंख्या को नियन्त्रित करने की भारी आवश्यकता को अनुभव करते हुये, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या सरकार परिवार नियोजन के उद्देश्य से निरोध के मूल्य में कमी करने का विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव मात्र है ।

Setting up of Private Medical Colleges in The Country

*828 **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) The number of private Medical Colleges approved by the Indian Medical Council;

(b) Whether the degrees awarded by the Colleges set up by the various State Governments in the past and by the private colleges are not recognised in foreign countries;

(c) If so, whether the students of such Colleges, which have not been approved by the Medical council and of those Colleges whose degrees have got no value in foreign countries, are going from pillar to post these days; and

(d) The measures being contemplated by the Central Government in this regard ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

भारत में इस समय केवल 14 प्राइवेट मेडिकल कालेज कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं । इन 14 मेडिकल कालेजों में से 8 कालेजों को चिकित्सा परिषद् द्वारा मंजूरी दी गई है । शेष छः मेडिकल कालेजों को मंजूरी देने का प्रश्न परिषद् के विचाराधीन है वैसे, ये छः कालेज चूंकि उन विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध हैं जिनकी डिग्रियों को पहले से ही मान्यता मिली हुई है, इसलिये जो विद्यार्थी इन कालेजों से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें भारत में पंजीकरण कराने में अथवा रोजगार पाने में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विदेशों में चिकित्सा अर्हताओं को, जिनमें भारतीय डिग्रियाँ भी शामिल हैं, मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी उनके अपने नियम एवं विनिमय हैं । क्योंकि भारत में डाक्टरों के लिये पर्याप्त सुअवसर उपलब्ध हैं, इसलिये हमारे डाक्टरों को मारे-मारे फिरने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।

उपर्युक्त 14 प्राइवेट मेडिकल कालेजों के अलावा यह बताया गया है कि हाल में कुछ और कालेजों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु उनका ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : यह विवरण अत्यन्त असन्तोष प्रद है । बिहार में एक मैडिकल एजूकेशन कमेटी की स्थापना की गई । उस एजूकेशन कमेटी ने लिखा है—"अपनी जाँच के के दौरान इस समिति ने पाया है कि बिहार के आधा दर्जन प्राइवेट मैडिकल कालेजों में से, जोकि प्रवेश के लिये कोई समान मानदंड रखे बिना ही छात्रों से 15 000 से 20,000 रुपये तक

प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने के बाद ही प्रवेश देते हैं, कोई भी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रहा है" ।

दूसरी जगह समिति ने लिखा है—'अनेक छात्रों को जो कि योग्यता के कमी के कारण सरकारी मैडिकल कालेजों में प्रवेश नहीं पा सके, प्राइवेट कालेजों ने दैनिक शिक्षा-शुल्क के अतिरिक्त एक मुश्त 20,000 रुपये दान लेकर प्रवेश दिया ।"

So it is the responsbility of the centeral Government's medical council to see it. The colleges charge a lumpsum amounts of Rs. 20,000 as donation and the members charge their fees; there fore I want to know whether the central Government would institute an inquiry in such malpractices being executed in the colleges of Jamshedpur and Patliputra and take appropriate action in this behalf?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इस संबंध में यह प्रश्न कैसे उठता है ? फिर भी वह इसका उत्तर दे सकते है ।

Shri Uma Shankar Dikshit : From what has been said in the statement that the Madical council has accorded recognition to only 8 of the 14 colleges. It is clear that the council do not recognige those colleges which are found below, the standard. In addition We have received information about five or six colleges of Bihar state and it is the job of the University there to see to it and ensure that no recognition is given to the colloge which are found below the mark.—(**interruptions**) Even if the council does not give recognition but the university gives it the student's degree is acceptable and he gets all the due rights. A Universtty has got its own autonomy and freedom. Let the Hon. member try for it with the universtry.

Shri Bihhuti Mishra : The Medical council act provides that the council would accord rec ognition only after assertaining that the particular college has adequate inplements proper teaching arrangement, hospital, good students capable Government body ete. So may I know whether the central Government have made or propose to make medical vrification about the colleges in Jumshedpur and Patliputar in regard to above requirements.

Shri Uma Shanker Dikshit : We can look into the affairs of your name. But to our information 5 colleges in Bihar and also six out of fourteen have not been given recognisition by the Medical council as they have not been found fit for it by the council.

Shri Ram Avtar Shastri : Is it a fact that the Government of Bihar has decided not to permit the establishment of private medical colleges and also they propose to bring in a legislation to this effect. If so, what is the reaction of the Gorenment of India there to ?

Shri Uma Shanker Dikshit : Sir, we have no information in this connection.

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बताया है कि 6 मैडिकल कालेजों को चिकित्सा परीषद ने मान्यता नही दी है । मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मान्यता प्राप्त मैडीकल कालेजों तथा अन्य मैडिकल कालेजों द्वारा दी गई डिग्रियों को एक जैसा माना जायेगा ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : यदि कोई मैडिकल कालेज किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तो उसके चिकित्सा स्नातक अपनी प्रैक्टिस चला सकते हैं अथवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं किन्तु चिकित्सा परीषद से मान्यता प्राप्त मैडीकल कालेजों के स्नातको को राज्य में तथा बाहर

भी अधिक लाभ रहता है। किन्तु यह इस बात पर आश्रित करता है कि विदेशी विश्व-विद्यालय पारस्परिक आधार पर मान्यता देते हैं अथवा नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The number of student's class rooms to take admission in the madical colleges in the country is increasing day by day. The present number of Madical Colleges is inedequate as a result of which so many students are unable to get admission in them. Besides students get admission on the recommendation of the chief ministers. The students have to deposit money in the congress funds. I have got cartain receipts to this effect. **(Interruptions)** In this context I would like to know the steps proposed to be taken by the Government to avoid such sluation. May I know whether Government propose to open more Madical Colleges or to recognise the private madical Colleges so that more and more students could get admission in them.

Shri Uma Sankar Dixit : The allegations levelled by the Hon. Mamber are baseless and incorrect.

Shri Hukam Chand Kachwai : I can Produce the receipts from each of those persons who have given Rs. 5,000. These reciepts have been issued from Chief Minister level.

Shri Uma Sankar Dixit : Sir, he has put his question and now he should hear my reply. Department of Health is related to the states. According to the information available to me his charges are baseless.

Secondly we can not justify the policy of producing Doctor's with blow standard madical education resulting, in frustation and unemployment. He can justify it but Government do not want to encourage private Colleges to import below standard eduction even if this is such demand.

Shri Hukam Chand Kachwai *

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न किया था मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है। अतः मामला वहीं समाप्त हो गया।

Shri K. N. Tiwari : It has been stated in the papers laid on the Table in the reply that "Foreign countries have their own rule and regulation regarding recognisition of madical qualification including Indian degrees. As ample opportunities for Doctors are available in India. The question of our doctors going from pillar to post should not arise." First of all I would like to know from the Hon. Minisiter the name of those countries which have not given recognition to the doctors who have got degrees from the Indian Universities. Secondly, I want to know the number of qualified doctors who could not get employment in Madhya Pradesh or Rajastan I do not know exactly as has been appeared in the newspapers.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उत्तर दोनों ही बड़े-बड़े हैं। ये संक्षेप में होने चाहिये।

Shri Uma Shanker Dixit : So far as the recognition by the foreign Universities is conerned it depends on the reciprocal grounds. In U. K. 52 Universities have got recognition and rest of them have not got recognition. Similarly recognition has been given to Victoria in Australia and in the Universitity of Malta. Other Universities have not been given recognition because of lack of reciprocity.

---

*सभा की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

In reply to the second question I would like to state that the services of doctors is required much in our villages. There are so many centers where there is not a single doctor. In certain places each centere requires two doctors while it has only one doctor. Thus we require a large number of doctors to fill up those vacancies.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि हमारे ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में हजारों लोग बिना उचित चिकित्सा ज्ञान के प्रेक्टिस कर रहे है, और यदि हाँ, तो क्या यह भी सच्च है कि सरकार अपंजीकृत डाक्टरों के बारे में एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है ? जिससे उन्हें प्रशिक्षण देने के पश्चात् डाक्टरी करने का प्रमाण-पत्र दिया जा सके । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । अगला प्रश्न श्री अर्जुन सेठी ।

श्री समर गुह : महोदय यह प्रश्न संगत है । मेरा निवेदन है कि एक वर्ष के विशेष पाठ्य-क्रम वाले गैर-सरकारी कालेज खोले जा सकते हैं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अगले प्रश्न पर पहुंच गया हूँ । मूल प्रश्न विदेशों तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा डिग्रियों को मान्यता न देने के बारे में था । श्री अर्जुन सेठी ।

गुरु नानक विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय खेल-कूद छात्रवृत्तियों से वंचित करना

* 827. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एकादश और शेष भारत के मध्य कलकत्ता में खोले गये प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा कोष क्रिकेट मैच में भाग लेने के कारण गुरु नानक विश्वविद्यालय के दो क्रिकेट छात्र खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय अधिकारियों ने राष्ट्रीय खेल-कूद दक्षता छात्रवृत्तियां लेने से वंचित कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो ऐसी रोक लगाने के क्या कारण है, और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत के अन्तर्विश्वविद्यालय खेल-कूद बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामा स्वामी) : **(क) से (ग)** : अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड ने, छात्रवृतियां स्वीकृत कर दी हैं, किन्तु विश्वविद्यालय से इस आशय की कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है, जिसमें दो छात्रों की राशि रोकने के बारे में कहा गया हो । गुरु नानक विश्वविद्यालय से यह सुनिश्चित कर लिया है कि उन्होंने इन छात्रवृतियों को रोकने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

राज्य खेल-कूद परिषदों द्वारा व्यय की गई धनराशि

* 829. **श्री पम्पन गोडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई और उसमें से राज्य खेल-कुद परिषदों ने कितनी धनराशि व्यय की,

(ख) क्या पूरी आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार निगरानी रखती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य खेल परिषदों को 1970-71 और 1971-72 वर्षों में वित्तीय सहायता देने के लिये, वजट व्यवस्था इस प्रकार है :—

1970-71	1200 लाख रुपये
1971-72	1000 लाख रुपये

(ख) कुछ ऐसी अतिरिक्त मदों सहित, जिनके लिये सहायता साझेदारी के आधार पर उपलब्ध होगी, राज्य खेल परिषदों को वित्तीय सहायता की संशोधित योजना, 1970-71 में स्वीकृत की गई थी। उक्त वर्ष में इस योजना के अधीन, निधियों का उपयोग शायद इसलिये कम रहा, क्योंकि आवेदकों को खर्चे के अपने समतुल्य भाग की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। 1971-72 में इस परिस्थिति में सुधार हुआ है।

(ग) इस योजना के अधीन, कुछ विशिष्ठ परियोजनाओं के लिये इस शर्त पर वित्तीय सहायता निर्धारित की जाती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के तुल्य ही राज्य खेल परिषदें धन उपलब्ध करें। सरकार स्वीकृत राशि ये उपयोग के प्रमाण स्वरूप अनुदानग्राहियों से आवधिक प्रगति रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करती है।

श्री पम्पन गौडा : मंत्री महोदय ने निर्धारित राशि का उल्लेख तो किया है किन्तु वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है उसका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री के० एस० रामा स्वामी : मैं आंकड़े दे रहा हूं। 1969-70 में 2, 64, 874 रुपये 1970-71 में 3, 72, 773 रुपये और 1971-72 में 8, 42, 980 रुपये। नवीनतम आंकड़े पुनरीक्षित अनुमानों में अधिक हैं।

श्री पम्पन गौडा : क्या वह ब्यौरा दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अधिक विस्तार में मत जाइये। आप इस सम्बन्ध में उन्हें पत्र लिख सकते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हमें ओलम्पिक खेलों में एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला मंत्री महोदय हमारे खिलाड़ियों के खेल में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न खेल-कूद परिषद् के बारे में है अतः इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : महोदय ? आप जानते हैं कि इस देश में खेल-कूद का स्तर बहुत गिर गया है और इसका प्रमुख कारण यह है कि आज खेल-कूद संस्थाओं में भी राज-

नीति प्रवेश कर गई है। इस दृष्टि से क्या सरकार ने खेल-कूद नियमों को धनराशि देने के साथ-साथ उन पर नियंत्रण रखने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री के० एम० रामा स्वामी : खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिये हमने एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत राज्यों को व्यायाम शाला, खेल के मैदान, तालाब आदि बनाये के लिये सहायता दी जाती है। पहली मदों के लिए हम 50 प्रतिशत सहायता देते हैं तथा उपकरणों के लिए 75 प्रतिशत सहायता देते हैं।

संस्थानों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में हमने खेल-कूद परिषद् की स्थापना की है तथा उनकी देखभाल करना परिषद् का कार्य है। विदेश जाने के लिये हर बार केन्द्र सरकार से सहायता मांगी जाती है तथा हम इस बात पर बल देते हैं कि वे खेल-कूद की उत्तम स्तर बनाए रखें।

श्री पी० वेकन्टा सुब्बया : क्या सरकार विभिन्न राज्य खेल-कूद परिषदों को यह सलाह देगी कि अपनी गतिविधियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रकार रहें। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को भी इनमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके ? अभी तक कुछ बड़े नगरों तक ही उनकी गतिविधियां सीमित हैं।

श्री के० एस० रामा स्वामी : ग्रामीण खेल-कूद योजना में विद्यमान है। हम 50 प्रतिशत अनुदान देते हैं तथा पहले वर्ष के लिये उनकी राशि 200 रुपया है तथा दूसरे वर्ष उपकरणों के लिये 100 रुपये दिए जाते हैं और ग्रामीण खेल-कूद सिखाने वाले अध्यापकों को 20 रुपया प्रतिमास मानदेय दिया जाता है।

चालू पंचवर्षीय योजना में 2500 ग्रामीण केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 700 को मंजूरी दे दी गई है तथा अब तक 1,64,100 रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री विक्रम महाजन : कितने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक स्टेडियम स्थापित किये गये हैं ? आपने नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इतने अधिक स्टेडियम क्यों नहीं बनाये हैं ?

श्री के० एस० रामा स्वामी : विभिन्न राज्यों में 700 केन्द्र खोले जा चुके हैं। राज्य सरकारों से भी तेजी से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। उनके सामने कुछ कठिनाइयाँ आई हैं तथा कुछ राज्यों में राशि भी वापस कर दी है।

चीनी मिलों का लाभ तथा उसमें गन्ना सप्लाई करने वालों का भाग

* 832 **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण देश में चीनी मिलों को भारी लाभ हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना सप्लाई करने वालों को इस लाभ का उचित भाग बोनस के रूप में दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चीनी कारखानों द्वारा कमाया गया लाभ चीनी की उत्पादन-लागत पर निर्भर करता है जोकि गन्ने के मूल्य, चीनी की

वास्तविक उपलब्धि, मोसम की अवधि, स्टोर की लागत, वेतन तथा मजदूरी, मूल्यहास, रख-रखाव तथा मरम्मत, अन्य ऊपरी खर्च, लगाई गई पूंजी पर लाभ और चीनी की बिक्री से प्राप्ति जैसे तथ्यों पर निर्भर करता हैं। क्योंकि ये तथ्य प्रत्येक कारखाने में भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिये उत्पादन लागत और मुनाफा भी प्रत्येक कारखाने में भिन्न-भिन्न होता है। क्योंकि चालू मौसम में चीनी के सभी जगह भिन्न-भिन्न मूल्य दिये गये हैं इसलिए चीनी की उत्पादन लागत में भी पर्याप्त भिन्नता होगी। चालू मौसम अभी भी चल रहा है और इसलिए चीनी कारखानों द्वारा कमाये गये मुनाफे के सम्बन्ध में ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि कुछ कारखानों ने काफी अधिक मुनाफा कमाया होगा।

(ख) खुले बाजार में चीनी की बिक्री से अधिक वसूली होने का कारण कुल मिलाकर देश भर की चीनी मिलें सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से पहले ही अधिक मूल्य दे रही है।

श्री बी० पी० मोर्य : मेरा एक व्यवस्था कर प्रश्न है। उत्तर प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहिये। निहित स्वार्थों का समर्थन करने के लिए सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिये।

प्रो० शेर सिंह : वे गन्ना उत्पादकों को अधिकतर आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य अदा कर रहे हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये अजीब उत्तर को देखते हुए क्या मैं जान सकता हू कि क्या सरकार का यह मत है कि चीनी के कारखाने इस चालू मौसम में बहुत अधिक लाभ नहीं कमा रहे ? यदि चीनीं के ऊंचे मूल्य और गन्ने के कम मूल्य को देखते हुए उनका यह मत है कि बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा है तो गन्ना उत्पादकों को लाभ का समुचित अंश दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

प्रो० शेर सिंह : कुछ कारखानों ने बहुत अधिक लाभ कमाया है ? मैंने स्वयं यह कहा है कि कुछ कारखानों ने बहुत अधिक लाभ कमाया है। कुछ कारखाने, उदाहरणतया मध्य प्रदेश और बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हैं जिनके लाभ इतने अधिक नहीं हैं जिन्हें मेरे मित्र बहुत अधिक कह सकें। यह कारखाने अपनी लागत ही वसूल कर सकें हैं। कुछ मामलों में कारखानों ने पर्याप्त लाभ कमाया है। हम चीनी के सम्बन्ध में दीर्घकालीन नीति निश्चित करने के लिये इस सारे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उत्पादकों को कितना अंश प्राप्त होता है ?

प्रो० शेर सिंह : जैसा मैंने बताया है हम राज्यों से कहते हैं कि कारखानों को बाध्य किया जाए कि गन्ना उत्पादकों को ऊंचा मूल्य अदा करें और न्यूनतम मूल्य अर्थात् 7·37 से अधिक मूल्य भी अदा किया गया है। यह मूल्य उत्तर प्रदेश 11·30 से 11·50 रुपये हरियाणा में 11 रुपये पंजाब में 9·50 रुपये का और महाराष्ट्र में यह 11 रुपये से अधिक है। अतः उत्पादकों को सामान्यता न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा किया जा रहा है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मन्त्री के उत्तर से प्रतीत होता है। गन्ना उत्पादकों को संरक्षण देने अथवा लाभ में से उचित अंश दिलाने के बारे में कोई निर्धारित नीति नहीं है और तदर्थ मूल्य नियत करने का प्रश्न मिल-मालिकों की मर्जी पर छोड़ा दिया गया है। अत: मेरा प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय द्वारा व्यक्त इस विचार को देखते हुए कि क्योंकि कार्य का मौसम चालू हो चुका है इसलिये कोई कार्यवाही करना कठिन है, क्या इस मौसम के समाप्त हो जाने पर कम से कम आने वाले मौसम में कोई ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिससे उत्पादकों को लाभ का उचित भाग मिल सके अथवा गन्ने का न्यूनतम मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया जा सके ?

प्रो० शेर सिंह : सारी नीति विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

Shri Sanjiv Pandey : Mr. Deputy speaker. Sir a direct Question was put to the Hon. minister whether the sugar factories made fabulous profits or not. But the Hon. Ministr gave a spcech in their report and said that certain factories made substantial profits. Second question was whether cane Growers would be paid any bonus or not. whether instructions are being issued to such factories which made fabulous profits to pay bonus to cane growers ?

Prof. Sher Singh : I have said that certain factories made profits. I have not denied it. we made efforts to get higher prices for cane Growers but further action is under consideration we are considering a long term policy.

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the linking farmulae under which factories earning substancial profits were required to pay a share to cane Growers and supply sugar at cheap rates to consumers, has been discarded ? Sugar mills owners are making crores of rupees by raising the Prices. It was decided that sugar would be sold at the rate of Rs. 2/- Per Kg. May I know what aetion has been taken in this regard ? what policy is being adopted in order to increase acreage under Sugar cane cultivation. Sugar cane cultivation has decreased by 60 percent what is the government's policy in this regard ?

Prof. Sher Singh : Consumers are being given 60% at the rate of Rs. 2/- per Kg. **(Interruption)** I have already stated that 60% sugar is being sold at the rate of Rs. 2/- per Kg. and it is being sold at the rate of Rs. 2.00 per kg. in cities like Delhi.....**(Interruption)**

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न पूछा और माननीय मन्त्री ने जो भी उत्तर हो सकता था दे दिया है। इससे अधिक मैं इसमें कुछ करने में असमर्थ हूं।

Shri Atal Behari Vajpyee : 60% sugar is being supplied to the government at cheaper rates by Sugar Mill owners but 40% Sugar which is for open sale is being sold at the higher prices. May I know whether it is a fact that Mill oweners are earning a porfit of Rs. 1200 per ton ? Why the govrenment is satified with 6.0% Sugar and why the whole Stock is not being taken over and arrangements made for it's distribution.

Prof. Sher Singh : I have already stated that the whole question is under consideration **(Interruption)**.

Shri D. N. Tiwari : Mr. Deputy speaker sir a direct question was put, whether has there has been a steep rise in the the price of sugar or not and it could have been answered 'yes' or 'No' It has two aspects what is paid to the cane Growers out of the higher profits earned and what steps are being taken to protcet consumers ? What steps government

propose to take to check the difficulties of consumers due to steep rise in prices ? Previous rate was 70: 30, if they have to be protacted it should be made 80: 20.

Prof. Sher Singh : I have stated that this ratio was 60 : 40 at the time of decontrol and priviously it was 70 : 30 How the question of proportion is under consideration Because it involve a policy question it would be decided at a cabinet level.

अनेक माननीय सदस्य : उठे

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत समय ले रहा है। हमें अन्य प्रश्न भी लेने हैं। श्री एस बी० गिरी :

श्री एस० बी० गिरी : चीनी मिलें पिछले 10 वर्षों से अत्यधिक लाभ कमा रही हैं। उपभोक्ताओं को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। हमें काला बाजार में चीनी खरीदनी पड़ती है। क्या सरकार कम से कम अब अध्यादेश जारी कर देगी ? गन्ना उत्पादकों को पिछले 10 वर्षों से चीनी मिलों के लाभ में से पर्याप्त अंश नहीं मिल रहा है। क्या सरकार कम से कम अब अध्यादेश जारी करके यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना उत्पादकों को भविष्य में मिलों के लाभांश में से बोनस दिया जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें अध्यादेश जारी करने की बात कहां से आती है ?

श्री एस० बी० गिरी : श्रमिकों के लिए एक बोनस अधिनियम है और श्रमिकों से कम से कम चार प्रतिशत बोनस दिया जाता है। एक विधेयक आने भी वाला है। अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या चीनी मिलों के लाभ में से गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम बोनस दिलाने के सम्बन्ध में कोई विधान प्रस्तुत किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है।

कई माननीय सदस्य उठे

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार ठीक से और स्पष्टतया यह बतायेगी कि उत्तरी भारत के चीनी कारखानों में चीनी के उत्पादन की वास्तव लागत क्या है और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रो० शेर सिंह : जहां तक उत्पादन लागत का सम्बन्ध है, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मैंने पहले ही सूचित किया है कि उत्पादन लागत अनेक बातों पर निर्भर करती है। अलग अलग कारखानों में यह बातें अलग-अलग हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सम्बन्ध में न्यूनतम और अधिकतम लागत बता दी जाये।

प्रो० शेर सिंह : पूर्व सूचना के बिना कैसे बताई जा सकती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय को इस प्रकार पीछा छुड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप चाहें उन्हें कितना ही संरक्षण क्यों न दें···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें संरक्षण देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम जानना चाहते हैं कि जहां तक देश में चीनी के उत्पादन का

सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में उत्पादन लागत के न्यूनतम और अधिकतम आँकड़े क्या हैं ? उन्हें यह बताना चाहिये ।

प्रो० शेर सिंह : उसके लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सदन और हम माननीय मन्त्री को इस प्रकार उत्तर देकर पीछा छुड़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये । (**अन्तर्बाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये । कृपया मेरी बात सुनें । में समझता हूँ कि प्रश्न से सदस्य बहुत उत्तेजित हो गए हैं । परन्तु प्रश्नोत्तर काल में इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता । यदि आप उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो इस विषय को उठाने के अन्य साधन भी हैं । उनका कहना है कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे डर है कि सदन में शान्ति बनाने में आप को सहयोग नहीं दे सकता । महोदय, क्या आप इस उत्तर से सहमत हो सकते हैं ? माननीय मन्त्री ने अभी बताया है कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में, कि देश के विभिन्न प्रदेशों में चीनी उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले अलग-अलग कारण हैं । मैं अब उनसे पूछता हूँ कि देश में चीनी की प्रति किलो अथवा प्रति क्विंटल न्यूनतम अथवा अधिकतम उत्पादन लागत क्या है ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने पूर्व सूचना देने की माँग की है । जबतक इसके अनुमान लगाये जाएं ऐसे कैसे बताया जा सकता है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । उनका कहना है कि उन्हें सूचना चाहिये । उन्हें आँकड़े एकत्र करने हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय; यदि आप प्रश्न को देखें तो आपको प्रतीत होगा कि यह प्रश्न चीनी मिलों के लाभ, है चीनी के मूल्य और देश में गन्ना उत्पादकों को बोनस देने के बारे में है । प्रश्न के इन सभी पहलुओं में उत्पादन लागत कर सम्बन्ध है और उनके पास प्रश्नों का उत्तर अवश्य होगा उन्हें तीन सप्ताह का नोटिस चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नोटिस चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब उन्हें पता था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा तो उन्हें इस सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करके सदन में आना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शाँति ।

Shri Atal Behari Vajpay : Mr. Deputy speaker, sir, you should ensure him. He has not come fully prepard.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने वाला है । यदि वह नोटिस चाहते है तो आप नोटिस दे दें । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे भी यहां पर कुछ अधिकार हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रश्न पढ़ा । लाभ का पता तभी लग सकता है जब उत्पादन लागत ज्ञात हो । (**व्यवधान**)

Shri Hukrm Chand Kachwai : You are unnecasarily ringing the bell. This woud serve the purpose.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यह बता रहा हूँ कि यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में वे बहुत चिंतित हैं तो और क्योंकि माननीय मंत्री का कहना है कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये अतः सदस्य पूर्व सूचना देकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

Shri Hukagm Chand Kachwai : You may refer to the question. It clicits clear infromations It could not be made more precise than this ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मन्त्री महोदय तैयार होकर क्यों नहीं आए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको मालूम होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहिले ही कह चुका हूँ। यह कार्यवाही वृतान्त में भी है··· (**व्यवधान**) ··· कि मंत्री महोदय को सदन में पूरी तरह तैयार होकर आना चाहिये। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं। अगला प्रश्न, श्री समर गुह।

Shri Hukam Chand Kachwai : How many days notice may be given ?

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आप माननीय मन्त्री के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। अगला प्रश्न।

श्री बी० पी० मोर्य : मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

श्री समर गुह : उठे।

प्रो० शेर सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री समर गुह : क्या यह मजाक है ? जब भी आप मुझे प्रश्न पूछने को कहते हैं व्यवधान आ जाता है (**व्यवधान**)

प्रो० शेर सिंह : मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न का सम्बन्ध चीनी मिलों के लाभ और गन्ना उत्पादकों को बोनस के रूप में दिये जाने वाले लाभांश के बारे में हैं। इस तरह से इसका उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्पादन लागत को जाने बिना आप लाभ कैसे निकाल सकते हैं ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister is again misleading the house. He should be asked to come fully prepared.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (**व्यावधान**)

Shri Hukam Chand Kachwai : If you peanalise him he would come prepared. We do not have time for giving notice. You should ask him to come prepared and reply tomorrow.

श्री समर गुह : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कम से कम आधा दर्जन बार मुझे प्रश्न पूछने को कहा है। अब मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिये बिना और मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिये बिना क्या आप यह कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : संभव है कि आप ठीक हों परन्तु आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं सदन के हाथों में हूँ। उन परिस्थितियों में मैं अपने आपको अशक्त पाता था। मैं घड़ी को आपके हेतु रुकने का आदेश नहीं दे सकता। कृपया मेरे साथ सहयोग करिये।

श्री समर गुह : ऐसे उदाहरण हैं जब मन्त्री महोदय के उत्तर के लिए प्रश्नोत्तर काल को दो मिनट के लिए बढ़ाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है और उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री समर गुह : ऐसा करना भविष्य के लिए अच्छा उदाहरण नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य के लिए मैं देखूंगा कि क्या किया जाना है। परन्तु इस समय मैं अगले कार्य पर पहुंच गया हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Reorganisation and Expansion of Teaching of Science

* 821 **Shri Onkar lal Berwa** : will the minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) Whether Government have entered into an agreement with U. N. I. C. E. F. in regard to the re-organisation and expansion of teaching of Science at school level: and

(b) If so, the salient features there of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) . (a) & (b) : The original agreement was entered into with UNICEF in April 1967. The agreement covered training of teachers to teach the new science curriculum developed with UNESCO assistance, the supply of equipment to teacher training institutions, and try out of the new text books in a few schools in each state. Recently, the scope of the scheme has been widened and a supplemental agreement was signed in April, 1972.

Under the agreement, UNICEF has so far given assistance valued at 3,014,000 and will be allocating a further amount of 7,022,000 for the implementation of the project. The assistance which is to serve as a catalyst for the introduction of the new science curriculum and textbooks on as wide a scale as possible, is given for :

(i) The translation and printing of new science text-books and other instructional materials in regional languages;

(ii) Training of science teacher educators and science teachers at different levels;

(iii) Supply of laboratory equipment to selected teacher training institutions and new science kits to selected schools;

(iv) Supply of one mobile laboratory and one vehicle for the science supervisory personnel to each tate.

So far, laboratory equipment has been supplied to 579 teacher training institutions and science kits to about 1,300 schools. In the next phase, it is proposed to equip another 500 teacher training institutions and 55,000 Schools with laboratory equipment and science kits, respectively.

Construction of Bridge over Chambal river in Rajasthan.

*822. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1944 on the 11th. June 1971 regarding the lean for the construction of Bridge over Chambal river in Rajasthan and state :

(a) Whether the Central Government have since given a loan of Rs. 70 lakhs to the Government of Madhya Pradesh and Rajasthan for the construction of an inter State bridge over Chambal between sheopur Kala and Swai Madhopur;

(b) if so, the report receieved by the Central Government from the said State Governments in regard to the Progress of the construction work on this bridge; and

(c) the time likely to be taken in completing the construction work of the bridge ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport : (Shri Raj Bahadur) : (a) It has been deeided to give a total loan assistance of Rs. 70 lakhs to the two State Government of Rajasthan and Madhya Pradesh.

(b) The Government of Rajasthan have so far sanctioned an estimate amounting to Rs. 2·62 lakhs only, for conducting survey and sub-soil explorations for the proposed Chambal Bridge and this work only is in progress at present, After the investigation work is completed, the State Government would prepare detailed plans and cost estimate for the bridge project. Necessary action to release funds against Central Loan Assistance will be taken by the Government of India as soon as intimation regarding the sanction of the detailed estimate is received from the State Governments. In the meantime, action to place funds to the extent of Rs. 2.62 lakhs at the disposal of Rajasthan Government against Central loan for survey and sub-soil exploration work is being taken.

(c) Because of the many formalities yet to be completed, it is premature to indicate the time of completion of the work at this stage.

उड़ीसा में सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों संबंधी योजना

*828. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उड़ीसा के किन-किन जिलों में सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों सम्बन्धी योजना को लागू किया गया है; और

(ख) क्या उक्त योजना को उड़ीसा के पुरी जिले में भी लागू करने का विचार है और यदि हाँ, तो कब तक ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) उड़ीसा में कटक तथा के ओनभर नामक दो जिलों में सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की योजना लागू कर दी गई है ।

(ख) जी नहीं; वर्तमान में भारत सरकार के विचाराधीन इस योजना को उड़ीसा के पुरी जिले तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवास समस्या को हल करने हेतु अपनाई गई विधि के बारे में विचार-विमर्श

*830. **श्री सी०टी० दण्डपाणि :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों तथा आवास बोर्डों के प्रतिनिधियों को इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिये बुलाया जाये कि दिल्ली की की आवास समस्या को दिल्ली विकास प्राधिकरण कैसे हल कर सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इस सुझाव से सहमत हो गई हैं;

(ग) बैठक के कब तक बुलाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) आवास समस्याओं को सुलझाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या सहायता दी जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (घ) तक : ऐसा एक प्रस्ताव किया गया है और राज्य आवास बोर्डों तथा राज्य सरकारों की राय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ग्रामीण आवास योजनाओं की प्रगति

*831. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास योजनाओं की प्रगति में मुख्य बाधाएं क्या है; और

(ख) ग्रामीण आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : कुल साधनों की कमी तथा अन्य क्षेत्रों को उच्चतर प्राथमिकता देना ही ग्रामीण आवास योजनाओं की धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी रहा है । तथापि, यह मान लिया गया है कि ग्रामीण भूमिहीनों की ग्रामीण आवास की समस्या अति गम्भीर है जिनके पास एक आवास-स्थल तक भी नहीं है जिस पर वे आश्रय के लिये कुछ बना सकें, जिसे वे अपना कह सकें, जिसे, चालू वर्ष से 100 प्र० श० अनुदान सहायता के आधार पर एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता को स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बदला जाना

*833. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता को स्वायत्तशाली निकाय के रूप में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं की मोटी रूप रेखा क्या है तथा

प्रस्तावित कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)(क) और (ख) : लोक सभा पटल पर 14 अगस्त, 1970 को रखी गयीं समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निदेशक कि नियुक्ति के तुरन्त बाद सलाहकार परिषद् के स्थान पर प्रभावी प्राधिकार का प्रयोग करने वाली शासी परिषद् का गठन करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को भी सभा पटल पर उसी तारीख को रख दिया गया था। उस वैधानिक तथा प्रक्रियात्मक ढाँचे की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है, जिसके अन्तर्गत यह किया जा सकता है।

Permits for Plying Mini Buses in Delhi

*834. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to grant route permits for plying mini buses in Delhi soon;

(b) The number of applications received by Government so far for this purpose and the number of applicants granted permits for plying mini buses: and

(c) The broad policy adopted by Government for granting permits for plying mini buses ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transporr (Shri Ra Bahadur) : (a) Yes. The State Tranport Authority, Delhi, had decided to grant permits for 100 Mini buses, out of which permits for 65 have already been sanctioned.

(b) About 2,700 applications have been received by the said Authority in response to the notice inviting fresh applications for the remaining 35 buses. These applications are still under consideration.

(c) A statement giving the information required is laid on the table of the Sabha.

Statement

The following order of priority was followed by the state Transport Authority, Delhi when permits for 65 mini buses were granted last time:—

(i) Taking into consideration the finacial resources of the Delhi Transport Undertaking, 30 permits were sanctioned to it. (The Uudertaking, however, failed to obtain these permits).

(ii) Transport Co-operative Societies in accordance with Section 47 of Motor Vehicles Act, 1939.

(iii) Ex-servicemen, who were disabled in action/dependents of ex-servicemen killed in action for their rehabilitation.

(iv) Public Limited Companies. But since there was no applicant in this category, the permits were sanctioned to Private Limited Companies.

The State Transport Authority, Delhi, has not yet taken a decision in regard to the criteria to be adopted for the grant of the remaining 35 permits for mini buses.

नलगोंडा (आंध्र प्रदेश) में कृषि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनायें

*835. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नलगोंड़ा जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएं हैं;

(ख) क्या छोटे तथा भूमिहीन मजदूरों के लाभ के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) . जी हाँ । फिर भी राज्य सरकार से पूर्ण जानकारी एकत्र की जा रही है ।

जहां तक लघु तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों को केन्द्रीय क्षेत्र की विकास योजनाओं का सम्बन्ध है, जिले में एक लघु कृषक विकास एजेन्सी परियोजना और एक सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना जारी है । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन्नत कृषि प्रणालियों को अपनाने की दृष्टि से कृषक समाज के दुर्बल वर्गों की सहायता करना है, जिससे अन्ततः कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिलती है ।

(ग) नलगोडा जिले में चलाई जा रही लघु कृषक विकास एजेन्सी और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं की मुख्य बातें सभा पटल पर रखे विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में लघु तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के विकास के लिये चलाई जा रही परियोजनाओं की मुख्य बातें ।

	लघु कृषक विकास एजेन्सी	सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक
(1) परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी के पंजीकरण की तिथि ।	20–11–70	भारत सरकार द्वारा 7-1-71 को परियोजना की स्वीकृति दी गई थी । लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक परियोजनाओं को एक ही एजेन्सी लागू कर रही है ।
(2) कार्यान्वित का क्षेत्र ।	सूर्यापेट, नलगोंडा तथा रामान्नपेट तालुक	नालगोंडा, रामान्नापेट तथा भोनगिर तालुक
(3) लाभान्वित होने वाले छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या ।	50,000 छोटे कृषक (2·5 से 8 एकड़ तक)	15,000 सीमान्त कृषक (2·5 एकड़ तक) तथा 5,000 कृषि श्रमिक

(4) लघु सिंचाई (जिसमें नये कुंओं का निर्माण करना, वर्तमान कुंवों की मरम्मत करना आयल इंजन तथा विद्युत पम्पों आदि का क्रय करना भी सम्मिलित है) ।

(5) पशु पालन (जिसमें डेरी एकक, कुक्कुट एकक, बतख पालन एकक तथा भेड़ एकक एकक भी सम्मिलित हैं)

(6) लघु भंडारण ।

(7) कृषि उद्योग निगम आदि संस्थाओं द्वारा सहभागी कृषकों के लिए कस्टम सेवा की व्यवस्था करना ।

	लघु कृषक विकास एजेन्सी	सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक
(8) देहाती दस्तकारों की सहायता का कार्यक्रम (प्रशिक्षण तथा उपकरण)	5 लाख	5 लाख
(9) ग्राम निर्माण कार्यक्रम (रोजगार दिलाने के लिये देहाती सड़कों, मिट्टी के बाँधों, मेंड बन्दी का निर्माण)	कुछ नहीं	20 लाख
(10) परियोजना के लिए कुल प्लान प्रावधान	150 लाख	100 लाख

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं में पूंजी लगाना

*836. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा गत तीन वर्षों में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए कुल कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) मध्य प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितनी पूजी लगाई गई और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में योजना को आरम्भ किया गया है और उसका कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा संस्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं को ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	संस्वीकृतयोजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम की वचन-बद्धता	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा राशि वितरण
1968-69	71	64·92	58·43	11·54
1969-70	62	48·68	43·81	22·33
1970-71	55	49·41	44·52	23·06
1971-72 (31 मार्च 1972 तक)	125	62·14	56·08	13·83
	313	225·15	202·15	70·76

(ख) निगम द्वारा मध्य प्रदेश के लिये अभी तक 25 लघु सिंचाई योजनायें संस्वीकृत की गई है, जिनके लिये 21·76 करोड़ रुपये की सहायता की आवश्यकता होगी। इनमें से 19·58 करोड़ रुपये निगम द्वारा दिये जाने थे। 30 जून, 1972 तक इस राशि में से 5·66 करोड़ रुपये ले लिये जाने की संभावना थी, किन्तु मार्च, 1972 के अन्त तक केवल 2·26 करोड़ रुपये ही वस्तुतः लिये जा सके।

(ग) विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2020/72**]

Black-Marketing in Cement in Delhi

*837. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether construction work has been suspended in Delhi due to non-availability of cement;

(b) Whether the consumers have to pay Rs. 15/—or Rs. 16/—per bag of cement (in black—mgrket); and

(c) If so, the steps taken by Government to check black-marketing in cement and ensure its sale at control rates ?

The Minister of Works aud Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit): (a) No complaints regarding suspension of works have been received although the works under execution by the C. P. W. D. have had to be slowed down occasionally due to inadequate supply of cement.

(b) & (c) : Prior to 28-4-72, there was no statutory control over the cement prices. During that period, several complaints of dealers charging prices in excess of those fixed by the cement companies were received by the Delhi Administration. With effect from 28—4—72, the Cement prices were fixed by by the Delhi Administration under the provisions of the Delhi Specified Articles (Price Control) order, 1971. As a result ofthis as will as other measures taken by Government such as opening of another Railway terminal for unloading of cement wagons at Shakurbasti. the availability of Cement to consumers has improved.

उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 60 प्रतिशत चीनी के वितरण के लिये सांविधिक विनियम

*838. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की वर्तमान वितरण व्यवस्था के स्थान पर, जिसके अन्तर्गत मिलों से स्वेच्छा से अपने उत्पादन के 60 प्रतिशत भाग को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण करना स्वीकार कर लिया था, सांविधिक विनियम लाया जा जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि चीनी की मौजूदा नीति में कैसे और किस हद तक परिवर्तन किया जाए। अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा 'इन्डियन कांउसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स' के संयुक्त ग्रंथालय का विभाजन

*839. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा 'इण्डियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स' के संयुक्त ग्रंथालय का विभाजन करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र ही अधिकांशतः इस ग्रंथालय का प्रयोग करते हैं तथा वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस ग्रंथालय को ज्यों का त्यों उनके 'कैम्पस' में ले आया जाये; और

(घ) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : पुस्तकालय के भविष्य के बारे में निर्णय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद के प्राधिकारियों के बीच आपसी विचार-विमर्श द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हो रहा है।

(ग) और (घ) : पुस्तकालय के नियमित उपयोगकर्ताओं में से अधिक संख्या अध्यापकों और अनुसंधान अध्येताओं की है। विश्वविद्यालयों के छात्र संघ से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सम्पूर्ण पुस्तकालय को ज्यों का त्यों विश्वविद्यालय परिसर में ले जाना चाहिये। इस संबन्ध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकारियों की है।

New Technique for Construction of Cheap and Durable Houses

*840. **Dr. Laxminarain Pandey :**

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state ;

(a) Whether Government propose to construct houses on a large scale based on the new technique of constructing cheap and durable houses; and

(b) If so, the name of the person who has developed the said technique and the main features there of ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shahkar Dikshit) : (a) and (b) : It is not quite clear which particular technique for constructing cheap and durable houses and by whom have been referred to in the question. If specific details are furnished, an answer will be given.

Late Pt. Makhan Lal Chaturvedi

6003. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to perpetuate the memory of the Late Pt. Makhan

Lal Chaturvedi, a national poet; and

(b) If so, the manner in which it would be done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Cultare (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : According to information available, the Government of Madhya Pradesh propose to establish a Chair in Saugar University in the memory of Late shri Makhan Lal Chaturvedi.

बंगलोर में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का एक पृथक सर्किल खोला जाना

6004. **श्री पम्पन गोडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का एक अलग भूविज्ञान सर्वेक्षण सर्किल खोला जाये जिसका मुख्य कार्यालय बंगलोर में हो, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है, और यदि नहीं, तो मैसूर राज्य के हित को ध्यान में रखते हुये कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सर्वेक्षण के मौजूदा सर्किलों की सीमाओं का पुन: सीमाकन करना जिससे एक सर्किल का निर्माण करना और उसका मुख्यालय बंगलौर में स्थापित करना जिसमें शामिल है, यह सरकार द्वारा 1965 में नियुक्त की गई पुरातत्व पुनरीक्षण समिति को सिफारिशों में से एक है । यह अभी निर्णय किया गया है कि यथासम्भव और क्रमिक रूप में समिति को सिफारिशों की जाँच और कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया जाए । सर्वेक्षण की सीमाओं के पुन: सीमाकन से सम्बन्धित सिफारिश पर भी समिति को अन्य सिफारिशों के साथ विचार किया जाएगा ।

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में पंजाबी का शिक्षण

6005. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969, 1 अप्रैल, 1970 , और 1 अप्रैल, 1971 को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में पंजाबी पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा पंजाबी के उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिनकी शिक्षा का माध्यम पंजाबी है ।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में शिक्षा का माध्यम पंजाबी रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होते रहने के क्या कारण हैं

(ग) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में पंजाबी पढ़ाने वाले अध्यापकों के पदों को कम संख्या में बनाने के क्या कारण है, और

(घ) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में पंजाबी का अध्ययन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) (1) चण्डीगढ़ के संघीय क्षेत्र में पंजाबी को एक विषय के रूप में पढ़ाते वाले अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है—

1–4–1969 को	1–4–1970 को	1–4–1971 को
200	232	247

(2) पंजाबी को शिक्षा के माध्यम के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है हैं—

1–4–1969 को	1–4–1970 को	1–4–1971 को
7929	8458	8586

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस मामले की चण्डीगढ़ प्रशासन आवश्यकतानुसार जाँच पड़ताल कर रहा है।

विश्व पुस्तक मेले पर हुआ व्यय

6006. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में आयोजन किये गये विश्व पुस्तक मेले पर कुल कितना व्यय हुआ, और

(ख) भारत सरकार, यूनियन, और अन्य अधिकरणों ने कितना कितना व्यय वहन किया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय यथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) मेले के लेखों (अकाउण्टस्) को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अनुमान है कि इस मेले के आयोजन पर लगभग 15·00 लाख रुपये का व्यय हुआ है जिसमें से उन्हें 7·00 लाख रुपये राजस्व के रूप में वसूल होने की आशा है।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को विश्व पुस्तक मेले के आयोजन के लिये अभी तक सरकार द्वारा 6,60,000 रुपये संस्वीकृत किये गये हैं। इस मेले में भाग लेने के लिये अफ्रीकी चार देशों से प्रत्येक के दो दो प्रतिनिधियों की यात्रा का खर्चा वहन करने हेतु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा भारत में प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेता संस्थाओं के संघ को कुल मिला कर 56,220 रुपये के अतिरिक्त अनुदान संस्वीकृत किये गये हैं। इस विश्व पुस्तक मेले के एक भाग के रूप में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में कुछ अन्य विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने के लिये उनको यात्रा का खर्चा वहन करने हेतु यूनेस्को ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को 7000 डालर का अनुदान सस्वीकृत किया है। यूनिसेफ अटावा किसी अन्य एजेन्सी से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

केरल में संस्थानों को विज्ञान वेद्यशाला उपकरण देना

6007. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन संस्थानों के नाम क्या है जिनको भारत सरकार तथा यूनिसेफ के बीच हाल में हुये करार के अन्तर्गत विज्ञान वेद्यशाला उपकरण मिलेगे, और

(ख) इस करार के अन्तर्गत केरल में कितने स्कूलों को विज्ञान 'किट' मिलेंगे,

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) नव विज्ञान पाठ्यचर्या को जारी करने के लिये अप्रैल, 1972 में यूनिसेप/यूनेस्को के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिसके अन्तर्गत यूनिसेफ द्वारा अगले तीन वर्षों के दौरान सारे देश में 55,000 स्कूलों के लिये विज्ञान सामग्री (किट्स) और 500 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये प्रयोगशाला उपस्कर दिये जायेंगे। अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा चुने जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण-संस्थान और स्कूलों की संख्या जानने के लिये प्रत्येक राज्य से बातचीत चल रही है। योजना के अधीन अवर प्राईमरी स्कूल और उच्च प्राईमरी स्कूलों के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों और कालेजों को भी उपस्कर दिये जाने हैं।

नये केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

6009 **श्री मातण्ड सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या है जिनमें 1972 में नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, और

(ख) उस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1972–73 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 11 नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है :

रक्षा क्षेत्र

1. आई० एन० एस० वलसुरा जामनगर (गुजरात)
2. बालसोर (उड़ीसा)
3. एयर फोर्स स्टेशन बरनाला (पंजाब)
4. आई० एन० एस० हमला मलाड बम्बई (महाराष्ट्र)
5. आर्डनेन्स फेक्टरी भंडारा (महाराष्ट्र)
6. बेनगुडबे (पश्चिम बंगाल)

असैनिक क्षेत्र

7. रायबेरली (उत्तर प्रदेश)
8. आर० डी० एस० ओ, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

9. दिल्ली

10. कोलोवाडा, बम्बई ।

सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र

11. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, बैरौनी (बिहार)

(ख) : 1972–73 के शिक्षणिक वर्ष के दौरान 10 नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये भारत सरकार ने 16·50 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की है । 11 वे विद्यालय का खर्चा भारतीय उर्वरक निगम द्वारा वहन किया जाएगा ।

बिहार के लिये विदेशी नसल के सांढ़ों तथा गायों की मांग

6010. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 1972–73 के लिये विदेशी नसल के सांढ़ों तथा गायों को मांग की है और यह मांग कब को गई थी;

(ख) उक्त मांग को किस हद तक पूरा कर दिया है और क्या इस माँग को पूरी तरह पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस माँग के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विदेशी पशुओं की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जुलाई 1969 में प्राप्त वार्षिक पूर्वानुमानों में बिहार सरकार ने वर्ष 1972–73 की अवधि के लिये 20 जर्सी सांड़ो, 20 प्रोजियन सांड़ो तथा 10 भूरे स्विस सांड़ों की मांग की थी ।

(ख) तथा (ग) : बिहार सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को पशु वितरित करने के प्रश्न पर वर्ष 1972–73 की अवधि के लिये सम्बन्धी योजना अथवा अन्य एजेन्सियों से पशु प्राप्त होने के बाद अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय डेरी निगम द्वारा पशुओं का आयात होने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा । इस वर्ष के लिये अभी से नियत करना संभव नहीं है ।

शिक्षा और रोजगार के लिये विदेश जाने वाले मेडिकल स्नातक

6011. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कालेजों और अस्पतालों से शिक्षा और रोजगार के विचार से विदेश जाने वाले मेडिकल स्नातकों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था से ऐसे कितने स्नातक विदेश गये और विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में बरते गये उपचारात्मक उपायों के बारे सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

चिकित्सा कार्मिकों तथा अन्य वैज्ञानिकों इन्जीनियरों और शिल्प विज्ञानियों के शिक्षा और रोजगार के लिये विदेश जाने पर रोक लगाने के लिये निम्नलिखित उपाय बरते गये हैं—

(1) विदेश से लौटने वाले सुप्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों एवं शिल्प विज्ञानियों को अस्थायी रूप से रोजगार देने के लिये एक वैज्ञानिक पुल का बनाया जाना;

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्य पद सर्जित करना जिससे विदेशों में कर रहे तथा अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को शीघ्रता से अस्थायीरूप से कहीं काम पर लगाया जा सके ।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोगों ने उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिये राष्ट्रीय रजिस्टर में जिन भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प विज्ञानियों के विवरण दर्ज हैं उन्हें व्यक्तिगत सम्पर्क— (पर्सनल केन्टैक्ट) उम्मीदवार के रूप में मानने के लिये सहमत हो गये हैं । संघ लोक सेबा आयोग ने भारत रिक्त होने वाले पदों के लिये विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प विज्ञानियों के साक्षात्कार परिक्षा की व्यवस्था कर दी है ।

(4) विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प विज्ञानिकों के पंजीयन के लिये तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों एवं प्राईवेट सेक्टर के बड़े-बड़े स्थापनाओं उनके नाम परिचालित करने के लिये वैज्ञानिक तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में एक विशेष अनुमान का रख-रखाव करना, ऐसे कार्मियों के नाम केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के मैन पावर मासिक पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं: और यह पत्रिका सम्पूर्ण भारत के लगभग 3000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है ।

(5) जिन वैज्ञानिकों का भारतीय अनुसंधान संस्थाओं में नियुक्ति के लिये चयन हो जाय और जो इन संस्थानों में कम से कम तीन सालों तक काम करने का अनुबन्ध देते हो उनके लिये यात्रा भत्ता देने के लिये प्रावधान करना ।

(6) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय संस्थानों और राज्य संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की परिलब्धियों में वृद्धि करना ।

(7) ग्राम क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को विशेष रियासत । वित्तीय प्रोत्साहन देना ।

(8) डाक्टरों और विशेषज्ञों की सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करना और । अथवा सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें दोबारा रोजग र देना ।

(9) विदेशों के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में काम करने के अनुभव को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिये एक वर्ष के शिक्षण के अनुभव के बराबर माननें के लिये चिकित्सा परिषद् ने अपनी सहमति दे दी है इससे सुप्रशिक्षित चिकित्सा कार्मिकों को शैक्षिक संवर्ग में आने के लिये मदद मिलेगी ।

(10) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डाक्टरों को वित्तीय सहायता देने की योजना चलाना ।

कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले जहाजों में स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशतता और सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन

6012. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले जहाजों में उनके निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के पूरा होने तक, स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वदेशी पुर्जो की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिये कोचीन शिपयार्ड के आसपास सहायक उद्योगों को विकास करने का है अथवा उनके विकास को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इन सहायक उद्योगों में रोजगार क्षमता क्या होगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस शिपयार्ड के निर्माण के प्रारम्भिक चरण में बनने वाले जहाजों में स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशतता बताना संभव नहीं है क्योंकि अनुपंगी उपस्करों का उपयोग जहाजों की विशिष्टियों, विशेष क्रमों में बनाये जाने वाले जहाजों की संख्या इत्यादि पर निर्भर करता है ।

(ख) जी, हाँ, सरकार का अनुपंगी उद्योगों के विकास को अधिकतम प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ।

(ग) जब तक बनाये जाने वाले जहाजों के लिये अनुपंगी उपस्करों की आवश्यकताओं के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध होते हैं तब तक अनुपंगी उद्योगों में रोजगार क्षमता की कोई ठोस सूचना देना भी संभव नहीं है ।

वन्य जीवन को संरक्षण

6013. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि वन्य जीवन को समुचित संरक्षण दिया जाये तो क्या यह विदेशी मुद्रा अर्जन का बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) समस्त राज्यों में वन्य प्राणी आश्रय स्थलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कर दी गई है, जहाँ कि वन्य प्राणी स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकते हैं और जहां उनमें वृद्धि भी हो सकती है।

(2) महत्वपूर्ण वन्य प्राणी आश्रय स्थलों तथा उद्यानों में आवास, परिवहन तथा अन्य सुख-सुविधाओं जैसी सहूलियतों का विकास किया जा रहा है।

(3) भारत तथा विदेशों में पर्यटन कार्यालयों द्वारा पोस्टरों, फौल्डर विज्ञापनों आदि की सहायता से वन्य प्राणी पर्यटन का प्रचार किया जा रहा है।

(4) वन्य प्राप्ति नियमों को लागू करने के लिये राज्यों में वन्य प्राणी स्कन्धों की स्थापना।

कार्य के दिन चीनी की प्रतिशतता और गन्ने के लिए दिया गया मूल्य

6014. **श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायणन्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक चीनी फैक्ट्री में, 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 वर्षों में कार्य के दिन कितने थे, चीनी की वसूली प्रतिशतता क्या थी और गन्ने का प्रति क्विंटल क्या मूल्य अदा किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के मौसमों में कारखाना-वार कार्य-अवधि तथा गन्ने से चीनी की उपलब्धि की औसत प्रतिशतता बताने वाला विवरण-1 संलग्न है। इन तीनों मौसमों के दौरान प्रत्येक कारखाने द्वारा गन्ने का प्रति क्विंटल दिया गया मूल्य बताने वाला विवरण सं० 2 भी संलग्न हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2021/72]**

1970-71 के मौसम की समाप्ति पर और 30 अप्रैल, 1972 को गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि।

6015. **श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायणन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू मौसम (1971-72) के लिये गन्ने का प्रति क्विंटल क्या मूल्य दिया गया है और 1970-71 वर्ष के मौसम की समाप्ति पर (सितम्बर, 1971 को) और 30 अप्रैल, 1972 को प्रत्येक राज्य में फैक्ट्रीवार गन्ना उत्पादकों की कितनी धनराशि बकाया थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 1971-72 के दौरान कारखानों द्वारा गन्ने का दिया गया मूल्य बताने वाला विवरण-1 संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2022/72]** 30 सितम्बर, 1971 और 15 अप्रैल, 1972 को, कारखाना-वार, गन्ने के मूल्य के बकायों को बताने वाला विवरण-2 भी संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2022/72]** 30 अप्रैल, 1972 को गन्ने के मूल्य के बकायों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना अभी तक चीनी मिलों से प्राप्त नहीं हुई है।

बंगला देश में बेकार खड़े भारतीय 'फ्लेग शिप'

6016 : **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के चटगाँव पत्तन में काम के अभाव के कारण भारतीय फ्लैग शिप बेकार खड़े हैं; और

(ख यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) बंगला देश के चटगाँव पत्तन में काम के अभाव के कारण कोई भी भारतीय ध्वज पोत इस समय बेकार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

C. G. H. S. Mobile Dispensaries in Delhi.

6017. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleassed to state :

(a) Whether arrangements have been made for mobile dispensaries under the C. G. H. S. Scheme in Delhi;

(b) if so, the number of such Dispensaries and the areas covered by them; and

(c) Whether Government propose to provide at C. G. H. S. mobile Dispensary a Bahadurgarh, which is a ring town of Delhi and where thousands of Government employees reside ?

The Minister of state in the Ministry of health and family planning. (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes.

(b) At present only two Mobile Vans-one for Timarpur Dispensary and the other for Rajouri Garden Dispensary are operating and the areas served by these Mobile Vans are as under :—

(i) Area of Timarpur Dispensary

Malaria Institute, Model Town, Radio Colony, Old Secretariat and part of Kingsway Camp.

(ii) Area of Rajouri Garden Dispensary.

Shiv Nagar. Vishnu Garden and Kirti Nagar.

(c) The area known as Bahadurgarh (Haryana) has not so far been included in the C. G. H. S. nor is there any proposal at present to include the same under the Scheme. The Mobile Vans are attached to such areas as are already covered by the Central Government Health Scheme.

Master Plan of Bahadurgarh, Delhi

6018. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 4394 on the 14th December, 1970 and state ;

(a) Whether the Master Plan of Bahadurgarh, Which is a ring town of Delhi, has since been finalised;

(b) If so, the broad outlines there of; and

(c) If not, the reasons for delay and the time by which it is likely to be finalised ?

The Minister of state in the Ministry of works and housing. (Shri I. K. GUJRAL) :

(a) to (c) Bahadurgarh is in Haryana. Its preliminary development plan was prepared and published by the Government of Haryana in January, 1970. for inviting public objections. Further details will be known after final Master Plan of the town is received from the State Government.

प्रत्येक राज्य में उर्वरक की प्रति हैक्टयर खपत

6019. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में देश में प्रत्येक राज्य में उर्वरक की प्रति हैक्टेयर; औसत खपत क्या रही ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : गत तीन वर्षों की अवधि में देश में उर्वरकों की राज्यवार औसत खपत का विवरण संलग्न है ।

विवरण

गत तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक राज्य में बोये गये कुल क्षेत्र में पौध पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्पेट तथा पोटाश) के रूप में उर्वरकों की प्रति हैक्टार औसत खपत निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	कुल बोये गये क्षेत्र में+किलोग्राम/हैक्टार में खपत (एन पी 2 ओ 5+के 2 ओ)		
		1969-70 (वास्तविक)	1970-71 (वास्तविक)	1971-72 (प्रत्याशित)
1	आन्ध्र प्रदेश	27.2	24.6	27.6
2	आसाम	3.0	3.1	3.8
3	विहार	13.1	11.8	17.3
4	गुजरात	10.2	16.2	19.5
5	हरियाणा	14.5	19.8	28.7
6	हिमाचल प्रदेश	8.5	13.3	28.7
7	जम्मू तथा कश्मीर	5.1	6.6	7.8
8	केरल	33.0	26.1	28.2
9	मणिपुर	3.8	3.8	4.4
10	मेघालय	6.7	10.9	20.7
11	मध्य प्रदेश	2.7	4.5	6.1
12	महाराष्ट्र	8.1	10.8	12.9
13	मैसूर	12.9	20.2	23.7
14	नागालैण्ड	1.7	3.8	6.8
15	उड़ीसा	4.2	4.6	8.4
16	पंजाब	43.2	52.7	75.5
17	राजस्थान	3.1	4.1	5.4

18	तमिलनाडु	36.6	48.8	52.9
19	त्रिपुरा	0.6	1.4	3.1
20	उत्तर-प्रदेश	26.3	23.5	26.3
21	पश्चिम बंगाल	10.0	12.5	16.2
22	अन्य	31.4	34.0	38.7
	अखिल भारतीय	14.4	16.2	19.8

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में हड़ताल

6020. **श्री वयालार रवि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में श्रमिकों ने कोई हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और श्रमिकों की मांगे पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अध्यापकों की छटनी

6021. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला क्या : शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये लगभग 100 अध्यापकों की छटनी की धमकी दी जा रही है; और

(ख) क्या ये अध्यापक प्रधान मन्त्री से मिले थे और अपनी शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन उन्हें प्रस्तुत किया था और यदि हाँ, तो क्या इन अध्यापकों की शिकायतों पर विचार किया गया है और यदि हाँ, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा अध्यापकों की तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति 30-4-1972 तक वैद्य थी। इन अध्यापकों का एक प्रतिनिधि-मण्डल 30 अप्रैल,

† कुल बोये गये क्षेत्र में बोई गई फसलों तथा उद्यानों का क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अन्तगत वर्ष में एक से अधिक बार आने वाले क्षेत्र को एक ही बार सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक राज्य में वर्ष 1969-70 का क्षेत्र 1970-71 तथा 1971-72 के लिये भी अपनाया गया है; क्योंकि परवर्ती वर्षों के क्षेत्र आँकड़े अभी तक तैयार नहीं हुये हैं।

1972 को प्रधान मन्त्री से मिलने उनके निवास स्थान पर गया था। उक्त प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मन्त्री से नहीं मिला परन्तु उनके सामने पेश करने के लिए एक पत्र छोड़ गया। इन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक प्रतिनिधि-मण्डल, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री से मिला तथा उन्होंने अपना मामला उनके सामने रखा। दिल्ली प्रशासन का ध्यान पहले ही इस मामले की ओर दिलाया गया है। इन अध्यापकों को 1972-73 के नियमित पदों के लिये साक्षात्कार में उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा।

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन तथा बिक्री व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण

6022. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं बिक्री व्यवस्था का कुछ राज्यों ने राष्ट्रीयकरण कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और किस सीमा तक ऐसा किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	दिनांक 1-1-1971 तक किये गये राष्ट्रीयकरण का विस्तार
1. आन्ध्र प्रदेश	सभी स्कूली स्तरों के सभी विषयों की सारी पाठ्य पुस्तकें (127 पुस्तकें)
आसाम	प्राथमिक स्तर तक की प्रादेशिक भाषाओं अंग-गणित के लिये VIII श्रेणी तक तथा अंशतः अंग्रेजी में VI और VII स्तरों तक (69 पुस्तकें)
बिहार	मिडिल स्तर तक अधिकाँश विषय(अर्थात् VII स्तर तक), और कुछ विषयों में माध्यमिक स्तर तक (187 पुस्तकें)
गुजरात	V तथा I V स्तरों की पाठ्यपुस्तकें (39 पुस्तकें)
हरियाणा	श्रेणी X तक के कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तकें (29 पुस्तकें)
जम्मू और काश्मीर	मिडिल स्तर तक के सभी विषयों की तथा उच्चतर स्तर की कुछ पाठ्य पुस्तकें (172 पुस्तकें)
केरल	जिन पुस्तकों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, उनको छोड़कर श्रेणी X तक के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें (249 पुस्तकें)
मध्य प्रदेश	मिडिल स्तर तक के कुछ स्तरों की कुछ विषय में पुस्तकें (35 पुस्तकें)
महाराष्ट्र	प्राथमिक स्तर तक के सभी विषयों तथा श्रेणी XI तक की कुछ पुस्तकें (321 पुस्तकें)

मैसूर	श्रेणी VII तक के सभी विषयों तथा माध्यमिक स्तर के कुछ विषयों की पुस्तकें (216 पुस्तकें)
नागालैंड	श्रेणी III तक की केवल पाठ्यपुस्तकें तथा गणित (75 पुस्तकें)
उड़ीसा	श्रेणी III तक के सभी विषयों की पुस्तकें (49 पुस्तकें)
पंजाब	मिडिल स्तर तक के सभी विषयों की पुस्तकें (140 पुस्तकें)
राजस्थान	मिडिल स्तर तक के सभी विषयों की पुस्तकें (62 पुस्तकें)
तमिलनाडु	X श्रेणी तक की तमिल, गणित और अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकें (30 पुस्तकें)
उत्तर प्रदेश	जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के कुछ विषयों की पुस्तकें (46 पुस्तकें)
पश्चिम बंगाल	स्तर III से V तक के सभी विषयों की तथा श्रेणी VI, VII तथा XI की कुछ पाठ्यपुस्तकें (53 पुस्तकें)

दिल्ली संघ शासित प्रदेश ने भी मिडिल स्तर की कुछ पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण द्वारा तैयार की गई कई पुस्तकों को या तो अपना लिया है या उसके अनुरूप पुस्तकें तैयार करली है। अधिकतर अन्य संघ शासित प्रदेश इस क्षेत्र में अपनी जरूरतों के लिये अपने पड़ौसी राज्यों अथवा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद पर निर्भर हैं।

जहाँ तक छपाई का सम्बन्ध है अधिकतर राज्यों के पास अपने-अपने छापेखाने नहीं हैं तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें ऐसे राज्यों में अकसर प्राइवेट प्रैसों में छपवाई जाती हैं। लग-भग 10% मामलों में पाठ्यपुस्तकें सरकारी प्रैसों में छपती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने चण्डीगढ़ में एक मुद्रणालय संस्थापित किया है तथा दो और मुद्रणालय भुवनेश्वर तथा मैसूर में संस्थापित किये जाने हैं।

पाठ्यपुस्तकों का संवितरण सामान्य व्यापारिक माध्यम से किया जाता है।

खाद्यान्नों की खुदरा बिक्री को राज्यों द्वारा अपने अधिकार में लेना

6023. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे खाद्यान्नों की खुदरा बिक्री का कार्य अपने हाथों में लें;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध के पीछे मूल भावना क्या है और केन्द्र सरकार के अनु-रोध के प्रति राज्य सरकारों की, राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) जिन राज्यों ने केन्द्र के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया उन्होंने उसके क्या कारण

बताये हैं; और

(घ) जिन राज्यों ने केन्द्र के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया उनमें खाद्यान्नों के मूल्य अपेक्षित स्तर पर बनाये रखने के लिये केन्द्र द्वारा यदि कोई अन्य विकल्प सोचा जा रहा है तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की खुदरा बिक्री का कार्य राज्य सरकारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों, राशन की दुकानों आदि के माध्यम से किया जा रहा है। फिलहाल इस बिक्री की प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) से (घ) ; प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1972-73 वर्ष के लिए ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत योजनाएं

6024. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के लिए कडप्पा, चित्तूर, अनन्तपुर तथा करनूल जिलों के लिए जो विशिष्ट योजनाएं प्रस्तुत की हैं उनकी जिलेवार मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उक्त योजनाओं पर, जिलावार क्या अनुमानित व्यय होगा; और

(ग) प्रत्येक जिले में इन्हें किस अभिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : **(क) से (ग)** . पहली अप्रैल, 1972 से राज्य सरकारों को ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के लिए ऐसी किस्म की परियोजनाए मंजूर करने का प्राधिकार दे दिया गया है, जैसी वर्ष 1971-72 में आरम्भ की गई हैं, किन्तु इस बारे में शर्त यह है कि सभी मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। नई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन परियोजनाओं का ब्यौरा अभी नहीं भेजा है, जो मंजूर की गई हैं अथवा जिन्हें 1972-73 में आरम्भ करने का विचार है। इस लिए योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें तथा उनके अनुमान और कार्यान्वयन अभिकरण, जिन्हें आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में काम में लगाया जाना है, बताना सम्भव नहीं है।

गया (बिहार) में नलकूप लगाना

6025. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में गत तीन वर्षों में कृषि प्रयोजनों के लिए नलकूप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार गोह, अंचल, टेकरी कोंच, कुर्था, जहानाबाद, मकदूमपुर, घोसी, खिजर सराए, स्थानों पर कितने नलकूप खोदे गये; और

(ग) क्या माननीय मन्त्री के आश्वासनों के अनुसार वहां नलकूप लगाने का कार्य केन्द्रीय नलकूप संगठन द्वारा किया जायेगा, जोकि उन्होंने राज्य में पिछली बार पड़े सूखे के

दौरान दौरा करते समय दिये थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में ड्रिल किये गये बोरों और कुओं को उत्पादन कुओं में परिवर्तित करने का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	वर्ष	ड्रिल किये गये बोर	सफल	ब्लाक का नाम
1.	1969-70	34	24	कोंच, मोखदुमपुर, जहानाबाद, पाराइया, काको टेकसिबेला ।
1.	1970-71	21	17	मोखदुमपुर, बेला, टेकारी, जहानाबाद, गया, पाराइया ।
3.	1971-72	3	3	नेवादा, मोखदुमपुर, जहानाबाद

(ग) वर्ष 1972-73 की अवधि में उस संगठन के लिये गया जिले में और किसी कार्य की कोई योजना नहीं है ।

बी० ए० तथा बी० एस-सी० डिग्री के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण

6026. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक वर्ष 1972 से दिल्ली में ऐसा नया कालेज खोला जाएगा जिसमें बी० ए० तथा बी० एस-सी० डिग्रियों के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के कालेज खोलने को कहा हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1972-73 के शैक्षणिक वर्ष से एक या दो संस्थाओं में चुने हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है बशर्ते इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति प्राप्त हो । ये पाठ्यक्रम बी० ए०/बी० एस० सी० डिग्री पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का एक अंग बन जायेंगे । जहाँ तक अन्य कालेजों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का प्रश्न है, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा विश्व-विद्यालय द्वारा इस पर बाद में विचार किया जाएगा ।

(ख) जी नहीं :

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े पत्तनों के मजदूरों के लिए बोनस

6027. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बड़े पत्तनों के मजदूरों के लिए खाडिलकर फार्मूले के अनुसार बोनस मंजूर किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न पत्तनों पर अलग-अलग मात्रा में बोनस दिया जाता है और यदि हाँ, तो कितना-कितना;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन के मजदूरों को बम्बई और मद्रास पत्तनों के मजदूरों से कम बोनस मिलेगा; और

(घ) यदि हाँ तो क्या सभी पत्तनों पर समान बोनस देने की पूर्व प्रथा को समाप्त करने से श्रमिक असन्तोष बढ़ेगा ?

संसदीय कार्य नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) पत्तन न्यास कर्मचारी बोनस अधिनियम, 1965 की संदाय को अन्तर्गत बोनस के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि यह बड़े पत्तन प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता । परन्तु "खाडिलकर फारमूले' के अनुसार सभी पत्तन कर्मचारियों को बोनस के बदले अनुग्रह-पूर्वक भुगतान किया जा रहा है ।

(ख) जी, हाँ । अनुग्रह-पूर्वक भुगतान की प्रमात्रा अब सम्बन्धित कर्मचारियों की वार्षिक मजदूरियों की कुल 5 प्रतिशत से $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से भिन्न-भिन्न है ।

(ग) और (घ) : मजदूरी के 5 प्रतिशत से अधिक अनुग्रह-पूर्वक संदाय की प्रमात्रा 'खाडिलकर फारमूला' के लागू करने वाली कसौटी को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक पत्तन के कार्यकरणों के परिणामों पर निर्भर है । अतः पूर्व व्यवस्था जिसके अन्तर्गत 4 प्रतिशत की समान दर पर अनुग्रह-पूर्वक भुगतान किया जाता था, के साथ तुलना नहीं की जा सकती । और श्रमिक असन्तोष का प्रश्न नहीं उठता ।

Mal-Practices in Examination Conducted in Central School, Kotah

6028. **Shri Oukar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the students in Central School, Kotah have been promoted to next classes after re-examination of their answer-books;

(b) Whether the son of an Engineer, a student of 5th standard and a girl student of 7th standard have been declared successful after re-examination of the answer-books: and

(c) If so, whether their answer-books would be properly re-examined and the employees found guilty would be suitably dealt with ?

The Duputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). After the annual examination held in 1971, a number of requests was-received by the Principal of Kendriya Vidyalaya, Kota for re-examination of answer books. As such re-examination is permissible under the existing regulations of Kendriya Vidyalayas, the Principal got the papers re-examined-in respect of genuine cases. On re-examination, six students belonging to Classes V to VIII including the two referred to in the Question were declared successful aud promoted to the next higher classes. In view of this, a further re-examination of the answer books does not arise. However, the matter is being looked into.

आयात में कमी होने से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध न होना

6029. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में आयात में कमी होने के कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है; और

(ग) क्या इस बारे में कुछ देशों से बात चीत की गई है और यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषकों की 1972-73 के लिये उर्वरकों की माँग सन्तोषजनक रूप से पूरी होने की आशा है। पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय द्वारा 1972-73 की खरीफ और रबी की फसलों के लिये देशीय उत्पादन द्वारा 9·4 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन और 2 लाख मीटरी टन पी 2 ओ 5 मीटरी टन उर्वरक उपलब्ध करने का आश्वासन दिया गया है और वित्त मन्त्रालय द्वारा 6·56 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन, 2·04 लाख मीटरी टन पी 2 ओ 5 और 1·50 लाख मीटरी टन के 2 ओ के अतिरिक्त आयात के लिये दी गई विदेशी मुद्रा की सहायता से तथा 1-4-1972 को उपलब्ध अधिशेष भण्डार की सहायता से कृषकों की वर्ष भर की आवश्यकतायें पूरी की जाने की आशा है।

(ग) वर्ष 1972-73 में उर्वरकों के आयात के लिये निम्नलिखित देशों से अनुरोध किया गया है:—

(क) व्यापार योजना के अधीन पूर्वी यूरोप के देश अर्थात; रूस, पोलैण्ड, बलगेरिया, रूमानिया, और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।

(ख) ऋण सहायता के अधीन इंगलैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, हालैंड और पश्चिम यूरोप में वेलजियम, कनाडा और जापान।

(ग) खुली विदेशी मुद्रा के अधीन सउदी अरब, क्वेत, साऊथ कोरिया और कुछ अन्य देश।

आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक तथा सहकारी ऋण भूमि बन्धक बैंक

ऋण पर ब्याज की दर में अन्तर

6030. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** . क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर और पोचमपद परियोजनाओं के अन्तर्गत 'अयाकट' के विकास के लिये विश्व बैंक से प्राप्त ऋण पर कृषकों से ब्याज की क्या दर ली जाती है जबकि इसकी आन्ध्र प्रदेश के सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के माध्यम से दिया जाता है, और

(ख) क्या इस राशि पर विश्व बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर तथा आन्ध्र प्रदेश के सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर में बहुत अन्तर

है और इसके फलस्वरूप किसानों पर भारी बोझ पडता है और यदि हां, तो किसानों से लिये जाने वाली ब्याज की दर को कम करने के लिये क्या कोई उपाय किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषकों से बकाया राशि पर ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल किया जाता है;

(ख) अंतराष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता । केवल 0·75 प्रतिशत सेवा प्रभार लिया जाता है । कृषि ऋण परियोजनाओं के लिये ऋण की ब्याज दरों का निर्धारण एकसमान रूप से किया जाता है और इनका भारत सरकार द्वारा बाहर से ऋण लेने की शर्तों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।

दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान अध्यापकों के पद का न भरा जाना

6031. **श्री धमंराव अफजलपुरकार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों के मंजूरशुदा पदों में से कितने रिक्त पद ऐसे है जो 1971-72 के शिक्षा वर्ष में 30 दिन या इससे अधिक समय तक भरे नहीं गये थे ।

(ख) रिक्त पदों को न भरने के मुख्य कारण क्या है, और

(ग) वर्तमान रोजगार क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) से (ग)** : 1971-72 में पदोन्नति कोटा से विज्ञान स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिये 35 पद खाली थे जिनको दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक समादेश-याचिका में मंजूर किये गये रोकने के आदेश को कारण नियमित आधार पर भरा नहीं गया था । तथापि, ये पद स्कूलों के प्रिंसिपलों द्वारा तदर्थ आधार पर भरे गये थे ।

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के बारे में ड्रिलिंग तथा पम्पिंग आपरेशन का अध्ययन

6032. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या कृषि मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में नलकूपों के बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग तथा पम्पिंग आपरेशनों से इस बारे में किये गये अध्ययन के अनुसार भूमिगत जल के वर्तमान स्तर को बनाये रखा जायेगा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : भूमिगत जल की योजनायें जल उपलब्धि की तकनीकी दृष्टि से पूर्ण जाँच पड़ताल के बाद ही उत्तर प्रदेश में नलकूपों, पम्पसैटों आदि लगाकर लागू की जा रही हैं । अतः भूसिगत जल को व्यापक पैमाने पर निकासी होने के बाद ही भू-स्तरीय जल का स्तर अनुकूल बने रहने की सम्भावनायें हैं ।

परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र चलाने हेतु भारत सेवक समाज को अनुदान

6033. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद में परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र चलाने के लिये भारत सेवक समाज को अनुदान देना बन्द कर दिया है ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के 17 केन्द्र बन्द हो गये हैं, और

(ग) अनुदान बन्द करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ग) संसद की लोक लेखा समिति की सिफारिश के फलस्वरूप (तीसरी लोक सभा को उनकी 34 वीं रिपोर्ट में उल्लिखित) भारत सरकार ने नवम्बर, 1966 के पश्चात् भारत सेवक समाज को आगे अनुदान अथवा ऋण देना बन्द कर दिया था ।

(ख) गुजरात सरकार से मालूम हुआ है कि भारत सेवक समाज की अहमदाबाद शाखा द्वारा चल ये जा रहे 17 परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र 1-4-1972 से बन्द कर दिये गये हैं ।

ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिये कृषि पर आधारित उद्योगों का बिकास

6034. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गामीण मजदूरों को लाभदायक रोजगार देने के लिये और कस्बों तथा नगरों में उनके बड़े पैमाने पर आगमन को रोकने हेतु कृषि पर आधारित उद्योगों के तुरन्त विकास पर जोर दे रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो देश के पिछड़े क्षेत्रों में चालू की जाने वाली इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के पाली सब-डिवीजन में ओलावृष्टि के कारण फसल की क्षति

6035. **श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के पाली सब-डिवीजन जैसे पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भागों में भयानक ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंची है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्षेत्र की प्रभावित जनसंख्या को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हृदय गति रूक जाने से मृत्यु

6036. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हृदय गति रूक जाने से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में इस बारे में राज्य-वार आँकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्य) : (क) और (ख) : हृदय-वाहिका रोग अधिसूचनीय रोग नहीं है और हृदय रोग के कारण मरने वालों का पंजीकरण करना भी अनिवार्य नहीं है। अतः पिछले तीन सालों में हृदय गति के रूक जाने से मरने वालों की राज्यवार सही संख्या बतलाना सम्भव नहीं है। फिर भी 1967-69 में कुछेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के अस्पताल के वहिरंग और अंतरंग विभागों में और औषधालयों में इलाज पाने वाले रोगियों की संख्या का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2023/72]

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालौजी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को आरोप पत्र

6037. **श्री कार्तिक उराव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नालोजी, नई दिल्ली के 60 प्रतिशत कर्मचारी स्पष्टीकरण, आरोप-पत्र और अनुशासनिक कार्यवाहियों आदि के कारण दमन के शिकार है,

(ख) क्या 10 से 15 कर्मचारियों को जिनको मूल रस से नियुक्त किया गया था त्यागपत्र देने के लिये विवश होना पड़ा है और उनको एक अथवा दूसरे बहाने के अन्तर्गत सेवामुक्ति के नोटिस दिये गये हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त वर्गो के अन्तर्गत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हाँ। संस्थान से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों पर कोई ऐसी दमनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2024/72]

भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारियों का चयन

6038. **श्री कार्तिक उराव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारियों के चयन के बारे में भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के अधिनियम का 12 (1) और 12 (3) का उल्लघन किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार संस्थान के प्रारम्भ होने से लेकर अन्त तक अस्थाई नियुक्तियों के विनियमन कानून 12 (7) के अन्तर्गत लगभग 147 व्यक्ति समय-समय पर नियुक्त किये गये थे। कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित सामान्य प्रवरण विधियों के जरिये तब

से अब तक 36 व्यक्ति नियमित कर्मचारी बन गये हैं। 56 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो संस्थान को छोड़ गये हैं अथवा उनकी सेवा समाप्त कर दी गई हैं। शेष 25 व्यक्ति तदर्थ आधार पर चल रहे हैं। आठ व्यक्तियों को एक वर्ष से कम तथा शेष 17 व्यक्तियों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। सरकार इस मामले की जाँच कर रही है। तथा जहां अधिनियम तथा कानूनों के उपबंधों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जायेगा तो संमद्ध संस्थान को उचित अनुदेश जारी करेगी।

उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना

6039. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

(ग) राज्य सरकार ने क्या-क्या कठिनाइयां व्यक्त की है, और

(घ) उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के (जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है) अतिरिक्त तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम योजना उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के लागू नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1963 में विश्वविद्यालय आयोग को यह सूचना दी थी कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई तथा राज्य सरकार द्वारा आचार्य जुगलकिशोर की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा बाद में विचार किये जाने के पश्चात् योजना को आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वयन की सारी लागत को पूरा करने के लिये सहमत होने तक, चरणों में कार्यान्वित किया जा सका था। इस पर आयोग के नवम्बर 1963 में विचार किया था, जिसके तदुपरान्त ही राज्य सरकार से वित्तीय कठिनाइयों के बारे में सूचित करने के लिये अनुरोध किया गया था। अनुस्मारकों के बावजूद भी राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा इस मामले को भी आगे नहीं चलाया गया।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गावों में बनाये गये मकान

6040. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गांवों में केन्द्रीय सहायता से कितने मकान बनाये गये, और

(ख) इस अवधि में कितने नगरीय आवास एककों ने इस बारे में ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता से सहयोग दि ा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) पिछले तीन वर्षों (1969-72) में लगभग 5 ।00 मकान निर्माण और आवास मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये इस मंत्रालय में पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि योजना सभी जातियों और धर्मों के लोगों पर लागू है।

(ख) इस मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 39,300 नगरीय रिहायशी एकक पूरे किये गये हैं।

Forced Labour From Harijans

6041. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether forced labour from Harijans is prohibited under law:

(b) Whether various types of atrocities are committed on Harijans in various States of the country when they refuse to do forced labour,

(c) Whether many atrocities have been committed on them in Sahawar Town in Uttar Pardesh on account of their refusal to do forced Labour there, and

(d) If so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in The Ministry of Education & Social Welfare : (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, [Sir.

(b) Individual complaints are received regarding atrocities committees on Harijans when they refuse to do forced labour and these are forwarded to State Government for taking appropriate action.

(c) & (d) : Information is being collected from State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Damage in Madhya Pradesh due to Gangayee Ravage

6042. **Shri Arvind Netm :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) The extent of damage caused by Gangayee ravage in Madhya Pradesh last year, and

(b) the expenditure incurred to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The extent of damage caused by Gangayee on paddy crop last year was assessed by the State Government to have ranged between 3% to 65% in different localities over an area of 2·967 lac acres.

(b) The Government of Madhya Pradesh organised mass plant Protection campaigns at a cost of Rs. 14·25 Lakhs during 1971-72 to control the pest.

वेस्ट कोस्ट रोड पर पैसेंजर शिपिंग कम्पनियों की स्थापना के लिये आवेदन-पत्र

6043. **श्री बी० वी० नायक :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पश्चिमी तट पर पैसेंजर शिपिंग कम्पनियां स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो प्रस्तावित शिपिंग कम्पनियों की मुख्य बातें

क्या हैं;

(ख) क्या ये सभी अथवा अधिकांश आवेदन-पत्र एकाधिकार आयोग की सूची में आने वाले बड़े-बड़े व्यापार गृहों ने प्रस्तुत किये हैं और यदि हाँ, तो आवेदनकर्ताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी उद्यमों के स्थान पर सहकारी उद्यमों को प्राथमिकता देगी, यदि हाँ, सहकारी उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी हाल ही में ऐसे कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञों की गोष्ठी

†6044. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय की गति रुक जाने के कारणों पर चर्चा के लिये दिल्ली में हाल में डाक्टरों की एक गोष्ठी हुई थी; और

(ख) क्या गोष्ठी की सिफारिशों के प्रचार के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) और (ख)** . विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल, 1972 से एक विश्व स्वास्थ्य मास मनाया था। इसमें आल इण्डिया हार्ट फाउंडेशन और दिल्ली मेडिकल एशोसियेशन ने हृदय गति रुकने और दिल का दौरा पड़ने के विभिन्न पहलुओं पर पंच वार्ताओं और सम्मेलनों का आयोजन किया था किन्तु इन पंचवार्ताओं के आयोजकों से भारत सरकार को कोई निश्चित सुझाव नहीं मिले हैं।

Number of Cases of Offences of Untouchability

6045. **Shri Ram Bhagat Paswan** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of cases pertaining to the offence of untouchability filed in Law Courts in Bihar during the year 1971:

(b) The number of persons convicted and awarded punishment for offiences of untouchability during the period:

(c) Whether Government have made any arrangement to pay the expenditure incurred by a person for bringing a case pertaining to the offence of untouchablity before the police or a law-court: and

(d) If so, the procedure laid down in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) : **(a) to (d)** . Information is being collected from the State Government of Bihar and will be laid on the table of the House when received.

पश्चिम बंगाल में कटाई और चारग्राम तटवर्ती पट्टी पर काजू की खेती, परिष्करण और बिक्री के लिए कार्यवाही

6046. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मन्त्री कन्टाई तटवर्ती पट्टी पर काजू के उत्पादन के बारे में 17 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4995 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई और चारग्राम सब डिवीजन में काजू की खेती में सुधार करने, काजू के परिष्करण और बिक्री के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** . राज्य सरकार से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में पानी की कमी को दूर करने के लिए नल–कूपों का लगाया जाना

6047. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी की कमी के कारण बिहार के कुछ जिलों में अकाल की स्थति पैदा हो गई है;

(ख) क्या पानी की कमी को दूर करने के लिये नल-कूप लगाने की सरकार की कोई व्यापक योजना है; और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की सलाह से कोई योजना तैयार की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि पानी के अभाव के कारण बिहार के कुछेक जिलों में अकाल जैसी स्थिति चल रही है । तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष फसल न होने के कारण सन्थाल परगना के 337 गाँवों में कमी की स्थिति चल रही है । सरकार इस क्षेत्र में आवश्यक राहत उपाय कर रही है ।

(ख) राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में 15,000 नल कूप लगाने का कार्य शुरू किया था । इनमें से अब तक लगभग 8,000 नलकूप लगाए जा चुके हैं और आशा की जाती है कि शेष नलकूप जून-जुलाई, 1972 तक लगा दिए जायेंगे । इनके अलावा, राज्य के विभिन्न भागों में लगभग 2,000 सरकारी नलकूप चल रहे हैं ।

(ग) नलकूप लगाना राज्य सरकारों के लघु सिंचाई कार्यक्रमों का एक भाग है और ये योजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं । इन योजनाओं पर भारत सरकार और योजना आयोग के साथ विशेषतया वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करते समय विचार-विमर्श किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है ।

राज्यों में ढोर और फसल बीमा योजनायें

6048. **श्री एम० राजंगम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ढोर और फसल बीमा आरम्भ करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दी गई सलाह की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्य परिवहन निगम की स्थापना के लिए त्रिपुरा को वित्तीय सहायता

6049. **श्री दशरथ देव** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने त्रिपुरा में राज्य परिवहन निगम की स्थापना के लिये त्रिपुरा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि की माँग की गई है और कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) उक्त राज्य परिवहन निगम के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं उक्त निकाय पर सरकार के नियन्त्रण का स्वरूप क्या होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : **(क) और (ख).** भारत सरकार ने त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम की स्थापना के लिये त्रिपुरा सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। परन्तु राज्य सरकार ने मार्च 1972 में इस निगम के संबंध के संशोधित योजना भेजी और अनुरोध किया कि केन्द्रीय सरकार कुल के $33\frac{1}{3}\%$ तक इस निगम की पूंजी को अंशदान दे। कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार को सूचना भेजने के लिये कहा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) (1) श्री जे० एन० गुप्ता
विकास आयुक्त, त्रिपुरा————अध्यक्ष

(2) श्री एन० सचिनदानन्द,
अधीक्षक इन्जीनियर, त्रिपुरा————सदस्य

(3) श्री बी० वी० बनर्जी,
एम० एल० ए०, त्रिपुरा————सदस्य

(4) श्री आर० एन० चक्रवर्ती,
महा प्रबन्धक, त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम————सदस्य सचिव

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1150 में की गई व्यवस्था के अनुसार त्रिपुरा सरकार

त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम पर नियन्त्रण रखती है ।

Development of Rural Areas During Fourth Plan

6050. **Shri G, P, Yadav** : Will the Minister of **Agricuture** be pleased to state :

(a) Wnether Government have formulated any comprehensive schemes during the Fourth Five Year Plan for the development of rural areas. and

(b) If so, the main features thereof, and the steps proposed to be taken by Government for the welfare of small farmers, Harijans and Adivasis living in villages under the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : **(a) and (b)** . Certain Schemes for assisting Small/Marginal Farmers and Agricultural Labourers as also for economic development of tribal areas, and Drought Prone Areas Programmes, have been formulated and included in the Fourth Five Year Plan. Their details are given in the Annexure. **[Placed in the Library. See No. L. T. 2025/72]**

No scheme, as such, for the welfare of the Harijans has been formulated.

पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के ऊपर पुल के निर्माण हेतु धन राशि

6051. **डा० रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर नदी पर सदरघाट स्थान पर एक पुल का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय सरकार से धनराशि की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : दामोदर नदी पर प्रस्तावित पुल जो राज्य सड़क पर पड़ता है, के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से पीछे हाल ही में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये कोई आवेदन नहीं मिला है परन्तु 1967 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किये थे :—

(i) इस परियोजना को शामिल करने के लिये राज्य योजना की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाई जायें,

या

(ii) आवश्यक केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाये ।

इस कार्य को राज्य योजना में शामिल करने का प्रश्न समय-समय पर राज्य की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श के दौरान भी विचार किया गया है । परन्तु राज्य सरकार इस परियोजना को राज्य योजनायें शामिल नहीं कर सकी हैं और न ही उक्त (i) और (ii) पर उल्लिखित प्रार्थना को मानना संभव आ हुआ है । 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये इस परियोजना की वास्तविक प्राथमिकता के निर्धारण को सुगम करने के लिये योजना आयोग ने आर्थिक/तकनीकी शक्यता अध्ययन करने के लिये एक सुझाव दिया है । यह पहलू राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है ।

Average death rate on account of accidents in the country.

6052. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be

pleased to state the estimated average annual death rate on account of road accidents in the country ?

The Minister of Parliamenary affairs and Shipping and transport (Shri Raj Bahadur) : According to the information furnished by the State Governments and Union Administrations, the number of persons killed in road accidents in India during the years 1969 and 1970 was 12,277.13,472 and 14,490 respectively against a total number of 13,32,000,14.91,000 and 16,56,000 motor vehicles in the country during the years 1967-68, 1968-69. and 1969-70 respectively.

Incidents of Discrimination against harijans reportied to Commissioner for S. C. and S. T. in states.

6053. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Education and Social Welf are** be pleased to state :

(a) The number of incidents reported to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Assistant Commissioner in the States during the past three years, yearwise, regarding prevention of Harijans from taking water from public wells, disallowing their children to study in schools and stopping their procession;

(b) The number of cases out of them taken to Courts; and

(c) The punishment awarded in each case ?

The Deputy minister in the Ministry of Education & social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) : The information is being collected from the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

दिल्ली में अनारकली पार्क नागरिक सुविधाओं की कमी

6054. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1971 के—हिन्दुस्तान टाइम्स—(ईवनिंग न्यूज) में प्रकाशित सम्पादक को लिखे पत्र जिसमें अनारकली पार्क, दिल्ली 51 में नागरिक सुविधाओं की कमी का उल्लेख किया गया है, की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उस बस्ती, जिसे दिल्ली नगर निगम के संकल्प संख्या 1603 के अन्तर्गत स्वीकृति दे दी गई थी, सुविधाओं की कमी है; और

(ग) यदि हां. तो इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि निगम की स्थायी समिति ने अनारकली पार्क की मन्जूरी अपने संकल्प संख्या 1603 दिनांक 3 मार्च, 1962 के द्वारा दी थी (1 मार्च 1962 को नहीं जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया है) । सफाई बनाये रखने के लिये नालियाँ, ईंटों की सड़कें, पक्की सड़कें, प्राइमरी स्कूल, कचरा पेटियाँ आदि जैसे कूड़ा करकट जमा करने के स्थल तथा सफाई कर्मचारियों जैसी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है । अधिकांश

कालोनी में बिजली लगा दी गई है। जहाँ कहीं बिजली की मुख्य लाइनें हैं। वहां प्रत्याशित उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन दे दिये जाते हैं बशर्ते की वे सामान्य व्यापारिक औपचारिकताओं को पूरा करते हों। बिजली रहित शेष भागों। स्थलों यदि कोई हो, में बिजली पहुंचाने के लिये आवश्यक कदम उठाने का काम वहां के निवासियों के द्वारा औपचारिक अनुरोध करने पर दिल्ली विद्युत उपक्रम द्वारा शुरू किया जा सकता है बशर्ते कि वे अपेक्षित व्यापारिक औपचारिकताओं की पूर्ति, गन्दे पानी की निकासी और नर्सरी स्कूल की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) नियमित की जा चुकी कालोनियों में आन्तरिक सेवाओं की व्यवस्था करना प्लाट मालिकों की जिम्मेदारी है। फिर भी, दिल्ली नगर निगम ने एक योजना का अनुमोदन किया है जिसके फलस्वरूप नियमित की गई कालोनियों में प्लाट मालिको की ओर से जल पूर्ति और मल जल निकासी की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम द्वारा की जायेगी बशर्ते कि वे इस करार पर हस्ताक्षर कर दे कि वे 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम 20 वार्षिक किस्तों में इस काम पर हुए खर्च का भुगतान कर देंगे। इस कालोनी के प्लाट मालिकों ने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

उड़ीसा और तमिलनाडु में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का विकास

6055. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और तमिलनाडु में छोटी परियोजनाओं के विकास सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1967-69 में इन परियोजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) उड़ीसा में छोटी सिंचाई योजनाओं का शीघ्र विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उड़ीसा और तमिलनाडु के राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 1967-69 के दौरान क्रमशः 5.34 करोड़ और 19.93 करोड़ रुपये के परिव्यय से लघु सिंचाई परियोजनायें कार्यान्वित की गई। इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों जैसी संस्थानात्मक एजेन्सियों ने गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों के लिए क्रमशः दोनों राज्यों में 1.91 करोड़ और 21.03 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था की। इन दोनों राज्यों को इन परियोजनाओं के लिये 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में क्रमशः 2.05 करोड़ रुपये और 9.23 करोड़ रुपये की (अस्थाई) केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई।

(ख) उड़ीसा में लघु सिंचाई के तीव्र विकास के लिये उठाये गये कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(i) राज्य योजना सीमा के अतिरिक्त 1.35 करोड़ रुपये का केन्द्रीय ऋण दिया गया जो वर्ष में केन्द्रीय ऋण की राहत के रूप में दिया गया;

(ii) यथा सम्भव लघु सिंचाई के लिये संस्थानीय एजेन्सियों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना;

(iii) भूमिगत जल अन्वेषण के लिये प्रबन्धों को सुदृढ़ करना;

(iv) ग्राम विद्युतिकरण योजनायें शुरू करने के लिये प्रयत्न करना ।

परीक्षाओं में अनुसूचित उपायों का प्रयोग

6056 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री धर्मराव अफजलपुर कार :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1972 के 'पेट्रिओट' में प्रकाशित समाचार के अनुसार मनोविज्ञान के प्रोफेसर डा० ए० बी० ओझा ने अपने शोध पत्र परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अनुचित उपाय प्रयोग में लाने सम्बन्धी मूल्यांकन में कहा है कि (एक) विश्वविद्यालय के प्रांगण में हिंसात्मक व्यवहार के लिये विद्यार्थियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता (दो) इस बारे में यदि जिम्मेदारी नियत की जाये तो वह अध्यापकों, विश्वविद्यालयों, प्रशासकों, माता पिता और समाज के वर्तमान ढाँचे पर आती है, और

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) विद्वान द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण गम्भीर विचार करने योग्य है ।

Quantum of demand of fertilisers from M. P.

6057. **Shri Arvind Netam** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the quautum of fertilisers demanded by Madhya Pradesh Government for the next year ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : The Government of Madhya Pradesh have indicated a total requirement of 1.08 lakh tonnes of N, 0.50 lakh tonnes of 205 and 0.105 lakh tonnes of K 20 for 1972-73, After taking into account the stocks in the State the indigenous manufacturers are scheduled to supply 39.940 tonnes of N, 38.880 tonnes of 2205 and the residue will be supplied by the Ministry of Agriculture.

पर्यटकों के आकर्षण के पुरातत्वीय स्मारकों के विकास के लिये केन्द्रीय समन्वय समिति ।

6058 **श्री एम० एस० शिव स्वामी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों के आकर्षण के पुरातत्वीय स्मारकों के विकास के लिये केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना की है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) : समिति की संरचना और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं । समिति की पहली बैठक 19/5/1972 को होनी है ।

विवरण

पर्यट्क रूचि के पुरातत्व स्मारकों और स्थलों के विकास के लिये केन्द्रीय समन्वयक समिति की संरचना और विचारार्थ विषय दर्शाने वाला विवरण ।

1. **संरचना**—

1) पर्यटन और सिविल विमानन मन्त्री	अध्यक्ष
2) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री	सदस्य
3) पर्यटन और सिविल विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	सदस्य
4) सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय	सदस्य सचिव
5) महानिदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य
6) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
7) वित्तीय सलाहकार पर्यटन और सिविल विमानन मन्त्रालय	सदस्य
8) वित्तीय सलाहकार, शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय	सदस्य
9) मुख्य इन्जीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य

11. **विचारार्थ विषय** :—

1) पर्यटक रूचि के पुरातत्व स्मारकों और स्थलों पर सुविधाओं की व्यवस्था और स्थान निर्धारण के लिए मार्गदर्शक रूपरेखाएं निर्धारित करना जैसे कि आवास गृह, रेंस्टारों, कैफिटिअरिआं, पेयजल और सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि की व्यवस्था करना; परिवहन, प्रवेश मार्ग, सम्पर्क मार्ग और वाहन स्थान ।

2) पुरातत्व स्मारकों और स्थलों का चयन करना जिसके लिये मास्टर पलान तैयार किये जायेंगे ताकि उनके वातावरण और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके । ऐसे मास्टर प्लानों को तैयार करने के लिए और इनका अनुमोदन करने के लिए विशेषकर स्थापत्य शैली, भवन सामग्री, भू-दृश्य-निर्माण इत्यादि के दृष्टिकोण से मार्ग दर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना ।

3) हमारी सॉस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण और प्रस्तुतीकरण के लिए पर्यटक रूचि के पुरातत्व स्मारकों और स्थलों के आस पास की भूमि पर निर्माण कार्य, और उत्खनन पर नियंत्रण करने में स्थानीय प्राधिकारियों को समर्थ बनाने के लिये एक माडल विधेयक का मसोदा तैयार करना ।

(4) निम्नलिखित प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय करना:—

(क) पुरातत्व स्मारकों के पूर प्रकाशन अथवा सां-एतलुमयर की व्यवस्था करना।

(ख) प्रवेश शुल्क, खुलने और बन्द करने के घण्टों और मनाई जाने वाली छुट्टियों जिसमें स्मारक बन्द रहा करेंगे।

(ग) स्मारकों पर कार्य करने वाले गाइडों का प्रशिक्षण और उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों का अनुमोदन।

(घ) पुरातत्व स्मारकों और स्थलों से सम्बन्धित पर्यटक साहित्य का प्रकाशन और विक्रय;

5. राज्य सरकारों की परामर्श से आयुक्त अथवा कलेक्टर की अध्यक्षता में पर्यटक रूचि के स्मारकों के लिए स्थानीय समितियों का निर्माण करना जिसकी जिम्मेदारी स्मारकों के आस-पास सफाई सुनिचिश्त करना और पुरावशेषों की चोरी और कला वृत्तियों के विध्वंस को रोकना; इसमें साथ-साथ स्मारकों के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में भद्दी इमारतों के निर्माण को रोकना ओर स्मारकों के आस पास वातावरण और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय समिति के अनुरूप राज्य पुरातत्व विभागों के अधीन राज्य स्तर पर समितियों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह करना है।

6. स्थानीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेना।

Procedure for Registration of Societies

6059. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state -

(a) Whether a Society, after getting itself registered under the "Society's Registration Act" has to present its accounts and deteils of its activities to the Registrar of Societies;

(b) Whether, if a registered Society does not maintain its accounts properly, its registration can be cancelled;

(c) Whether there are certain rules in this regard after observing which a society is registered; and

(d) If so, whether a copy there of would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (d) : The subject of "Society's Registration Act" falls under Entry 32 of List II (State List) of the Constitution of India, and as such the State Governments are concerned with the administration of this Act. No further information is available in this Ministry.

Recommendations Made in the 19 th Report of Commissioner for S. C. and S. T.

6060. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the recommendations made in the 19th Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) If so, the number of recommendations accepted out of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribees has made 97

recommendations in his 19th Anuual Report. Most of the recommendations are to be implemented by ths State Governments and Union Territory Administrations, who have been requested to take action on the recommendatic ns concerning them. The recommendations concerning the Government of India are being examined.

Celebration of 400th Anniversay of Mughal Emperor Akbar

6061, **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state;

(a) Whether the Central Government have under consideration any scheme to celebrate the 400th Anniversary of the regime of Mughal Emperor Akbar at Fatehpur Sikri and Agra;

(b) Whether Government have finalized the said scheme; and

(c) The expenditure likely to be incurreed there on ?

The Minister of education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) There is no such proprosal with the Government. However, there is a proposal under consideration of the Government that on the occasion of the fourth centenary of the founding of Fatehpur Sikri due in 1972, the following schemes may be taken up :

(i) Publication of an authoritative guide—book to monuments at Fatehpur Sikri:

(ii) Excavation at Fatehpur Sikri as recommended by Archaeology Review Committee. 1965,

(iii) Holding of a seminar to the history, art and architecture of Fatehpur Sikri; and

(iv) Organizing a special exihibition of the paintings, manuscripts, textiles, arms and other antiquities of the time of Akbar in the National Museum.

(b) Proposals in respect of the schemes mentioned above have not been finalized.

(c) Does not arise.

ग्रासाम में साक्षरता

6062. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में की गई जनसंख्या के ग्रनुसार ग्रासाम राज्य में साक्षरता की प्रतिशतता में कमी हुई है, ग्रौर

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है ग्रौर स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप संत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shorteall in Forest Wealth

6063. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether forest wealth is decreasing in the country: and

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b). Forest wealth is not decreasing in the country. The total Forest area in the country has gradually increased from 71·80 million hectares in 1950-51 to 75·03 million hectares in 1969-70, despite releasing 1·84 million hectares of Forests for permanent alternative uses such as river Valley Projects. Transmission lines, stablishment of Industries. exten sion of Agriculture and other purposes.

The outturn of wood from Forests rose from 14·97 million cubic meters in 1955-56 to 21·79 million cubic meters in 1969-70.

The total extent of area planted with economically valuable and industrial trees pecies in the country up to the end of 1970-71 is approximately 1·7 million hectares thereby increasing our forest wealth.

Continous research investigations are also in progress for steady increase in production through better forest managment techniques, introduction of more efficient logging practices to reduce wastage, harvesting of inaccessible forest areas, undertaking genetic improvement of trees etc. Along with control measures for insect pests and diseases of forest tree species.

Deficiency of Proteins in Food

6064. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether Government have realised that food articles consumed in the couutry are very much deficient in proteins ;

(b) Whether 70 grams of proteins are the menimum requrement of an Indian and, if so the type of the protein required therefor; and

(c) Whether India has not been able to make available even 12 grams of animal protein per capita ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The Government are aware that the diet consumed by certain sections of the population is deficient in protein.

(b) & (c) : No. The protein requirement of an adult Indian is 55 grams. The type of protein required should come from foodstuffs like cereals, pulses, milk, etc. The per capita availability of animal protein in India is 5·5 garms according to the latest available figures.

Poultry Farms in Government Colonies in New Delhi

6065. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Works and Housiog** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2955 on the 17th April, 1972, regarding private Poultry farms in Government colonies in New Delhi and state the name of animals and birds allowed to be bred for this purpose in the Government colonies ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : Birds like hens and cocks are kept by some Government servants in accordance with the existing orders which place no restriction on the maintenance of poultry farms in Government quarters allotted to them provided they abide by municipal regulations on the subject, if any

Loan to Central Government Employees for Construction of House in Madhya Pradesh

6066. **Shri Phool Chand Verma** : Will the minister of **Works and Housing** be pleased

to state the total amount of loan given to Central Government employees in Madhya Pradesh till December, 1971 for construction of houses ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral): Rs. 9, 13, 671 during the period April-December, 1971.

कैन्सर का आयुर्वेदिक इलाज

6067. **श्री विभूति मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में प्रकाशित इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया कि 'आयुर्वेदिक प्रणाली' से कैंसर का इलाज हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही और यथा शीघ्र उपलब्ध कर दी जायेगी ।

चीनी संबंधी नई नीति निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय मंत्रीमंडल की उप-समिति की नियुक्ति

6068. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के उत्पादन में हो रही कमी और इसके मूल्यों में हो रही वृद्धि को देखते हुए, 1972 73 वर्ष के लिये चीनी संबंधी नई नीति निर्धारित करने हेतु केन्द्रीय मंत्रीमंडल की एक उप-समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त उप-समिति अपनी सिफारिशें कब तक दे देगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) चीनी की भावी नीति इस समय मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय लेने के बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी ।

चौथी योजना में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनायें

6069. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चौथी योजना के वर्ष 1972–73 में सम्मिलित किये जाने के लिये द्रुत कार्यक्रम के अंग के रूप में योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के सभी जिलों के लिये योजनायें प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं तथा इनके लिये कितना अनुमान लगाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : पहली अप्रैल, 1972 से राज्य सरकारों को ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के लिये ऐसी किस्म की परियोजनायें मंजूर करने का अधिकार दे दिया गया है जैसी वर्ष 1971-72 में आरम्भ की गई थीं, किन्तु इस बारे में शर्त यह है कि सभी मंजूर की गई परियोजनाओं ब्यौरा भारत सरकार को भेजा जाना चाहिये। नई परियोजनाओं के लिये भारत सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी। उड़ीसा सरकार ने उन परियोजनाओं का ब्यौरा अभी नहीं भेजा है जो मंजूर की गई हैं अथवा जिन्हें 1972–73 में आरम्भ करने का विचार है। इसलिये राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें तथा उनके अनुमान बताना संभव नहीं है।

कृषि स्नातकों को रोजगार

6070. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने कृषि के स्नातकोत्तर डिग्रीधारी है तथा उनमें से कितने बेरोजगार हैं; और

(ख) उन्हें रोजगार प्रदान किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1969-73 के दौरान कृषि स्नातकोत्तरों की संख्या 7,850 आंकी गई है। कृषि स्नातकों। स्नातकोत्तरों की नौकरी का प्रश्न राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। भारतीय कृषि के नवीकरण के लिये कृषि स्नातकों से अधिकाधिक पदों पर काम लिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनेक कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों के समावेश से, कृषि स्नातकों को बड़ी संख्या में परामर्शदात्री सेवाओं का प्रत्यक्ष कृषि सेवाओं के लिये नौकरी पर लगाया जा रहा है। कुछ समय से उन्हें कृषि-उद्योगों द्वारा उत्पादन और संवर्धन विषयक कार्यों से सम्बन्धित विशिष्ट पदों पर लगाया जा रहा है। कुछ समय से ऐसे कृषि स्नातकों की संख्या बढ़ गई है जो प्रत्यक्ष रूप से खेती का धन्धा अपना रहे है।

स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षा की पद्धति

6071 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षा की वर्तमान पद्धति को अप्रभावकारी पाया गया है,

(ख) क्या बहुत से स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षा पद्धति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी०

यादव) : (क) से (ग) : सीमित वित्तीय साधनों के कारण, राज्य सरकारें अपने अधिकारी स्कूलों में चिकित्सा निरीक्षण की सन्तोष जनक प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं कर सकी हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य-दोनों राज्य-विषय होने के कारण, राज्य सरकारों को यह सुझाव किया गया है कि स्कूलों के बच्चों की, जब वे स्कूलों में दाखिल होते हैं, और प्रत्येक मिडिल तथा हाई स्कूल स्तर के दौरान कम से कम एक बार डाक्टरी जाँच होनी चाहिये।

स्वास्थ्य विभाग ने चालीस हजार और उससे उपर की जन-संख्या वाले शहरी क्षेत्रों में स्कूल स्वास्थ्य एककों को खोलने से संबंधित एक योजना सभी राज्यों को परिचालित की है। पांचवी योजना में ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में स्कूल स्वास्थ्य सेवायें आयोजित करने के हेतु वे विस्तृत योजनाएँ भी बना रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी

6072. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) क्या इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य सरकारों से निम्नलिखित प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है :—

(1) आवास और कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करना।

(2) बिना किराये के मकान देना।

(3) उन चिकित्सा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो कतिपय वर्षों तक ग्राम क्षेत्रों में सेवा करने का वचन दें।

(4) सुदूरवर्ती तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किये गये डाक्टरों को 150 रुपये प्रति मास का एक भत्ता देना।

(5) शिक्षावृत्ति आदि देने में ग्राम क्षेत्रों की सेवा को महत्व देना।

(6) राज्य मुख्यालयों। चिकित्सा कालेजों में साक्षातकार करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजकर परिसरीय क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त स्थानों में तदर्थ नियुक्तियाँ की जा रही हैं।

(7) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा मदों में डी० और सी० श्रेणी के स्थानों में क्रमशः 150 रुपये तथा 100 रुपये प्रतिमास का विशेष चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।

(8) राष्ट्रीय सेवा की एक योजना बनाने के लिए कानूनी उपाय किये जा रहे हैं।

(ख) जी हां। बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रतिशतता घटकर 1971 में 3·4 हो गया है जबकि 1960 में यह 20·7 थी। इस प्रकार स्थिति में सुधार हुआ है।

मध्य प्रदेश के सिधी और रीवा क्षेत्र में खोले गए स्कूल

6073. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर सिधी और रीवा क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की सहायता से गत तीन वर्षों में कितने प्रारम्भिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं,

(ख) उक्त क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गई है, और

(ग) इस क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिये केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी राशि मंजूर की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार राज्य सरकारों को स्कूल खोलने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) राज्य सरकारों को सभी सहायता एकमुश्त दी जाती है । पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा के लिए कोई :वशेष धनराषि नही दी जाती ।

मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए शिक्षा

6074. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भिन्न उपाय अपनाने की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां तो क्या संघ सरकार का विचार उन्हें प्रारम्भिक अवस्था में तीन वर्ष तक अपनी बोली देवनागरी लिपि में उनके ही वातावरण में तथा उनके ही लोकगीत सिखाने का है, और

(ग) क्या इस समय सरकार आदिवासी बच्चों को पुस्तकें नि:शुल्क सप्लाई कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) से (ग)** आदिवासी बच्चों की शिक्षा के माध्यम से सम्बन्धित अपनायी जाने वाली नीति यह है कि उन्हें उनकी मातृभाषा के जरिए शिक्षा दी जानी चाहिए । प्रयोग में लाई जाने वाली लिपि निस्सन्देह स्थानीय परिस्थितियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी । चूंकि शिक्षा राज्यों का विषय है, अत: इस विषय पर निर्णय लेना राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है ।

निशुल्क पुस्तकें वितरण करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों की योजना के अधीन व्यवस्था की गई है तथा आदिवासी बच्चों सहित पिछड़े वर्ग के बच्चो को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री बाँटने के लिए राज्यों को निधियाँ दी गई है ।

भारत सरकार का आदिवासियों को देवनागरी लिपि के जरिए शिक्षा देने का कोई विचार नहीं है ।

मध्य प्रदेश में पैदावार बढ़ाने हेतु कृषकों को सहायता देने सम्बन्धी योजनाएं

6075. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों (रीवा और सिधी) में कृषकों को अपने खेतों में पैदावार बढ़ाने हेतु सहायता देने के लिये राज्य-वार कार्यक्रम के अंग के रूप में कोई ग्रामीण योजना तैयार की है; और

(ख) सरकार का विचार मेक्सिकन गेहूँ संकर जुआर, विदिशा जुआर, स्वरन जुआर, संकर मक्का, मिश्रित मक्का तथा संकर बाजरा और बिनौले का वितरण अनुमानतः कितने हैक्टेयरों में करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार से जानकारी माँगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कैंसर के कारण मौतें

6076. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में कैन्सर से प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्ति मरते हैं,

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि 50% व्यक्तियों का इलाज हो सकता था,

(ग) यदि हाँ, तो क्या गर्भाशय और मुंह के कैन्सर का पता लगाने के लिये एक निश्चित जनसंख्या की सामूहिक परीक्षा का तमिलनाडु में कोचीपुरम में एक मार्गदर्शी अध्ययन किया गया जो इस दिशा में पहला कदम है; और

(घ) यदि हाँ, तो कैन्सर का इलाज करने और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के मार्गदर्शी अध्ययन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) **और (ख)** : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अप्रैल, 1972 के विशेष लेख में लिखा है कि वृहत् बम्बई के सामान्य आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में कैन्सर से हर साल पांच लाख आदमी मरते हैं और इन में से 50 प्रतिशत रोगियों का उपचार किया जा सकता है यदि उनका शुरू में निदान और उचित रूप इलाज किया जाए । सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ग) जी नहीं । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ग्रीवा के कैन्सर पूर्व तथा कैन्सरजन्य विक्षति का पता लगाने के लिये सामूहिक-जांच कार्यक्रम चलाये हैं ।

(घ) देश में प्रादेशिक कैन्सर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार सक्रियरूप से विचार कर रही है । कुछेक कैंसर संस्थानों को भी केन्द्रीय साहायता दी जा रही है ।

नगरीय क्षेत्रों में भूमि के बढ़ते हुये मूल्य

6077. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न और मध्य आय वर्ग की आवास योजनाओं की प्रगति में नगरीय क्षेत्रों में भूमि की बढ़ता हुआ मूल्य भी एक मुख्य बाधा रहा हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या नगरीय क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1959 में आरम्भ की गई भूमि अर्जन और विकास योजना में भावी मकान निर्माताओं को विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों को विकासित प्लाट उपलब्ध करने के लिये राज्यों को शहरी भूमि के वड़े पैमाने पर अर्जन और विकास के लिये ऋण सहायता देने की व्यवस्था है । योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में है । राज्यों को बड़े पैमाने पर शहरी भूमि का अर्जन करने पर बल दिया गया है ।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है भूमि में निजी मुनाफाखोरी को निरुत्साहित करने के लिये 1961 में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, निकास और बिक्रि की योजना आरम्भ की गई थी ।

इन उपायों से कुछ सीमा तक निम्न आय वर्गों के लिये आवास हेतु उचित दामों पर विकासित भूमि उपलब्ध करने में सहायता मिली है ।

चीनी के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुये मिलों द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्री का बन्द किया जाना

6078. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुये सरकार मिलों द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्रि बन्द करने का विचार कर रही है, और

(ख) यदि नहीं, तो चीनी के मूल्य को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : **(क) और (ख)** : चीनी की भावी नीति पर विचार हो रहा है और अन्तिम निर्णय लेने के बाद उसकी घोषणा कर दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं तथा चावल और इन वस्तुओं का प्रति टन वसूली मूल्य, निकासी मूल्य तथा व्यापार पर ऊपरी खर्च

6079. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने गत वर्ष जो गेहूँ तथा चावल खरीदा था उनकी क्या-क्या किस्में हैं;

(ख) इन वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का प्रति टन वसूली मूल्य, निकासी मूल्य तथा व्यापार पर ऊपरी खर्च कितना-कितना है; और

(ग) इन दोनों वस्तुओं की मूल्य नीतियों में भिन्नता हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1971-72 (अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 50·29 लाख मीटरी टन गेहूँ और चावल के हिसाब से धान सहित 27·18 लाख मी० टन चावल अधिप्राप्त किया था।

(ख) देशी साधारण सफेद और विभिन्न मैक्सीकन किस्मों के गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य 760 रुपये प्रति टन मी० था और देशी लाल किस्म के गेहूँ का 710 रुपये से 740 रु० प्रति मी० टन था। निर्गम मूल्य 780 रुपये प्रति मी० टन था। चावल का अधिप्राप्ति मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न था। चावल की मानक किस्मों का राज्यवार मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। चावल के निर्गम मूल्य नीचे दिये गये हैं—

मोटा	1000 रु० प्रति मी० टन
मध्यम	1110 रु० ,, ,, ,,
बढ़िया	1200 रु० ,, ,, ,,
बहुत बढ़िया	1280 रु० ,, ,, ,,

भारतीय खाद्य निगम ने 1971-72 के दौरान गेहूं तथा चावल की अधिप्राप्ति पर निम्न-लिखित ऊपरी खर्च किये थे :— (रु० प्रति मी० टन)

	औसत अधिप्राप्ति खर्च । प्रासंगिक खर्च	सामान्य तथा बफर कार्यचालनों के लिये भण्डारण, संचलन एवं वितरण लागत	जोड़
गेहूँ	110.20	127.00	237.20
चावल	73.60	155 70	229.30

(ग) गेहूँ तथा चावल की मूल्य नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है। मुख्य फसलों की बुवाई की लागत का अध्ययन करने के लिये एक विस्तृत योजना हाथ में ली गई है। भविष्य में मूल्य नीति तैयार करते समय इस अध्ययन के परिणाम को ध्यान में रखा जायेगा।

विवरण

1971-72 मौसम में विभिन्न राज्यों में चावल की मानक किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य बताने वाला विवरण।

[रु० प्रति क्विंटल]

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मानक किस्म	1971-72 के लिये अधिप्राप्ति मूल्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	अवकुल्लू	803.20

2.	असम	विंटरसाली	—
3.	बिहार	मोटा	952·50
4.	गुजरात	साठी	853·40
5.	हरियाणा	बेगमी	855·00
6.	केरल	पालघाट भट्टा	858·80
7.	मध्य प्रदेश	गुरमटिया	830·00
8.	महाराष्ट्र	मोटा	810·00
9.	मैसूर	मोटा (कच्चा)	743·00
10.	उड़ीसा	मध्यम	952·00
11.	पंजाब	बेगमी	855·00
12.	राजस्थान	सुथरसौल	—
13.	तमिल नाडु	कट्टईसाम्बा	883·10 (सेला)
14.	उत्तर प्रदेश	ग्रेड–3	890·00
15.	प० बंगाल	साधारण	912·00

दक्षिण के राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

6080. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर सरकार ने विचार किया है, और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) . पांडेचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय में लायेब्ररियन का पद

6081. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय में लायब्रेरियन का पद बहुत समय से रिक्त पड़ा है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां । फिर भी, आन्तरिक उपाय के रूप में कार्य की देखभाल करने के लिए आपत्कालीन प्रबन्ध किये गये हैं ।

(ख) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर पुस्तकाध्यक्ष के पद को निदेशक के पद तक उन्नत किया गया है । निदेशक के उन्नत पद को इस पद के लिए भर्ती के नियमों को अन्तिम रूप देने के बाद भरा जाएगा । इस पद के भरे जाने का प्रश्न भी राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

के भावी प्रशासनिक ढांचे के प्रश्न से सम्बन्ध है, जो अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

6082. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है,

(ख) क्या इस पुनरीक्षण समिति ने पुस्तकालय के शुल्कदाताओं और पाठकों के विचारों की जाँच की थी और

(ग) यदि हाँ तो क्या पुस्तकालय के प्रशासकीय ढांचे और कृत्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय शुल्कदाताओं और पाठकों के विचारों पर ध्यान दिया जायेगा ।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर लिए गये निर्णयों से सम्बन्धित एक विवरण अगस्त, 1970 में लोक सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

(ख) पुनरीक्षण समिति ने पुस्तकालय के कार्यकलापों, इसके संगठनात्मक ढांचे, स्टाफ की रूपरेखा इत्यादि के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रश्नावली जारी करके पुस्तकालय के विभिन्न श्रेणियों के प्रयोगकर्ताओं के विचार प्राप्त किये थे । इसके अतिरिक्त कुछ विख्यात व्यक्तियों से साक्षात्कार किये गये । समिति ने अपनी सिफारिशें बनाने के पहले इन सुझावों पर विचार किया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

150 बाला घाट मेन रोड, कलकत्ता स्थित इमारत का अधिकार में लिया जाना

6083. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 150 बाला-घाट मेन रोड कलकत्ता स्थित उस इमारत को रक्षित करले तथा उसे गाँधी स्मारक भवन में बदलने हेतु अधिग्रहण करने का निर्णय किया है जिससे महात्मा गाँधी ने 15 अगस्त, 1947 को उपवास किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के गुजराल) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) **और** (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Scholarships to Backward class students in central school, Gaya (Bihar)

6084. **Shri Ishwar Chaudhay** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to State :

(a) The number of Harijan and Backward Class students studying in the Central School, Gaya (Bihar); and

(b) The main features of the scholarships granted to students belonging to backward classes during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and social welfare and in the department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to the information furnished by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, there are six scheduled Caste candidates studying at the Central School, Gaya. There are no Scheduled Tribe students studying in the School.

(b) The Kendriya Vidyalaya Sangathan which administers the Central Schools, does not grant any scholarships to students belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other Backward Classes. The students belonging to these communities are, however, exempted from the payment of tuition fees in Classes IX, X and XI.

Adultration of Pure Ghee

6085. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

will the Minister of **Helth and Family Plann ng** be pleased to State :

(a) wehther Ghee adulterated with Dalda is being sold in the market as pure Ghee;

(b) if so, the measures taken by Govrnment to prevent this practice; and

(c) the number of such cases brought to this notice of Government and the action taken against the guilty persons ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P Chattopahyaya) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Demands from States for Establishing Agricultural University

6086. **Shri Isnwar Chaudhry :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether each State has made a demand to the Govenment that Agricultural' University may be set up in each State with a view to achieve the target of 'green revolution and

(b) If so, the time and the place where this University is likely to be set up in Bihar ?

The Minister of State in the Ministory of Agriculrure (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Education Commission has recommended that at least one Agricultural University shcuid be set up in each State. In pursuance of this recommendation, 17 Agricultural Universities have already been set up in the country. These are functioning in Uttar Pradesh, Punjab, Orissa, Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra (2), Assam, Haryana, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Rajastan. and Himachal Pradesh (Agricultural complex).

(b) The Rajendra Agricultural University in Bihar. which is one of the 17 Agricultura· Universities mentioned above was established on 3-12-70 under an Act. of Parliament (Rajendra Agricultural University Act, 1970) with its Head-quarters at Patna.

आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल की उपलब्धता

6087. **श्री के० राम कृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में जिलावार भूमिगत जल की उपलब्धता का अनुमान लगा लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी जिलावार जानकारी क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। किन्तु, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने पश्चिम गोदावरी, कृष्ण, गुन्टूर और नैलौर जिलों में 1958-59 और 1968-71 की अवधि के दौरान 7876 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में परीक्षण छिद्रण द्वारा समन्वेषी कार्य किया। 3055 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमिगत जल के लिये उपयुक्त पाया गया।

नई दिल्ली में आर० के० पुरम के सेक्टर तीन और चार में दिल्ली दुग्ध योजना के अतिरिक्त बूथ खोलने की मांग

6088. **श्री के० राम कृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम, नई दिल्ली, के सेक्टर तीन और चार की रेसीडेंट वेल्फेयर एसोशियेशन ने दिल्ली दुग्ध योजना की अतिरिक्त बूथ खोलने की कोई माँग की है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा डीपू कब तक खोल दिये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) रामकृष्ण पुरम सेक्टर 3 की निवासी कल्याण संस्था से एक अतिरिक्त दुग्ध केन्द्र खोलने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना को एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। रामकृष्ण पुरम सेक्टर 4 की निवासी संस्था से योजना को कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) राम कृष्ण पुरम सेक्टर 3 में क्वाटर सं० 919 और 769 के बीच लान के किनारे पर दिल्ली दुग्ध योजना ने अतिरिक्त दुग्ध केन्द्र के लिये एक स्थान चुना है। विभिन्न औपचारिकातायें पूरी की जा रही है। केन्द्र के बनाने और उसके द्वारा फार्म शुरू करने में अभी कुछ समय लगेगा।

अमरीकी सहायता से पूरी की गई कृषि अनुसंधान योजना

6089. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान और सम्बद्ध विषय की कुछ योजनायें अमरीकी सहायता से से चलाई जा रहीं थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) अमरीकी सहायता के बन्द हो जाने से इन योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और योजनाओं को जारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास विषयक अमरीकी अभिकरण के अन्तर्गत अनुसन्धान और शिक्षा से सम्बन्धित इन योजनाओं को सहायता दी जा रही है :—

1, मृदा और जल प्रबन्ध

2. चावल अनुसन्धान सुधार

3. कृषि विश्वविद्यालय विकास ।

अनेक कृषि अनुसन्धान योजनाओं को पी० एल०–480 निधि से भी वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास विषयक अमरीकी अभिकरण के अन्तर्गत प्राविधिक सहायता बन्द नही की गई है ।

कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति

6090. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये ढंग से खेती करने के बारे में किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) उक्त योजना विभिन्न राज्यों के किन-किन जिलों में आरम्भ की गई थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा वर्ष 1966-67 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषकों, महिला और पुरुष दोनों, को प्रशिक्षित करना है जिससे कि कृषि उत्पादन प्रयत्नों में आवश्यक सहाया प्रदान की जा सके 1 वर्ष 1971-72 तक प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की कुल सख्या अनुबन्ध-1 में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2026 72]**

(ख) यह कार्यक्रम वर्ष 1966-67 के 5 जिलों से बढ़कर 31 मार्च, 1972 के अन्त तक अब 100 जिलों में लागू हो गया है । कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों के नाम अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2026/72]**

Scholarships to children of Teachers.

6091. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education and Social welfare** be pleased to state the names of the States in which the scheme regarding scholarhips to the children of teachers would be implemented first and the date from which it would be implemented ?

The deputy Minister of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadava) : With a view to enable meritorious children of Primary and Secondary School teachers to pursue higher education. Government of India have been operating since 1961 the Scheme of National Scholarships for children of School tcachers. These scholarships are allocated to all the States and Union Territories in the proportion of the number of school teachers working there.

The Scheme is implemented through the State Governments aud Union Territories, who invite the applications from the eligible candidates each year immediately after the announcement of the results of the School Leaving or Pre-University examination held in

March-April. On receipt of the applications, the State/Union Territory makes the necessary sclection of the candidates for the award of scholarships.

Sending of Students abroad for higher studies

6092 : **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Education and Social welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government of India send some students abroad every year for higher education;

(b) Whether the expenditure on these students is borne by the Government of India; and

(c) If so, the number of students sent to the various countries during 1970-71 and the break-up of the expenditure incurred on them ?

The Deputy Minister in the Ministery of education and social welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadava) (a) and (b) : Under the following two Schemes administered by the Ministry of Education and Social Welfare, Indian students are sent abroad for higher education at the expense of the Government of India :—

(i) Scheme of National Scholarships for Study Abroad, and

(ii) Scheme of Scholarships for Overseas Studies to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Denotified, Nomadic and Semi—Nomadic Tribe students.

Besides, the Ministry of Education and Social Welf are nominate candidates for study abroad under the various scholarships offered by foreign Governments Organizations. The expenditure on these scholars is generally met by the donor Government/Organization except in the case of Rutherford Foundation and Imperial Relations (UK) Scholarships where the Government of India meets fifty percent cost. Government also meets the passage cost in respect of poor and deserving candidates who are recepient of the scholarships offered by the foreign Governments/Organizations, provided the passage cost is not met by the donor country.

(c) Statement is attached. **(Placed in the Library. Sec. No. L. T. 2027/72)**

Funds to State for Post-Matric Scholarship

6093. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the number of students belonging to the Scheduled Castes in Uttar Pradesh who were awarded scholarships during the year 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministery of Education and social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : 46, 020 post-matric scholarships were awarded to Scheduled Caste students during the year 1970-71.

रोजगार प्रधान पांच वर्षीय राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्य क्रम

6094. **प्रभुदास पटेल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने पाँच वर्षीय राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया है और यदि हाँ तो क्या इसे रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम कहा जाता है,

(ख) क्या यह दूसरा राज्य है जहाँ ऐसा रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है और क्या केन्द्र ने ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता देने का वायदा किया है, और

(ग) यदि हाँ तो गुजरात राज्य के लिये कितनी सहायता मंजूर की गई है तथा क्या इस बारे में कोई शर्तें लगाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई पाठ्य क्रम शुरू नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

सभी पत्तनों को तटीय राजमार्गों से मिलाने के लिये गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन

6095. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने गुजरात के सभी पत्तनों को सड़क द्वारा तटीय राजमार्गों से मिलाने के लिये मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र ने गुजरात राज्य के इस मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ओखा को कच्छ से मिलाने वाले अकेले तटीय राजमार्ग पर 1 करोड़ रुपये की लागत आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या संघ सरकार इस मास्टर प्लान की क्रियान्विति के लिये राज्य को पूर्ण सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : **(क) से (घ)** राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सड़क द्वारा गुजरात की सभी पत्तनों को तटीय राजमार्गों के साथ जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। ओखा को कच्छ से जो कि उक्त मास्टर प्लान का भाग है, मिलाने वाले राजमार्ग की लागत का 72.00 लाख रुपये का अनुमान है। इस प्रकार राज्य सरकार ने मास्टर प्लान के अनुमोदन या वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार से अनुरोध नहीं किया है । राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपये की संभाव्य लागत के 588 मील लम्बे बड़ोदा, कैम्बे, भाबनगर, वैरावल, पोरबन्दर, ओखा और मलिया को मिलाने वाले एक तटीय राजमार्ग के लिये वित्तीय सहायता के लिये निवेदन किया है । भारत सरकार चतुर्थ योजना में इस मार्ग पर 5 पुलों और दो सड़कों के निर्माणार्थ 143 लाख रुपये की ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गई है]

Consumption of Intoxicants by Students

6096. **Shri Shive Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government have received complaints that the tendency among the students (boys and girls) to consume intoxicants has increased; and

(b) If so. the nature thereof and the remedial steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministery of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : **(a) & (b)** . No Sir. Isolated instances have been reported in the press. The Government are, however, fully alive to the problem and are taking necessary steps to prevent the spread of drug addiction among the students community.

अखिल भारतीय मधुमेह अनुसंधान संस्थान

6097. **श्री वेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय मधुमेह अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी स्थापना कब होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पोलीटेकनीक शिक्षा के पुनर्गठन तथा विकास के बारे में समिति का प्रतिवेदन

6098. **श्री वेकारिका** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलीटेकनीक शिक्षा (1970-71) के पुनर्गठन तथा विकास के बारे में विशेष समिति के प्रतिवेदन को सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है,

(ख) यदि हाँ तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशों का सारांश संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2028/72**]

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्रवाई की एक योजना राज्यों के तकनीकी शिक्षा के निदेशकों के परामर्श से तैयार की गई थी । कार्रवाई की योजना अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा 22 अप्रैल, 1972 को हुई उसकी पिछली बैठक में अनुमोदित की गई थी ।

राज्य सरकारों के जरिए योजना को कार्यान्वित करने की अगली कार्रवाई प्रगति पर है ।

Imparting Education in History in Delhi Schools

6099. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Director of Education Delhi Administration is receiving Complai-

nts that arrangements are made for imparting education in History in only some Higher Secondary Schools on the demand of the students, whereas this subject is not being taught in most of the schools: and

(b) If so, whether Government would make some such arrangements under which a student could get an opportunity of selecting the subjects according to his own choice and important subjects like History could be taught in every school ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P.Yadav) : (a) No such complaint has been received.

(b) Does not arise.

भूतपूर्व मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों की ओर बकाया किराया

6100. **श्री अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व मंत्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने फर्नीचर, बिजली, पानी तथा अन्य पदों के किराये सरकार को देने हैं;

(ख) इनमें से उनके नाम क्या हैं जिनकी ओर बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है; और

(ग) उनके नाम क्या हैं जिनकी ओर अब भी राशि बकाया हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) . अब तक की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रन्थालयों का श्रवण-दृश्य संचार केन्द्रों में बदला जाना

6101. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रन्थालयों को श्रवण-दृश्य संचार केन्द्रों में बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : सरकार का इस समय पुस्तकालयों को दृश्य-श्रव्य संसूचन केन्द्रों में बदलने का कोई विचार नहीं है । किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के लिए दृश्य-श्रव्य साधन का अनुपूरक सेवा के रूप में अवश्य प्रयोग करते हैं ।

फसल की प्रणाली में परिवर्तन का अध्ययन

6102. **श्री रामकंवर** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवर्तित फसल प्रणाली के सम्बन्ध में हाल ही में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में कई अध्ययन किए गए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में इन अध्ययन दलों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) यदि इन सुझावों को क्रियान्वित किया गया तो देश में खाद्य स्थिति में कैसे सुधार होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के अधीन और कृषि विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की फसल पद्धतियों पर अध्ययन चल रहे हैं।

(ख) वर्ष में दो फसलों की बजाय 3 या 4 फसलें उगाने की विभिन्न प्रकार की फसल पद्धतियों पर अनुसन्धान कर्त्ताओं के विभिन्न दलों ने अध्ययन किया है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों के लिये फसल पद्धति :—

जिन कृषकों के पास पर्याप्त जल सप्लाई के लिए नलकूप हैं सारा माल निम्नलिखित मिली फसलें उगा सकते हैं :—

खाद्य, नकदी चारा और दालों की फसलें

(क) मक्का-आलू-गेहूँ-मूंग

(ख) ज्वार-मूली-गेहूँ-लोबिया

(ग) मक्का-लोबिया-गोभी-गेहूँ- लोबिया (मौसम के मध्य में)

(घ) धान-गेहूं-मूंग

(ड़) बाजरा-गेहूँ-मूंग या लोबिया

सारे वर्ष उगाई जाने वाली सब्जियां

(क) भिन्डी-मटर-अगेता कुक्करबिटा

(ख) वर्षाकालीन-आलू-भिण्डी-टमाटर-कुक्करबिटा

सारा वर्ष उगाई जाने वाली चारा फसलें

ज्वार–बरसीम–मक्का+लोबिया

मक्का+लोबिया–जइ–बाजरा या लोबिया।

2. सीमित जल सप्लाई वाले क्षेत्रों के लिये फसल पद्धति

एक और दल सीमित जल सप्लाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिली-जुली फसलों का अध्ययन कर रहा है। ऐसे क्षेत्र नहरों के पास हैं और वहां छोटे छोटे कूप जिन पर रहट चलते हैं। इन क्षेत्रों नकदी फसलों और धान और गेहूं आदि खाद्य फसलों को लाभप्रद ढंग से उगाना कठिन है।

निम्नलिखित मिली-जुली फसलों का अध्ययन किया जा रहा है :—

(क) अरहर–गेहूँ–मूंग

(ख) अरहर उड़द के साथ बोने के लिये–मसूर–मूंग

(ग) मक्का–मटर–मूंग

(घ) बाजरा–मसूर–लोबिया

(ड़) उड़द–जौ–लोबिया

(च) उड़द–सरसों–मूंग

उपरोक्त मिली-जुली फसलों के विषय में मूल नियम यह हैं कि वे फसलें चुनी जायें जिन्हें कम जल और उर्वरकों की आवश्यकता हो।

(ग) ऐसे आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार ने कृषकों के लाभ और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये दो प्रकार की योजनाएं आरम्भ की हैं।

1) राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना जिनका लक्ष्य बहु फसलों की क्षमता वाले कृषकों के खेतों में प्रदर्शित करना है।

(2) बहु फसल सम्बन्धी आदर्श परियोजनायें। सम्य परीक्षण के साथ-साथ गहन कृषि पद्धति के अन्य परीक्षण समन्वित परियोजनाओं में देश के विभिन्न कृषि मौसमी क्षेत्रों में छोटे भू-स्वामियों के लिये फसल पद्धतियों का अध्ययन किया जायेगा।

(घ) गहन फसल पद्धति बढ़ाने से खाद्य स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। उपलब्ध जल सप्लाई का भी अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। इससे कृषकों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी।

बीजों और उर्वरकों के बेहतर वितरण के लिये पंजाब के किसानों द्वारा प्रदर्शन

6103. **श्री रामकंवर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के विभिन्न भागों में कई सौ किसानों ने हाल में प्रधान मंत्री के आवास स्थान के बाहर बीजों और उर्वरकों का ईमानदारी से वितरण करने की माँग में प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या उन्होंने यह भी माँग की कि गेहूँ के वसूली मूल्यों में तुरन्त वृद्धि की जाए; और

(ग) क्या सरकार ने इन किसानों की माँगों की सवाधानी से जाँच की है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। श्री महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, खेती बाड़ी संघ, लुधियाना (पंजाब) के नेतृत्व में 800 किसानों ने प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के बाहर 7 अप्रैल, 1972 को प्रदर्शन किया था और अपनी माँगों का एक पत्र तथा ज्ञापन दिया था। ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2029/72]** इस ज्ञापन में बीजों और उर्वरकों का ईमानदारी से वितरण करने को कोई माँग नहीं थी।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ। सावधानी से विचार करने के उपरान्त सरकार ने गेहूँ के गत वर्ष के अधिप्राप्ति मूल्य को जारी रखने का निर्णय किया है।

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा

5104. **श्री माधुर्य्य हालदार :**

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में प्राथमिक शिक्षा के बारे में कलकत्ता विश्वविद्यालय के साँख्यिकी विभाग द्वारा किये गये अध्ययन के निस्कर्षों के बारे में प्रतिवेदन हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को प्रस्तुत किया गया था उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विवरण संलग्न है जिसमें अध्ययन की मुख्य बातें दी गयी है।

(ख) आशा की जाती है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपेक्षित कार्रवाई के हेतु रिपोर्ट पर विचार करेगी और शीघ्र ही राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करेगी तथा स्कूलों के गुणात्मक सुधार के लिये दीर्घकालीन उपाय के रूप में ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करेगी।

विवरण

1. यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आकस्मिकता के आधार पर चुने हुए 1432 प्राथमिक और 103 जूनियर (बुनियादी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित है। स्कूलों और अध्यापकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण गणना के स्थान पर नमूने का सर्वेक्षण किया गया था।

2, अधिकांश प्रारम्भिक स्कुलों में सह शिक्षा है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निकटतम प्राथमिक स्कूल प्रत्यर्थी ग्रामीण स्कूलों के 72 प्रतिशत से एक मील के अन्दर है।

3. 59·2 प्रतिशत प्रारम्भिक स्कूलों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।

4. इस अध्ययन के लिये चुने गए प्राथमिक स्कूलों में से लगभग 90% और जूनियर बुनियादी स्कूलों में से सभी के पास अपने-अपने भवन हैं।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए 44 प्राथमिक स्कूलों और 9 जूनियर बुनियादी स्कूलों में अथवा स्कूलों के प्रांगण के आस पास उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिये पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कलकत्ता में भी, 30 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को, स्कूल के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

6. 55 प्रारम्भिक स्कूलों में श्याम पटल (ब्लेक बोर्ड) ही नहीं है। ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के तीन चौथाई स्कूलों और शहरी प्राथमिक स्कूलों के दो-तिहाई स्कूलों में कोई पुस्तक नहीं है।

7. अध्यापकों का एक चौथाई से अधिक (25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे)

मैट्रिक उत्तीर्ण भी नहीं है । ऐसे अध्यापकों में से एक चौथाई को अध्यापन पद्धतियों में कोई औपचारिक प्रतिक्षण प्राप्त नहीं है ।

8. ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के लगभग 10 प्रतिशत में केवल एक एक अध्यापक है ।

9. प्रारम्भिक स्कूलों में कार्य कर रहे 5032 अध्यापकों को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है । इसमें से 8 प्रतिशत जूनियर बुनियादी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं उनमें से 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त है और उनमें से 19 प्रतिशत महिलायें है ।

10. ग्रामीण प्राथमिक स्कूल के अध्यापक के परिवार के सदस्यों की सख्या लगभग 7 है ।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अध्यापक प्रतिदिन 4·5 और 5·5 घंटों के बीच स्कूल अध्यापन के लिये देते हैं, कि शहरी स्कूलों में अधिकांश अध्यापक इसी कार्य के लिये 3·5 से 4·5 घंटे प्रतिदिन देते हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर दक्षिण उप-नगरीय नगरपालिका बेहाला कलकत्ता की बकाया राशि

6105. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 1963–64 से 1971–72 की अवधि के लिये नगरपालिका दरे और करों के रूप में दक्षिण उपनरीय नगरपालिका बेहाला कलकत्ता को 7 लाख रुपये देने हैं;

(ख) क्या नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अनेक बार अनुरोध करने और स्मृति पत्र भेजने के बावजूद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन चार के कार्यकारी इन्जीनियर द्वारा उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं । स्थिति इस प्रकार है कि नगरपालिका ने गलत कर-निर्माण के आधार पर लगभग 8 लाख रुपये की मांग की थी । उनको देय सही राशि लगभग 1 लाख रुपये आंकी गई है, तथा तदानुसार अदायगी कर दी गई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Price of Fertilisers

6106. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The prices of different types of fertilisers in the year 1960, 1965, 1970 and 1972;

(b) The quality of the fertilisers out of them produced in India and quantity of those imported from abroad; and

(c) The price of imported fertilisers at Indian ports and the price at which it is sold with in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The pool issue prices for states in respect of major fertilisers, as prevailed during the financial years. 1960-61, 1965-66, 1970-71 and 1971-72 are detailed as under:—

(Rs. per M. T.)

	1960-61	1965-66	1970-71	1971-72 (up to 16-3-72)	1971-72 (from 17-3-72)
(a) Amonium Sulphate	344·50	330·00	474·00	474·00	494·00
(b) Urea (46 SM)	684·10	570·00	863·00 843·00 (WEF 4-3-71)	843·00	879·00
(c) CAN (326 SN)	324·80	278·00	515·00	515·00	534·00
(d) Muriate of Potash	No Imports		483·00 473·00 (WEF 1-1-71)	473·00	493·00

The above prices are F. O. R. despatching station freight pre-paid up to railhead destination throughout the country.

(b) The quantity of fertilisers in terms of NPK indigenousl produced and those imported are as under:—

(in lakh tonnes)

	Indigenous			Imported		
	N	P 205	K 20	N	P 205	K 20
1960-61	0·98	0·52	—	1·19	0·0002	0·22
1965-66	2·32	1·23	—	3·26	0·14	0·85
1970-71	8·30	2·30	—	4·77	0·32	1·08
1071-72	9.52	2·78	—	4·80	2·50	2·80

(c) The Department of Agriculture does not deliver imported fertilisers to States at the ports and so no price at the ports is prescribed. The Department maintains All India uniform prices, mentioned at answer to (a) above, inclusive of railway freight to any railhead in India. In order to maintain uniform prices even in those States which do not have significant railway facilities like Jammu & Kashmir, Assam & Meghalaya, the Department also absorbs the heavy road transport costs t o some agreed centres.

Insects Found in Sealed Coca-Cola

6107. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether Government have received complaints to the effect that fungus along with insects, mosquitoes, flies and straws, etc. have been found in sealed Coca-Cola bottles; and

(b) If so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Minitsry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Setting up Catechu Factory in Madhya Pradesh

6108. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether the forest of Madhya Pradesh abound in Catechu trees and if so, whether Catechu is being produced there by the traders by natural and artificial article means; and

(b) Whether Government are taking any actions for setting up a modern factory there for producing Catachu ?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) : The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

जयन्ती शिपिंग कम्पनी का कार्यकरण

6109. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयंती शिपिंग कम्पनी ने अधिग्रहण के पश्चात् सुचारु रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अधिग्रहण के पश्चात क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यद्यपि सरकार ने कम्पनी के स्वामित्व को अक्तूबर, 1971 में अपने हाथ में लिया था, सरकार ने इसका प्रबंध बहुत पहले 10 जून, 1966 को संभाल लिया था, और तब से कम्पनी उचित रूप से कार्य कर रही है ।

(ख) कम्पनी की सभी पिछली देयतायें, जो 10–6–66 तक इकट्ठी हो गयी थीं, चुकता कर दी गई हैं । 10–6–66 से 31–3–71 तक की अवधि में कम्पनी ने 10·51 करोड़ रुपये का अनुमानित निवल लाभ कमाया । कम्पनियों के उन जहाजों, जो भूतपूर्व प्रबंध द्वारा अच्छी तरह देख रेख न हो सकने के कारण बुरी हालत में थे, की देखभाल अब भली प्रकार हो रही है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण

6110. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने पर खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो चीनी सहित इन वस्तुओं के मूल्यों को एक उचित स्तर तक कम करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फिलहाल थोक व्यापार को पूर्णतया हाथ में लेने का विचार नहीं है । मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये प्रमुख खाद्यान्नों का अधिकांश थोक व्यापार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पहले ही किया जा रहा है ।

(ख) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों और चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी वितरण प्रणाली को ओर भी सशक्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किये गये उपायों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खाद्यान्नों और चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

1– राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सहकारी वितरण प्रणाली में उदारता बरतते हुये उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण अधिक मात्रा में करें।

2– राज्य सरकारों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उनके गेहूँ के आवंटन को उदार बना दिया गया है।

3– राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे रोलर फ्लोर मिलों को उनकी पूरी मिलिंग क्षमता तक गेहूँ आवंटित करें।

4– भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूँ को बिक्री शुरू की गई है।

चीनी—

1– कारखानों के द्वारा चीनी की बिक्री मासिक नियुक्ति आदेशों द्वारा विनियमित की जा रही है।

2– उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मुख्यतः घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिये मासिक नियुक्ति की 60 प्रतिशत चीनी निर्धारित मूल्य पर कारखानों से ली जाती है।

3– व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

4– व्यापारियों के चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर रोक लगा दी गई है।

5– चीनी व्यापारियों के खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के स्टाक पर बैंक से मिलने वाली पेशगियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं और उस पर गुंजाइश 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता

6111. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न मैडिकल कालेजों को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर मैडीकल कालेज के लिये 50 प्रतिशत आवर्ती और 75 अनावर्ती व्यय देने का वचन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, क्या ऐसा किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जहाँ तक उप-स्नातक चिकित्सा का सम्बन्ध है, राज्यों को कोई आर्थिक

सहायता नहीं दी जाती क्योंकि यह विषय राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आता है। फिर भी दिल्ली के छात्रों के लिये राज्य के मेरठ स्थित मेडिकल कालेज में 50 एम० बी० बी० एस० की सीटों की व्यवस्था करने के हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया है। 1971–72 में इस राज्य सरकार को 4,32,500 रुपये की मंजूरी दी गई। 1972-73 के वर्ष में इस प्रयोजन के लिये 10 00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

जहाँ तक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा कालेजों के निम्नलिखित विभागों का उन्नयन करने के हेतु एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अधीन आर्थिक सहायता दी जा रही है:—

1– चिकित्सा विभाग, जी० एस० वी० एम० चिकित्सा कालेज, कानपुर

2– चिकित्सा विभाग, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा

3– प्लास्टिक शल्य चिचित्सा त्रिभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ।

4– सामाजिक और निरोधी चिकित्सा विभाग, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में स्नातकोत्तर विभागों के उन्नयन की योजना के अधीन जी० एस० बी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के उन्नत किये गये चिकित्सा विभाग को निम्नलिखित मदों से खर्च करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है :—

अनावर्ती—

(i) **भवन** : विभाग में प्रयोगशाला तथा नैदानिक प्रशिक्षण देने के लिये अतिरिक्त भवनों के निर्माण के लिये।

(ii) **उपस्कर** : विभाग के लिये अपेक्षित विशेष उपस्करों की व्यवस्था करने के लिये।

आवर्ती—

(i) **स्टाफ** : भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत स्तर तक पहुंचने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करने के लिये।

(ii) **वजीफा** : क्षेत्र में दी जा रही वजीफों की दर अथवा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर विभाग में भरती किये गये अधिकतम 10 छात्रों को छात्रवृत्तियों के देने के लिये।

(ग) राज्य सरकार को वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष विहित कार्य विधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी राज्य बोर्ड

6112. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या शिक्षा और समाज कयाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने चुने हुए पोलिटेक्निकों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिये तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी राज्य बोर्डों के प्रश्न विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श का साराँश क्या है और क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह सिफारिश की थी कि चुने हुए पोलिटेक्निकों को, उद्योगों के सहयोग से तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार करने, उच्च स्तर कायम करने और अन्ततः आदर्श संस्थाएं होने के लिए, स्वायत्ता मंजूर कर देनी चाहिए ।

किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

6113. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, प्रत्येक राज्य के आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दे रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

निर्माण और आवास विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण

6114. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता आयोग ने 25 सितम्बर, 1969 को निर्माण और आवास विभाग को सलाह दी थी कि वह अपने विभाग के उन अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगे जिनका कुरीतियों और भ्रष्टाचार में हाथ है; और

(ख) क्या उक्त आयोग ने विभाग को इस सम्बन्ध में कई स्मृतिपत्र भेजे हैं; और यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की है; और यदि नहीं, यो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिनांक 25 सितम्बर, 1969 के अपने पत्र में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस मत्रालय को राम कृष्ण पुरम-XIII के पड़ौस के भवनों तथा कर्जन रोड होस्टल के बारे में घटिया काम के उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को सलाह दी थी ।

(ख) अधिकारियों के स्पष्टीकरण पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विचार किया गया और आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार घटिया काम के लिये उत्तरदायी अधिकारियों की गलतियों को उनके ध्यान में लाया गया और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनु-

मोदन से मामले समाप्त कर दिये गये ।

कलकत्ता में टैम्पल स्ट्रीट प्रेस प्लाट का लगाया जाना

6115. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 14 वर्ष पश्चात् टैम्पल स्ट्रीट प्रेस प्लांट के लगाये जाने के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कनाट सर्कस, नई दिल्ली के चारों और बहु-मंजली इमारतों के लिये नई योजनाएं

6116. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में पूर्ण प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी कनाट सर्कस के चारों ओर बहु-मंजली इमारतों के निर्माण के लिए जिन परिस्थितियों में नये नक्शे मांगे गये थे क्या उनकी जांच के लिए कोई मांग की गई थी तथा जाँच की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जांच की न तो कोई मांग की गई, न हो वह की गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assistance to States for Construction of School Buildings

6117. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have formulated any scheme under which assistance is provided to State Government for the construction of school buildings; and

(b) If so. the amount likely to be given to Bihar for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : **(a) & (b)**. The Government of India have no specific scheme of assistance for the construction of school buildings. However, under the Scheme of providing employment to the educated unemployed. A sum not exceeding Rs. 2,000/-per class-room was sanctioned to the State Government including Bihar for additional class rooms required as a result of the employment of additional teachers.

In 1971-72 an amount of Rs. 16, 66, 000 was sanctioned to the State Government of Bihar for the purpose. For 1972-73, proposals from the State Government are awaited. The Ministry of Agriculture (Department of Community Development) under their Crash Seheme for Rural Employment have also made a provisiou for assistance for construction of Primary school class rooms. Bihar is expected to receive Rs. 458 lakhs in 1972-73.

Cases of Food Poisoning in Big Hotels of Delhi

6118. **Shri K. M Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether the meals being served in some of the big hotels in Delhi are not inspected and the persons who stay there catch several types of diseases after taking meals there;

(b) If so, the number of such cases, which have come to the notice of Government,

(c) Whether Government have taken any effective steps to ensure that such meals which cause food poisoning are not served in big hotels so that the country does not get a bad name, people do not cath diseases, the number of tourists coming to the country does not decline and the country is not deprived of foreign exchange earning, and

(d) If so, the result thereof ?

The Minister of state in the Ministry of health and family planning. (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) . Hotels in Delhi are being inspected by the Health Department of Municipal Corporation of Delhi and New Delhi Municipal Committee. No such incidence has come to the natice of the Government where persons staying in the hotels have suffered from any disease after taking the meals.

(c) & (d) : The Health Departments of the local bodies inspect the neals served in big hotels very frequently and draw scamples wherever considered necessary.

बिहार में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलना

6119. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनवाद में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए वहाँ पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के बारे में अब तक को कोई सर्वेक्षण किया गया है; और यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) धनबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय को खोलने पर कितना खर्चा आयेगा; और

(घ) क्या बिहार के अन्य भागों में और केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) धनबाद में, 1972-73 में कोई केन्द्रीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का सम्भावित खर्च इस प्रकार होगा :—

अनावर्ती (भवन के अतिरिक्त)

प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
50,000 रु०	42,000 रु०	45,000 रु०	कुछ नहीं

आवर्ती :

प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
2 लाख रु०	2·80 लाख रु०	3·25 लाख रु०	3·90 लाख रु०

भवन : कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से 10 से 12 लाख रुपये ।

(घ) बरौनी (बिहार) में 1972-73 वर्ष में केन्द्रीय स्कूल खोलने की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है । जमशेदपुर, राँची हजारी बाग और पटना में स्कूल खोलने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए, जो विचाराधीन हैं ।

विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

6120. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजे गये प्रत्येक शिष्टमंडल पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) इन यात्राओं का क्या परिणाम निकला ।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिया संख्या एल० टी० 2030/72]**

(ख) इन भ्रमणों ने, भारत की कलात्मक उपलब्धियों को लोकप्रिय बनाने के अलावा, विभिन्न देशों में उचित रूप से भारतीय साँस्कृतिक परम्परा के प्रस्तुतीकरण में योगदान दिया है । भारतीय संगीतज्ञों और नर्तकों के प्रदर्शकों की बड़ी सराहना की गई है । इन कलाकारों के प्रदर्शनों के जरिए विदेशों में भारतीय संगीत और नृत्य के स्वरूपों के प्रति रुचि उत्पन्न की गई है । इन प्रतिनिधि मण्डलों ने अन्य देशों के साथ पारस्परिक सद्भावना और सहानुभूति की उन्नति में सहायता की है ।

बिहार के किसानों के लिए बीजों के वितरण की बेहतर व्यवस्था

6121 **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के बहुत से किसानों को गेहूँ, धान और चने के बीज उपलब्ध नहीं किये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बिहार के सुदूर गाँवों में किसानों को अच्छी किस्म के बीजों के वितरण हेतु प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में पीछे कोई सर्वेक्षण किया गया था और यदि नहीं, तो क्यों, और

(घ) बीजों का बेहतर तरीके से वितरण करने के लिये क्या विशेष उपाय विचाराधीन है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). बिहार सरकार से जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कार्ड धारियों को नर्सिग होम में स्थान देना

6122. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सी० जी० एच० एस० कार्ड धारियों को, जिनका वेतन प्रति मास 620/- रु० से कम है, नर्सिंग होम में अथवा विलिंगडन अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों के विशेष वार्डों में स्थान देने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राहियों को विलिंगडन अस्पताल नर्सिंग होम । विशेष वार्ड में दाखिले के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन सीमाएं (जिसमें मंहगाई वेतन सम्मिलित है) क्रमशः 621 रु० और 361 रु० मासिक हैं । इन सीमाओं में छूट देने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है ।

शहरी सम्पत्ति की सीमा

6123. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स् में सेन्टर में गो स्लो ओन अर्बन सीलिंग एक्ट शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों से संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार मिलते ही नगरीय सम्पत्ति की सीमा के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने के अपने बचत को कार्यान्वित करने का सरकार का प्रस्ताव है ।

बाघों की 'रायल' नस्लों को संरक्षण के बारे में विदेशी विशेषज्ञ की राय

6124. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम होती जा रही बाघों की 'रायल' नस्लों के संरक्षण के बारे में किसी विदेशी विशेषज्ञ की राय मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न हो नहीं होता ।

गौ रक्षा समिति का पुनर्गठन

6125. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गौ रक्षा समिति का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपना अन्तिम प्रति-वेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देने की

सम्भावना है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वदलीय गोरक्षा महा अभियान समिति के 3 प्रतिनिधियों के हट जाने से और उनके द्वारा समिति के कार्यों में भाग न लेने के कारण, बावजूद इसके कि उन्हें अनुरोध किये गये हैं और संसद में भी वक्तव्य दिये गये हैं, ससिति का पुनर्गठन आवश्यक हो गया ।

(ग) समिति द्वारा सरकार की रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा 31-3-1973 तक बढ़ा दी गई है ।

Danger of Outbrck of Diseases Due to Rubbish in Delhi

6126. **Shri Vishwanath :**

Shri Partap Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to State :

(a) wheter heaps of rubbish are piling up in many colonies of Delhi for a long time posing danger of outbreak of diseases in summer; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in this regard.

The Minister of State in the Ministry Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) : New Delhi Municipal Committee has reported that on heaps of rubbish are piling up in colonies within its jurisdiction. The Delhi Municipal Corporation have also reported that there are no heaps of refuse as it is removed regularly. However, there are a number of unapproved colonies in Delhi the sanitary services of which have not been taken over by the Corporation. Still the Corporation is carrying out some sanitation work in such colonies in the interest of public health. A special drive for premonsoon cleaning has been launched by the Corporation from 1st May, 1972. Special attention is being paid during the summer season on anti-fly measures and for speedy disposal of refuse. Special watch has been kept on the dumping grounds. Insecticides are being sprayed and various other preventive health measures adopted.

आपरेशन के पश्चात् एक मरीज के पेट के अन्दर औजार रह जाना

6127. **श्री राजदेवसिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 3 अप्रैल, 1972 के दैनिक ईवनिंग न्यूज' में प्रकाशित एक ऐसे सर्जन से सम्बधित समाचार की जानकारी है, जो आपरेशन के पश्चात् एक मरीज के पेट के अन्दर ही आपरेशन के औजार भूल गया था ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस प्रकार के गम्भीर परिणाम वाले भुलक्कड़पन के लिये उसे कुछ सजा नहीं दी जानी चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : मामले की जांच की जा रही है और उन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

की जायेगी जिन्हें दोषी पाया जायेगा ।

दिल्ली में सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गए सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास

6128. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 से पूर्व सरकारी उपक्रमों अथवा अन्य अर्द्ध सरकारी संगठनों मे प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों को सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई हैं;

(ख) उक्त तिथि के बाद प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों को सरकारी आवास रखने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेद-भाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनका केन्द्रीय सरकारी पदों पर लियन था अथवा जो स्थायी-वत थे और निगमों आदि में 16-12-1968 से पहले प्रतिनियुक्ति पर गये थे, को उस समय तक जब तक कि वे अपने सरकारी पदों पर प्रत्यावर्तित हों अथवा वे निगमों में ले लिये जाये, उनके दखल के सामान्य पूल वास को रखने की अनुमति दी गई थी । निगमों द्वारा ऐसे वास के लिये सरकार को बाजार दर पर लाइसेंस फीस दिया जाना अपेक्षित है ।

(ख) तथा (ग) : यह निर्णय सामान्य पूल में वास की कमी तथा पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को देखते हुये किया गया था जिन्हें 15 से 20 वर्षों से अधिक की लम्बी सेवा के बाद भी वास आवंटित नहीं किया जा सका । अब कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि सरकार ने यह नीति सम्बन्धी निर्णय वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करने के बाद किया है और यह नियम 16–12–68 को यह उसके बाद निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाली सभी सरकारी कर्मचारियों पर अब लागू है ।

Present Position of Foodgrains

6129. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Agriculture be pleased to State :

(a) whether India has become self-sufficient in foodgrains to the extent that she can export foodgrains abroad;

(b) whether he made any statement to this effect in Jaipur in the 3rd week of April. 1972; and

(c) if so, our present position in regared to foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : **(a) & (b)** : It is ture that not only can the country now meet its foodgrain requirments from indigenous production but also it is possible to effect some exports. A statement to that effect was made by the Minister for Agriculture at Ajmer last month.

(c) : The position is very satisfactory. We have already discontinued import of foodgrains from abroad.

Shortage of beds in Rural hospitals

6130. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) The comparative percentage of beds available in th hospitals of rural areas to that of the beds available in hospitals of urban areas;

(b) The reasons for the shortage in rural areas; and

(c) The steps being taken by Government to overcome the shortage with a view to remove the difficulties ancountered by the patients in rural areas ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) About 25% of beds are in rural areas against 75% in urban areas.

(b) Due to the historical background and logistic advantages, utilisation of funds has been more for develeping Medical care facilities in urban rather than in rural areas.

(c) Besides the establishment of Primary Health Centres, Government of India also propose to implement a scheme to upgrads 400 Primary Health Centres with Central assistance. 1000 Primary Health Centres are proposed to be upgraded by the States/Union Territories to 25 bed Miniature Hospitals in rural areas to overcome the shortage of beds.

Training at dairy Research institutes at karnal and banglore.

6131. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) The number of trainees undergoing training at Dairy Research Institutes, Banglore and Karnal at presant and the names of States to which they belong;

(b) The criteria adopted in regard to selection of trainees and the annual cxpenditure incurred on them; and

(c) Whethr Government provide loans or other facilities to them after completing their training for starting work on the basis thereof, and if so, the details there of ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) (a) to (c) : The information is being collected and will be placed in the table of the House in due course.

Subjects for Correspondence Courses in various universities.

6132. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the subjects in which Correspondence Coursese have been introduced by the various Universities ?

The Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : A statement is atached. **(Placed in the Library, Sec No. L. T. 2031/72)**

मैसूर सरकार की चीनी का कोटा बढ़ाने की मांग

6133. **श्री धर्मराव अफजलपुर कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में उपभोक्ताओं की माँग को पूरा करने के लिये मैसूर सरकार ने चीनी का कोटा बढ़ाने की माँग की है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में केन्द्रीय सरकार मैसूर राज्य को प्रति मौसम चीनी का कितना कोटा सप्लाई कर रही थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चीनी के मूल्य और वितरण पर से सांविधिक नियन्त्रण 25 मई, 1971 से हटा

लिया गया था। जनवरी, 1972 से एक अनौपचारिक व्यवस्था द्वारा उद्योग ने आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने और घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिये निर्मुक्त मासिक कोटे की 60 प्रतिशत चीनी निर्धारित मूल्य पर देना मान लिया है। जन-संख्या विषयक तथ्य, 1967-68 और 1968-69 में खपत की मात्रा और चीनी की उपलब्धि को ध्यान में रखकर 1-3-72 से विभिन्न राज्यों को निर्धारित मूल्य की चीनी का युक्तियुक्त आधार पर आवंटन किया जा रहा है। इस योजना के अधीन जनवरी, 1972 से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए मैसूर सरकार को आवंटित निर्धारित मूल्य की चीनी का कोटा इस प्रकार हैं:—

जनवरी, 1972	6,958 मी० टन
फरवरी, 1972	7,000 " "
मार्च, 1972	9,500 " "
अप्रैल, 1972	9,500 " "
मई, 1972	9,500 " "

निर्धारित मूल्य की चीनी की सीमित उपलब्धि होने के कारण राज्य के कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

दक्षिण क्षेत्र में वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करना

6134. **श्री धर्मराव अफजलपुर कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हाल ही में दक्षिण क्षेत्र में वनस्पति में मूल्यों में प्रति किलोग्राम दस नये पैसे की वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दक्षिणी जोन में 8-2-72 से वनस्पति के मूल्य में प्रति किलो 10 पैसे की वृद्धि की गयी थी। तथापि, अब 8-5-72 से मूल्य में उतनी ही कमी कर दी गई है।

(ख) पिछले पखवाड़े के दौरान प्रत्येक जोन में फैक्ट्रियों द्वारा खरीदे गए कच्चे तेल के मूल्यों, सम्बन्धित जोनों में वनस्पति के चल रहे मूल्यों आयातित सस्ते तेलों की स्टाक स्थिति और आने वाले पखवाड़े में ऐसे तेलों को मिलाने की अनुमेय मात्रा के सन्दर्भ मे प्रत्येक पखवाड़े में वनस्पति के मूल्यों की समीक्षा की जाती है और जैसी भी स्थिति हो, इन मूल्यों में वृद्धि या कमी या वही मूल्य रखे जाते हैं।

कलकत्ता बन्दरगाह पर माल यातायात में हो रही कमी

6135. **डा० रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार वर्षों से कलकत्ता बन्दरगाह पर समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार के यातायात में लगातार कमी होती जा रही हैं.

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) यातायात में हो रही कमी को रोकने के लिये, यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ : परन्तु गत दो वर्षों की अपेक्षा 1971-72 में समुद्री यातायात में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) : यातायात में कमी के लिये जो मुख्य वस्तुएं सहायक हुई है वे हैं आयात के अन्तर्गत नमक, खाद्यान्न, पी०ओ०एल और सामान्य माल और निर्यात के अन्तर्गत कोयला, अयस्क, लोह-इस्पात तथा पटसन । इन वस्तुओं यातायात में कमी होने के मुख्य कारण तथा गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये किये गये उपाय नीचे दिये गये हैं :—

नमक : यातायात में कमी का मुख्य कारण कोलवाहियों की कमी है जो कलकत्ता पत्तन को नमक लाते है तथा कोयला भरकर ले जाते हैं । इस गिरावट को रोकने के लिये इस व्यापार में और कोलवाही लगाये जा रहे हैं और आयुक्तों ने माल-घाटों पर नमक उतारने की अनुमति दे दी है ताकि कलकत्ता का नमक लाने वाले जहाजों को जो अधिकतर मूरिंग-घाटों पर कार्य करते है, घाटों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में शिकायत का अवसर न मिलें ।

खाद्यान्न : आयात में गिरावट देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्म निर्भरता का स्वाभाविक परिणाम है ।

पी० ओ० एल : आसाम में विभिन्न पत्तन नगरों में तेलशोधक कारखानों की स्थापना से, आयात में कमी हो गयी है । हल्दियाँ में नया तेल शोधक कारखाने के पूरे हो जाने पर पी० ओ० एल यातायात में काफी वृद्धि हो जायेगी ।

सामान्य माल : सामान्य माल यातायात में कमी का मुख्य कारण कलकत्ता पत्तन के क्षेत्र में व्यापार और उद्योग में मन्दी होना है । अब यह प्रवृत्ति नहीं रही है और यातायात में वृद्धि होने की संभावना है ।

कोयला : निर्यात में कमी का कारण अन्य देशों से प्रतियोगिता के फलस्वरूप विदेशी मंडियों को खोना है । और फिर, दक्षिण में रेल के प्रयोग के लिये कोयला अब अंशतः रेल गाड़ियों द्वारा ढोया जाने लगा है । कोयले के तटीय आवागमन की कमी में आंशिक रूप से कोलवाही की कमी भी सहायक थी । यह आशा की जाती है कि पड़ोसी मंडियों में कोयला बेचने के लिये किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप स्थिति सुधर जायेगी ।

अयस्क : कलकत्ता से अयस्क के निर्यात में कमी का कारण खुले माल वाहक पोतों के रख रखाव के लिये यातायात को अधिक डुबाव और तेजी से लदान सुविधाएं प्रदान करने वाले पत्तनो की ओर मोड़ना है । अयस्क यातायात में सुधार नयी हल्दिया गोदी के चालू हो जाने के बाद ही की जा सकती है ।

लोह तथा इस्पात : देश में इस्पात की कमी हो जाने से निर्यात प्रायः बन्द सा हो गया है और इस स्थिति की कुछ समय तक बनी रहने की संभावना है ।

पटसन : निर्यात में कमी, व्यापार में मन्दी स्थिति रहने के कारण रही है ।

जहाँ तक अन्तर्देशीय पोत घाटों पर यातायात का सम्बन्ध है, यह 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के पश्चात, आसाम को जाने वाले नदी मार्ग के बन्द हो जाने से, कम हो गया है। नदी मार्ग के पुनः खुल जाने पर इस यातायात के पुनः बढ़ने की संभावना है।

पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

6136. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामा स्वामी) : **(क) तथा (ख)**—अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिये छात्रवृत्तियां राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन दी जाती हैं। छात्रवृत्तियों की संख्या का निश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और वही इनके नियम बनाती है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों की योजना के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। छात्रवृत्तियाँ बिना किसी गुण जाँच अथवा आयु सम्बन्धी रोक के दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों के छात्रों को अलबत्ता ये छात्रवृत्तियाँ ग्रेडिड जीविका साधन जाँच पर दी जाती हैं, जिसकी शिखर सीमा 500 रुपये प्रति मास है। यह जीविका साधन जाँच अनुसूचित आदिम जातियों पर लागू नहीं होती है। मासिक भरण पोषण भत्ते के अतिरिक्त छात्रों को सभी न लौटाई जाने वाली फीसें, जैसे कि ट्यूशन, परीक्षा, खेल इत्यादि फीसें अदा की जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अन्तिम परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक आते हैं और जो पूरे समय के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अन्य छात्रों की अपेक्षा 50 प्रतिशत अतिरिक्त भरण पोषण भत्ता दिया जाता है है।

कृषि उत्पादन में खेतिहर मजदूरों का भाग

6137. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में खेतीहर मजदूरों को उनका हिस्सा देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) तथा (ख)** : कृषि श्रमिक अपने कार्य के लिये मजदूरी पाने के अधिकारी हैं। सरकार न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित

करने के लिये प्रयत्न कर रही है । सरकार नियोक्ताओं द्वारा कृषि श्रमिकों को उत्पाद के रूप में मजदूरी देने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

पालामऊ जिले (बिहार) में हरिजन और आदिवासी ग्रामों को पीने के पानी की सुविधायें

6138. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या पालामऊ (बिहार) में अनेक हरिजन और जन-जाति वाले ग्रामों को अभी तक सरकारी खर्चे पर पीने के पानी की सुविधायें नहीं दी गई हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो उनको पीने के पानी की सुविधाओं को देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और ये सुविधायें कब तक दी जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) **तथा** (ख . जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बाघ की नस्ल समाप्य होने से रोकने के लिये कार्यवाही

6139. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनाँक 19 अप्रैल, 1972 के दैनिक 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में दस वर्षों के अन्दर बाघ की नस्ल समाप्त हो जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ । यह राय विश्व वन्य जीव-जन्तु निधि के न्यासी मि० गुए माउन्ट कोर्ट द्वारा दी गई है ।

(ख) (1) इस ग्रीष्म में राज्य वन विभागों द्वारा बाघों की एक देश-विस्तृत गणना की जा रही है और इसके परिणाम लगभग तीन मास के बाद मालूम होंगे ।

(2) बाघ तथा इसके उत्पादों (अपने साथ या अलग से ले जाये जाने वाले सामान के रूप में) के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(3) वर्ष 1970 से प्राय: सभी राज्यों में 2 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये बाघों के शिकार पर रोक लगा दी गई है ।

(4) देश में बाघों के संरक्षण के लिये तीन महीने के भीतर परियोजना तैयार करने के लिये भारतीय वन्य जीव-जन्तु बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है ।

संरचना इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र रुड़की को अनाज भण्डार गृहों के ढांचों का डिजाइन तैयार करने के लिये वित्तीय सहायता

6140. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या संरचना इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की ने कृषि क्रांन्ति से अनाज भण्डार-गृहों की भारी मांग पूरी करने के लिये साइलों जैसे चिरस्थायी और सस्ते अनाज भण्डार-गृहों के ढाँचों के डिजाइन तैयार करने के लिये अध्ययन आरम्भ कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस केन्द्र को वित्तीय सहायता देगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल अनुसंधान केन्द्र की पहल पर यह अध्ययन शुरू किया गया है । ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

तिब्बिया कालेज, दिल्ली के छात्रों द्वारा भूख हड़ताल

6141. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बिया कालेज, दिल्ली के छात्र 13 अप्रैल, 1972 से भूख हड़ताल पर थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मागें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां । तथापि दिनाँक 24 अप्रैल, 1972 को भूख हड़ताल वापिस ले ली गई है ।

(ख) छात्रों की मुख्य माँगें इस प्रकार हैं :—

(1) तिब्बिया कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना;

(2) कालेज को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना;

(3) कालेज में उपलब्ध शिक्षण एवं अन्य सुविधायों में सुधार करना;

(4) कालेज के प्रधानाचार्य को हटाना ।

तिब्बिया कालेज, दिल्ली और जामिया विद्यालय दिल्ली को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने जांच-पड़ताल करने के लिये एक समिति का गठन किया है । दिल्ली प्रशासन ने तिब्बिया कालेज, दिल्ली सम्बन्धी मामलों की जाँच-पड़ताल करने के लिये एक अतिरिक्त जिला-न्यायधीश को नियुक्त किया था । जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी जांच दिल्ली प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

Houses Constructed for Adivasis and Harijans During Five Plans

6142. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of houses constructed for Adivasis and Harijans during the last three Five-Year-Plan with the assistance given by the Cantral and the State Government;

(b) The amount provided in each Five Year Plan by the Centre for Madhya Pradesh for the purpose; and

(c) Whether the Life Insurance Corporation had also given assistance for the purpose and if so. the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Adiication & Social Welfare (Shri K. S. Raniaswamy)

(a)	First Plan	Second Plan	Third Plan
Scheduled Tribes.	19,620	46.718	12. 172
Scheduled Castes.	750	1,03, 922	35,367
Total	2o, 370	1, 50, 640	47, 539

(b)	First Plan (Rs. in lakhs)	Second Plan	Third Plan
Scheduled Tribes.	—	90·84	—
Scheduled Castes.	—	12·86	13·24
Total	—	103·70	13·24

(c) Information relating to the assistance given by the Life Insurance Corporation is not available.

Intensive Cultivation and Expendute Thereon in Madhya Pradesh

6143. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) The names of the States whete intensive cultivation has been introduced;

(b) The expenditure being incurred in Madhya Pradesh under this scheme; and

(c) The achievements made in Madhya Pradesh as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The intensive agricultural programes like the High-Yielding Varieties and Multiple Cropping have been taken up in all the States and Union Territories.

(b) These programmes. being part of the general agricultural development progarmme are financed by the State Governments concerned, and so is the case in Madhya Pradesh.

(c) Against the target of 7·60 lakh hectares, the anticipated achievement under the H. V. P. during 1971-72 is 8·28 lakh hectares. Similarly, against the target of 0·80 iakh hectares an additional area of aboa 2·10 lakh hectares under multiple cropping is estimated to have been covered, in Madhya Pradesh during 1971-72.

Students Sent Abroad for Medical Training

6144. **Shri R. V. Bade** :Will the Minister of **Edncation and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of students sent to U. S. S. R. to obtain medical training during the last three years,

(c) The authority which makes such selections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) During the last three years i. e. 1969-70, 1970-71 and 1971-72, a total number of 14 students have proceeded to U. S. S. R. for medical training for Diploma course.

(b) Maintenance allowance, both ways passage, free tuition and medical care is provided by the Soviet authorities.

(c) Ministry of Education and Social Welfare, and Indo-Soviet Cultural Society (National Council), New Delhi.

Demand for Agricultural University in Marathwada

6145. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is persistent demand for opening a separate Agricultural University in Marathwada; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) & (b) : Agricultural Universities are established under Enactments of the State Legislatures. No formal proposal for establishment of an Agricultural University in Marathwada region has so far been received. The Government of Maharshtra have, however, confirmed that they have decided to open two Agricultural Universities in Marathwada and Konkan this year.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावास में पाया गया छात्रा का शव

6146. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक छात्रा का शव उसके कमरे में पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो घटना से सम्बंधित तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त मामले की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) (क) से (ग) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रोद्योगिकी संस्थान की बी० फार्म तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी शोभा देवी 4 अप्रैल, 1972 को महिला छात्रावास के अपने कमरे में अपने गले में डाले हुए फन्दे सहित लटकी हुई पाई गई थी। इस मामले की जाँच के लिये कुलपति ने इलाहाबाद उच्च न्ययालय के एक से सेवावृत्त न्यायाधीश की एक व्यक्ति जांच समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और कारें खड़ी करने के लिये स्थान की समस्या

6147. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी परिवहन की स्थिति अत्यन्त खराब है,

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि राजधानी में शीघ्र ही कार पार्क करने की समस्या उत्पन्न हो जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) यदि उल्लेख दिल्ली परिवहन निगम का है तो यह बताया जाता है कि निगम के पास उपलब्ध बस बेड़े के साधनों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि नई निगम ने सेवा का केवल 3–11–1971 को अधिग्रहण किया है। प्रदान की गई सेवायें, जहां तक परिस्थितियों के अधीन सम्भव है,

उचित रूप से संतोषप्रद हैं। परन्तु यह सत्य है कि कुछ मार्गों पर, दिन भर में कुछ समय के बीच उपलब्ध सेवाओं की आवृत्ति इस समय अपर्याप्त है और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही।

(ख) जी, हाँ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने शहर में बस सेवा में सुधार के लिये निम्नलिखित उपायों की पहल की है :

(1) 294 अतिरिक्त बसों (जिनमें 30 मिनि बसें शामिल हैं) के आदेश दिये गये हैं जो इस महीने आनी शुरू हो जायगी।

(2) सड़क पर बसों की औसतन दैनिक संख्या सितम्बर, 1971 में 1089 से बढ़ कर मार्च, 1972 में 1222 हो गई।

(3) मौजूदा बेड़े से लम्बी दूरी निकालने के लिये समय सारणी का पुनः समायोजन किया गया है।

(4) सितम्बर, 1971 से लुप्त फेरों की संख्या लगभग 35% कम कर दी गई है।

(5) बिना टिकट यात्रियों तथा अन्य अनियमितताओं के मामले को पकड़ने के लिये विशेष दस्ते बनाये गये हैं।

(6) नियमित बस-स्टापों पर बसों के ठहरने को सुनिश्चित करने के लिये सख्त उपाय किये गये हैं।

(7) मुख्य गंतव्य। बदल स्थानों पर बसों की सफाई करने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

(8) लोगों की शिकायतों की शीघ्र व्यवस्था के लिये एक जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(9) बसों के आगे ठीक ढंग से गंतव्य स्थानों तथा साईडों में मार्ग सख्या प्रदर्शन करने की व्यवस्था की गई है।

(10) चालू वित्तीय वर्ष में 211 अतिरिक्त बसें खरीदने के लिये व्यवस्था की गई है।

पुरानी दिल्ली क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर बसें खड़ी करने के स्थानों की व्यवस्था पहले से दी गयी है :

(i) रिंग रोड-रोहतक रोड के जंकशन के ससीप।

(ii) नयी सब्जी मंडी, आजादपुर

(iii) चांदनी चौक के समीप गांधी ग्राउंड।

(iv) बाग दीवार के समीप दंगल ग्राउंड।

कुछ अन्य स्थानों पर बहु-मंजिली गैरिजें तथा बेकार बसों को खड़े करने के स्थान निर्माण का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के सम्बंधित प्राधिकारणों के विचाराधीन है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

6148. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध करता रहा है कि वह गन्दी बस्तियां हटाने में उनकी 'नियोजित रूप" से सहायता करें;

(ख) क्या दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही हैं; और

(ग) यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस बारे में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) समाचार पत्रों में प्रचार द्वारा जनता को दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा भवन विभाग से, बेचने वाले के स्वामित्व की पुष्टि किये बिना अधिसूचित/अर्जित भूमि को न खरीदने की सलाह दी जा रही है ।

(ii) पूर्वी शाहदरा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा उप-पंजीकार के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड लगा दिये गये हैं जिसमें यह बताया गया है कि इन क्षेत्रों में भूमि अर्जित की गई थी तथा जनता को उसे खरीदना नहीं चाहिये ।

(iii) अर्जित भूमि के अतिक्रमण की रिर्पोटें पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है तथा भूमि के गैर कानूनी विक्रय के लिये कई व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है ।

(iv) गैर कानूनी निर्माण रोकने हेतु पुलिस की गश्त की व्यवस्था की गई है ।

(v) सामुदायिक सुविधाओं के लिये उदिष्ट भूमि के इर्द-गिर्द कांटेदार तार लगाये जा रहे हैं और इस उद्देश्य के बोर्ड लगा दिये गये हैं कि भूमि अर्जित है ।

समस्या को और नियन्त्रित करने की दृष्टि से बिक्री, रेहन, उपहार पट्टा या अन्य किसी तरीके से दिल्ली में ऐसी भूमि का या उसके किसी भाग का कि अर्जन हो चुका है या अर्जन किया जाना प्रस्तावित है उचित अनुमति लिये वगैर हस्तान्तरण को कानूनी अपराध बनाने का प्रश्न सक्रीय से रूप विचाराधीन है ।

Exemption of Certain Plantations from Ceiling Laws

6149. **Shri G. P. Yadev** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to exempt banana, mango, lichi, pear and lemon plantations and farms from the provisions of the Land Ceiling Act;

(b) if so, whether Government propose to make any announcement in this regard; and

(c) whether Government propose to earn more foreign cxchange by providing similar facilities to fruit producers as are being given to tea and rubber producers ?

The Minister of state in the Ministry of Agrlculture (Shri Annasheb P. Shinde) : (a) & (b) : The question relating to orchards was examined at the Chief Minister's Meeting held on April 14, 1972 and the concensus arrived at was that the ceiling limit of a person who owned orchards; whether or not in addition to other land, may be increased by 2 hectares or the actual area of the land comprised in orchadrs, whiehever is less. Some Chief Ministers thought that there might be higher relaxation by computing the area under orchards as for dry lands, The State Government which have serious difficulties in enforcing the ceiling in respect of orchards will individually disscuss the matter further with the Government of India.

(c) For development of Banana, mango and citrus the State Government have taken the following steps as their normal activity:—

1. Subsidised supply of quality planting materials;
2. Provision of plant protection chemicals and equipment.
3. Arrangement for credit
4. Adoption of package of practices.
5. Demonstrations.

In the Central Sector the following schemes have been sanctioned to implemented during the Fourth Five Year Plan:—

	Ourlay (Rs. in Lakhs)
(i) Development of banana production	31·84
(ii) Banana Development Corporation	40·00

The scheme on Banana Development envisages development of bananas around major ports in the eastern and western ghats on an area of 12,000 hectares. The scheme provides for technical support and extension service, special assistance for plant protection measures, demonstrations and pilot trials of exotic varieties.

Banana Development Corporation is being set up for taking care of the marketing of banana and to organise exports

Specific schemes for the development of mango and rejuvenation of citrus plantation are under consideration.

Setting up to Housing Boards States

6150. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether Goverument propose to set up Housing Boards at state, District and block levels for providing housing facilities in rural areas, and

(b) If so, when Government are going to make an announcement in this regard ?

The Minister of State in the Ministery of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) , Setting up of Housing Boards is the responsibility of the State Government. In pursuance of the recommendations of the Conference of Ministers of Housing, Urban Development and Town Planning held at Madras in November, 1967, Housing Boards at State level have already been set up by majority of the State Governments to accelerate their housing programmes. The remaining State Government are being persuaded to do so. The area of operation of these Housing Boards is determined by the State Government under the respective legislation.

This Ministry have no proposal for setting up of separate Housing Boards dt Dis-

trict and Block levels for rural areas and the question of making an announcement in this regard does not, therefore, arise. However, the activities of some State Housing Boards extend to the rural areas also while some States have separate State level Boards for operating in rural areas.

पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए राज्यों को सुविधायें

6151. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर बिहार में, चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण किया जायेगा, और

(ख) निर्माण में तीव्रता लाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) देश की राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति, किसी विशेष क्षेत्र की दृष्टि से विकसित नहीं की जाती, बल्कि समय-समय पर देश की समग्र यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका विकास किया जाता है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यक्रम के चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के भाग के रूप में 49 मील की लुप्त कड़ियों के निर्माण, 478 मीलों के इकहरी गली वाले खण्डों को चौड़ा और मजबूत बनाकर दूसरी गली बनाने और मौजूदा 349 मील के कमजोर दुहरी गली वाली पट्टियों के मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। हाल में, बिहार और उड़ीसा राज्यों में से गुजरने वाली चास-बोकारो-रांची-रूरकेला-बड़ाकोट-तैभर सड़क को राष्ट्रीय खोजमार्ग घोषित किया है। इस सड़क की कुल लम्बाई 287 मील है, जिसमें से 156 मील सड़क बिहार में पड़ती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके इकहरी गली राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के रूप में सुधार किये जाने की व्यवस्था भी शामिल है।

(ख) सम्भवतः, माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाई गई सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और देखरेख की जिम्मेदारी केवल केन्द्रीय सरकार की है। परन्तु विकास कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाओं का निष्पादन, सम्बन्धित राज्यों के लोक निर्माण विभागों द्वारा किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं पर किये जाने वाले सारे खर्च को बर्दाश्त करने के अलावा केन्द्रीय सरकार यथावश्यकता उपकरण और परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक सिमेंट, इस्पात, विटुमेन आदि जैसी जरूरी सामग्री की प्राप्ति में राज्य सरकारों को पूरी तकनीकी सूचना और सहायता प्रदान करती है।

इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट स्टडीज

6152. **श्री नवल किशोर सिंह** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक और इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट स्टडीज की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) और (ख) जी हां ।

मैसूर सरकार के सहयोग से बंगलौर में मेनेजमेंट इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार ने बंगलौर में लगभग 100 एकड़ भूमि मुक्त दी है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन, शासी मण्डल का संगठन कर दिया गया है और भवन निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती आदि के लिए व्यापक योजनाए तैयार की जा रही हैं । उत्तरी क्षेत्र में एक और मेनेजमेंट इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दिल्ली में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये स्नातकोत्तर अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करना

6153. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये उन स्नातकोत्तर अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में नियम क्या है जो अनिश्चित काल से बिना व्यवधान अथवा पदावनीत के काम कर रहे हैं;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा इन नियमों का अनुसरण पूर्णतः किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सम्बन्धित विभाग में क्लर्कों के बारे में भी इन्हीं नियमों का अनुसरण किया जाता है और यदि नहीं तो इसमें अन्तर क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप संत्री (श्री डी० पी० यादव) : क) प्रारम्भ में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये पदोन्नत किए गए उत्तर स्नातक अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई विशिष्ट नियम दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं । किन्तु छोटे पदों से बड़े पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को विभागीय पदोन्नति समितियों के जरिए उच्च पदों के लिये पदोन्नति से सम्बन्धित नियमों और आदेशों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्ति के लिये स्वीकार किया जा सकता है । ऐसे कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को कितने समय तक तदर्थ आधार के पद पर लगे रहने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु तदर्थ आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों को नियमित आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों से यथाशीघ्र बदला जाना चाहिए । तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को उनकी नियुक्तियों की तारीखों से नियमित किये जाने का कोई दावा नहीं होता । नियमन केवल उसी तारीख से होगा, जिससे नियमित रिक्त स्थान उपलब्ध होगा, न कि पिछली तारीख से । इस समय स्नातकोत्तर अध्यापकों के संवर्ग में तदर्थ आधार पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं हैं, तथा ऐसे व्यक्तियों को नियमित किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट

6154. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में नियुक्त की गई पुनर्विलोकन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में उल्लिखित समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) चार अन्य संस्थाओं के बारे में पुनर्विलोकन समितियाँ कब तक रिपोर्ट दे देंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हाँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति के मुख्य निष्कर्ष विवरण में दिये गए हैं।

(ग) अन्य समितियों से आशा की जाती है कि वे अपनी रिपोर्ट जुलाई 1972 के मध्य तक प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास को पुनरीक्षण समिति के मुख्य निष्कर्ष

1. संस्थान में विकसित सुविधाओं का पूरा प्रयोग करने के लिए इसे अपना ध्यान स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की ओर और अधिक लगाना चाहिये।

2. अवर स्नातक स्तर पर इसे उन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिये जो अन्य केन्द्रों में उपलब्ध न ही है तथा जिनके लिये यहां उच्च सुविधा उपलब्ध है।

3. अनुसंधान परियोजनाओं की विविधता पर रोक लगाने से अपने मौजूदा साधनों ही के अन्तर्गत ज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का गहन रूप पता लगाना और राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान क्षेत्रों में सुविज्ञाता को विकास करना इसके लिये संभव हो सकेगा।

4. संस्थान अपने सुदृढ़ संकाय तथा विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट उपकरणों से राष्ट्रीय महत्व के अन्तर विषय परियोजनायें शुरू करने के लिये एक उचित स्थान है।

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को नए उत्पादनों और नई प्रक्रियाओं तथा उद्योगों के लिये अपेक्षित परिष्कृत यन्त्रों तथा उपकरणों को बनाने से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिये।

6. संस्थान में उपलब्ध सुविज्ञता से यह संभव होना चाहिये कि कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में और गहन प्रकार से पाठ्यक्रमों की प्रगति की जाए जो विद्यार्थियों को विकास के लिये राष्ट्रीय प्रयास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के अंतिम उद्देश्य में उपयोगी हो।

7. आमतौर पर अवर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को स्टाप के वरिष्ट सदस्यों से पर्याप्त मात्रा में अनुदेश प्राप्त करने का लाभ नहीं मिलता।

8. अखिल भारतीय आधार पर विद्यार्थियों का चयन होने से संस्थान राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने के लिये एक लाभदायक परिस्थिति का सृजन करता है।

9. उच्च कोटि के विशिष्ट कार्यों के लिये जिसकी कि संस्थान से अपेक्षा की जाती है यह आवश्यक है कि उच्च अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिये निरन्तर प्रत्येक प्रयास किया जाए तथा उन्हें संस्था में बनाए रखने के लिये उपाय तथा साधन निकाले जाने चाहिये।

10. संस्थान में प्रचलित प्रयोगशाला पद्धति अच्छी है तथा इसने संस्थान की वस्तुत बहुत अच्छी सेवा की है।

तकनीकी शिक्षा में 'सेन्डविच कोर्स'

6155. **श्री नारायन चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 'सेन्डविच' पाठ्यक्रम का स्वरूप और उसकी सीमा क्या है;

(ख) उन तकनीकी संस्थाओं के नाम क्या हैं जहाँ ऐसे पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं;

(ग) क्या इन पाठ्यक्रमों को सभी तकनीकी संस्थाओं में चालू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या जहाँ इन पाठ्यक्रमों को चालू किया गया है, वहाँ इन पाठ्यक्रमों की प्रगति के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) उद्योग द्वारा अपेक्षित सही प्रकार के इन्जीनियरों और तकनीकज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये सांतराल पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य हैं वास्तविक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किसी संस्था में इन्जीनियरी पाठ्यक्रमों को समकलित करना। सामान्य तौर पर, इन्जीनियरी में डिग्री के लिये सांतराल पाठ्यक्रम 51/2 वर्ष की अवधि तथा इन्जीनियरी में डिपलोमा के लिये 31/2 वर्ष की अवधि का है। दोनों में उद्योग की न्यूनतम बारह मास का प्रशिक्षण शामिल है जो संस्था दल अध्ययन की दो क्रमिक अवधियों में उपयुक्त किस्तों में दिया जाता हैं। संस्थागत अध्ययन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण बारी बारी से होता है।

(ख) संस्थाओं की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) उद्योग में जहाँ कहीं सहयोग उपलब्ध होता होगा। सांतराल पाठ्यक्रमों को अन्य तकनीकी संस्थाओं में भी शुरू कर दिया जाएगा।

(घ) क्योंकि पाठ्यक्रमों को अभी हाल ही में लागू किया गया है, इस अवस्था में किसी प्रकार का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। फिर भी सांतराल पाठ्यक्रमों के सिद्धान्तों तथा तकनीकों को प्रतिपादित करने के लिये सेमीनारों तथा कर्मशालाओं की एक श्रंखला आयोजित की गयी है।

विवरण

इन्जीनियरी में सांतरान पाठयक्रमों को आयोजित करने वाली डिग्री डिप्लोमा संस्थाओं की सूची

डिग्री संस्थाएं

1— मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरी कालेज, गोरखपुर ।
2— मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद ।
3— मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, जयपुर
4— पंजाब इन्जीनियरी कालेज. चण्डीगढ़ ।
5— जी० एस० प्रोद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, इन्दौर ।
6— एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा ।
7— बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इन्जीनियरी कालेज, आनन्द ।
8— मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल ।
9— माधव इन्जीनियरी तथा प्रोद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर ।
10— एस० ए० प्रोद्यागिकी संस्थान, विदिशा ।
11— एल० एम० फार्मेसी कालेज, अहमदाबाद ।
12— एल० ई० कालेज, मोरवी ।
13— एल० ढी० इन्जीनियरी कालेज अहमदाबाद ।
14— थियागाराजार इन्जीनियरी कालेज, मदुराई ।
15— अन्नामलाई विश्वविद्यालय. अन्नामलाई नगर ।
16— क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारगंल ।
17— बिरला प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची ।

डिप्लोमा संस्थायें

1— रामगरिया पालिटैकनिक, फगवाडा ।
2— इलाहाबाद पालिटैकनिक इलाहाबाद ।
3— राजकीय पालिटैकनिक पाना जी गोवा ।
4— के० जी० पालिटैकनिक बम्बई ।
5— पालिटैनिक संस्थान, हरदा ।
6— आर० सी० तकनीकी पालिटैकनिक अहमदाबाद ।
7— भागूबाइ् भक्तलाल पालिटैकनिक बम्बई ।
8— एस० बी० राजकीय पोलिटेकनिक भोपाल ।
9— धर्मसिंह देसाई प्रोद्योगिकी संस्थान, नडियाड ।
10— श्री भवसिंह जी पोलिटैकनिक, भावानगर ।
11— राजकीय पोलिटैकनिक, उज्जैन ।
12— डा० एस० एण्ड एस० गाँधी इन्जीनियरी तथा प्रोद्योगिकी कालेज, सूरत ।
13— राजकीय पालिटैकनिक, बुलन्दशहर ।

14— ए० बी० पारेख तकनीकी संस्थान, राजकोट ।
15— बैश्यनव पालिटैकनिक, इन्दौर ।
16— सम्राट अशोक प्रोद्योगिकी सस्थान, विदिशा ।
17— के० डी० पोलिटैकनिक, पाटन ।
18— राजकीय गर्ल्स पोलिटैकनिक, अहमदाबाद ।
19— एल० ई० कालेज, । मोरवी ।
20— राजकीय पालिटैकनिक राजकोट ।
21— के० जी० पालिटैकनिक, बड़ौच ।
22— राजकीय गर्ल्स पालिटैकनिक सूरत ।
23— पंडित जवाहर लाल नेहरू पालिटैकनिक, सनावर ।
24— भाईलाल भाई तथा भीखाभाई पालिटैकनिक बल्भल, द्यिानगर ।
25— सी० टी० आई पालिटैकनिक ग्वालियर ।
26— राजकीय पालिटैकनिक घनवाद ।
27— राजकीय पालिटैकनिक, बरौनी ।
28— उड़ीसा इन्जीनियरी स्कूल, कटक ।
29— बहरामपुर इन्जीनियरी स्कूल, बहरामपुर ।
30— झरसागुडा इन्जीनियरी स्कूल, झरसागुडा ।
31— उड़ीसा इन्जीनियरी स्कूल, क्योझार ।
32— असम इन्जीनियरी संस्थान, गौहाटी ।
33— बिरला प्राद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता ।
34— कलकत्ता तकनीकी स्कूल, कलकत्ता ।
35— राज्य प्रोदोय प्रोद्योगिकी संस्थान, रूरकेला ।
36— एम० सी० एम० पालिटैकनिक आवादी, मदरास ।
37— ए० एच० वाडिया प्रोद्योगिकी संस्थान, कलीना : बम्बई ।
38— एग्नल जूनियर तकनीकी कालेज, बम्बई ।
39— राजकीय पोलिटैकनिक, विशाखपटनम ।
40— वाई० एम० सी० ए० इन्जीनियरी संस्थान, फरीदाबाद ।
41— तमिलनाडु पोलिटैकनिक, मदुंराई ।
42— कोय मबटूर प्रोद्योगिक सैंडविच पालिटैकनिक संस्थान, कोयमबटूर ।
43— केन्द्रीय पालिटैकनिक, मद्रास ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें

6156. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों कों क्रियान्विति के लिए कार्यवाही योजना तैयार की गई है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारें, जिनको समिति की रिपोर्ट भेजी गई है, मुख्य सिफारिशों को लागू करने पर सहमत हो गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हाँ। पोलीटैक्निक शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक सक्रिया योजना तैयार की गई है।

(ख) संक्रिया योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(1) राज्य में पोलीटेक्निक शिक्षा के लिये समन्वित विकास के लिये स्तरों का सतत मूल्यांकन करने, डिप्लोमा प्रदान करने और परीक्षायें लेने तथा साँविधि निकाय के रूप में प्रत्येक राज्य में राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना करना।

(2) नियमित आधार पर पोलीटेक्निकों के निरीक्षणार्थ और सुधार व विकास के लिये उपायों का सुझाव देने के हेतु क्षेत्रीय समिति के सहयोग से प्रत्येक बोर्ड के अधीन स्थायी निर्धारण या मूल्यांकन समिति की नियुक्ति करना।

(3) ठीक प्रकार के तकनीकज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिये उद्योगों के साथ घनिष्ट सहयोग और समन्वय स्थापित करना।

(4) उद्योगों के परामर्श से नए तकनीकज्ञ पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिये चुने हुए संस्थानों को शैशिक्षण स्वन्तत्रता प्रदान करना और उन्हें गतिशील संस्थान बनाना।

(5) सेवाकालीन अंशकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए पालिटेक्निक अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, तथा अध्यापकों के अविच्छिन्न प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए पोलीटेक्निक अध्यापक संवर्ग में प्रशिक्षण आरक्षण को व्यवस्था करना।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद संक्रिया योजना का निर्माण किया गया। बाद में 20 अप्रैल, 1972 को उसे तकनीकी शिक्षा के राज्य निदेशकों के सम्मेलन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की 22 अप्रैल, 1972 को हुई बैठक द्वारा मन्जूर किया गया। संक्रिया योजना को औपचारिक रूप से कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की बारहवीं बैठक में की गई सिफारिशें

6157. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की बारहवीं बैठक में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई;

(ख) क्या देश में प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में महिला शिक्षा की देख-रेख करने के लिये अलग 'सैल' है;

(ग) क्या देश में कोई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एक भी महिला कालेज नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सांस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विवरण

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने 18 अप्रैल 1970 को आजाद भवन, नई दिल्ली में हुई अपनी बारहवीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की :—

1. शिक्षा और युवक सेवा मन्त्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति के लिए 1969 में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की उन्नति से सम्बंधित तैयार किए गए मुख्य कार्यक्रम स्पष्ट रूप से राज्यों के ध्यान में लाया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये शीघ्र ही कदम उठाए जाएं । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक की कार्यसूची में इस मद को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये ।

2. 6-14 आयु वर्ग की लड़कियों की शिक्षा की असंतोषजनक स्थिति से राज्य सरकारों और जनता को अवगत कराने के लिए तथा इस आयु वर्ग की लड़कियों के लिये शिक्षा निशुल्क, अनिवार्य तथा एक समान शुरू करने की तत्काल आवश्यकता को उनके ध्यान में लाने के लिये राज्य सरकारों को गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में किए गये सर्वेक्षण के प्रकार का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

3. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे महिला संगठनों और समाज-कल्याण संगठनों के कार्य के समन्वय के लिये राज्य स्तर पर, अपितु अच्छा तो यह होगा कि महिला शिक्षा परिषदों के जरिए प्रयत्न किये जायें, जिससे लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के प्रसार एवं उन्नति के वार्षिक कार्यक्रम बनाने के लिये उन्हें प्रेरित किया जा सके । कल्याण कार्यकर्त्ताओं तथा उनके संगठनों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिये राज्य सरकारों को राज्य शिक्षा संस्थानों अथवा शिक्षा निदेशालय के इसी प्रकार के उपयुक्त संस्थान को शामिल करना चाहिये, जिससे वे एक ही मंच पर इकट्ठे हो सकें, लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिये कार्यक्रम बन सकें तथा ऐसे कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष अच्छी तरह से मनाने के लिये इस बारे में किए जा रहे प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सकें ।

4. प्रत्येक राज्य में कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 (मिडिल कक्षाओं) दोनों स्तरों के लिये ही महिला अध्यापिकाओं की भर्ती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । पहले स्तर पर इस लिए कि छोटे बच्चों को ठीक तरह से स्कूल के अनुकूल बनाया जा सके तथा दूसरे पर इसलिये कि अभिभावक अपनी लड़कियों को पूरे भरोसे के साथ स्कूल भेज सकें ।

5. 6-11 आयु वर्ग की लड़कियों के लिये प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य बनाने के साथ ही साथ राज्य सरकारों की विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के मिडिल स्कूलों (कक्षाएं 5-718) के विकास के लिए तत्काल ही उपयुक्त कदम उठाने चाहिये ।

6. राज्य सरकारों द्वारा दर्जीगिरी, कताई, बुनाई आदि जैसे स्कूल पाठ्यचर्या के विषयों

के एक अंश में विकसित किए जा रहे कार्य अनुभव कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवश्यक कृषि तथा खेती प्रक्रिया तथा अच्छे गृह प्रबंध के लिये उपयोगी अन्य हस्त कलायें भी शामिल करनी चाहिए ।

7. माध्यमिक स्तर पर कन्याओं के छात्रावास बनाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा ये छात्रावास ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए जहाँ इर्द-गिर्द के ग्रामीण क्षेत्रों से दाखिले की संख्या छात्रावास के लिये पर्याप्त हो सके ।

8. लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा की समस्याओं की देख भाल करने के लिये शिक्षा निदेशालयों में पृथक कक्ष खोले जाने चाहिए । राज्य सरकारों के प्रचार निदेशालय के सहयोग से शुरू किये जाने वाले इस कक्ष के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक शिक्षा के सभी स्तरों, विशेषकर प्राथमिक स्तर (6-11 आयु वर्ग) पर लड़कियों के दाखिले की संख्या में वृद्धि लाने के लिये प्रचार कार्य का आयोजन होना चाहिये ।

9 केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रचार और शिक्षा विभागों को फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापन वथा अन्य प्रचार-सामग्री, लोक ड्रामें, कठपुतली प्रदर्शन तथा इसी प्रकार के अन्य शिक्षा के माध्यम तैयार करने तथा उनका प्रयोग करने के लिये तीव्र कदम उठाने चाहिये, जिससे लड़कियों की शिक्षा के प्रसार में सहायता मिल सके । चूंकि 1975-76 तक टेलीविजन बहुत से गाँवों तक पहुंच जाएगा, अतः व्यस्क महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए निरक्षरता और आर्थिक उत्पादकता कार्यक्रम जैसे उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिये अभी से ही कदम उठाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेलीविजन कार्यक्रम में यह एक प्राथमिकता का कार्यक्रम होना चाहिये ।

10. राज्य परिषदों, समाज कल्याण विभागों तथा राज्य स्तर पर अन्य समाज कल्याण संगठनों के बीच बढ़े हुये और प्रभावी सहयोग के प्रश्न का विस्तारपूर्वक अध्ययन राज्य शिक्षा संस्थानों अथवा राज्य स्तर पर अन्य उपयुक्त अनुसंधान संगठनों की एजेन्सी के जरिए इस प्रकार के सहयोग में लगे हुये संगठनों के प्रशासनिक कार्यविधियों की आवश्यक जांचें करके, किया जाये ।

11. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों, के निरीक्षणालयों में महिला अधिकारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये, ताकि लड़कियों की शिक्षा बेहतर पर्यवेक्षण तथा प्रेरणा प्राप्त कर सकें ।

12. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अंश-कालिक अध्यापिकाओं को बशर्ते कि वे प्रशिक्षित हों, आकर्षित करने के लिये राज्य सरकारें पूर्ण-कालिक अध्यापकों को सामान्य रूप से ग्रहय भविष्य निधि तथा पेंशन जैसी सुविधायें उन्हें प्रदान करते हुये अपने सहायक अनुदान नीति संहिताओं को संशोधित करने के लिये विचार करें ।

13. लड़कियों तथा प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा में सुधार तथा विस्तार करने के लिये नये साधनों को ढूंढने के लिये राज्य परिषदों को चाहिये कि वे राज्य सरकारों को प्रेरित करें कि वे लड़कियों की शिक्षा का प्रायोगिक परियोजनायें अपने हाथ में लें;

14. महिलाओं के साक्षरता कार्यक्रमों को तेज किया जाना चाहिये और जन-शिक्षा तथा विस्तृत आर्थिक उत्पादकता पर बल सहित राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय विकास की शिक्षा (इन कार्यक्रमों के) विषय-वस्तु में सम्मिलित होनी चाहिये।

15. प्रत्येक राज्य द्वारा सर्वोत्तम महिला लेखकों को एक अपील जारी की जानी चाहिये कि वे बेहतर स्वास्थ्य, पोषण-गृह प्रबन्ध, कृषि, लघु स्तर तथा कुटीर उद्योग इत्यादि से संबंधित विषयों पर प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य तैयार करने का काम अपने हाथ में लें। शिक्षा मंत्रालय से इस कार्यक्रम के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के हेतु अनुरोध किया जाये। राज्य शिक्षा संस्थानों को भी रा० शि० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद के मार्ग-निर्देशन के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेना चाहिये।

सख्त किस्म के चावल का विकास

6158. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार-पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय चावल अनुपन्धान संस्थान ने भारतीय किसानों की आवश्यकताओं के अनुकूल एक सख्त किस्म के चावल की सरकार से सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के चावल सवर्धन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य एक ऐसी ठोस किस्म का चावल पैदा करना भी शामिल है, जो सूखे तथा जल मग्नता आदि को कठोर परिस्थितियों के अनुकूल कृषि तथा रोग-रोधक हो।

(ख) अच्छी किस्मों का परीक्षण किया जा रहा है।

उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में माध्यमिक स्तर पर कृषि शिक्षा देने की योजना

6159. **श्री पी० गगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि उड़ीसा सरकार माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों को कृषि और फार्म शिक्षा देने के बारे में एक योजना प्रारम्भ करेगी।

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्य राज्यों से ऐसी योजनाओं को प्रारम्भ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार अनुरोध करेगी, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उड़ीसा में कोई

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को अनिवार्य विषय के रूप में कृषि तथा फार्म शिक्षा पढ़ाने कोई योजना नहीं है। तथापि, कक्षा 6 तथा 7 में कृषि अनिवार्य विषय के रूप में तथा बेसिकोत्तर विद्यालयों में कक्षा 8 से 11 तक ऐच्छिक विषय के रूप में है। भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में कृषि नहीं नहीं पढ़ाई जाती है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Schemee to Overcoms Serious Water Crisis in Bihar State

6160- **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Bihar have sent any scheme to him to overoome the serious water crisis prevailing in Patna, Dhanbad, Mnzaffarpur, Jamshedpur. Bihar Sharif, Gaya and other cities and rural areas in Bihar;

(b) if so, the main features there of; and

(c) the reaction of Governnment there to ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. P. D. Chattopahyaya) : (a) No such scheme has been received.

(b) and (c) Do not arise.

Increase in Quantum of Loan for Model Village Housing Scheme

6161. **Shri Ramavatar Shastri** ; Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state;

(a) Whether the Model Village Housing Scheme is being implement in the country since 1961;

(b) if so, whether on the basis of the prices of the house-building material prevailing at that time it was decided to advance a loan of rupees three thousand to a family for the construction of house at the rate o--f80 per sent of the actual cost of constructin, which is still inforce;

(c) whether the prices of the house building material have at least doubled now in comparison to the prices prevailing in 1961, if so, whether Gorenment propose to raise the said limit of loan to Rs. 6,000; and

(d) if so the date from which it would be raised and if not, the reasons thare for ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gnjral) : (a) and (b) : No such scheme known as the Model Village Housing Scheme has been introduced this Ministry. A Scheme known as Village Hosing Projects Scheme was, however, introduced by this Ministry in August, 1957. This Scheme, **inter alia**. provides for the grant of loan for construction and improvement of houses in villages upto 80 persent of the cost of construction subject to a maximum of Rs. 3000/—per house. This loan ceiling was laid down in 1965.

(c) and (d) : There has been considerable increase in the cost of building materials during recent years and suitable revision of the loan ceiling is under consideration. The revised ceiling of loan is generally effective from the date of issus of orders in that regard.

Pre—Matric Scholarship to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students

6162. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The percentege of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students to the total population ef students of each State: and

(b) The percentage of such students out of them who were awarded pre-matric scholarships during 1971-72, State wise ?

The Deputy Minister in the Ministcry of Education and social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Latest information is available for the year 1965-66 and is given in the statement enclosed. Information regarding later years is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Information is being collecled and will be laid on the Table of the House.

Statement

Statement showing State-wise percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students to the total population of students in all educational institutions in 1965-66.

S. No.	State/Union Territory	Percentage of Scheduled Caste Students	Percentage of Scheduled Tribe Students
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	12·2	2·1
2.	Assam	6·6	20·8
3.	Bihar	8·7	8·3
4.	Gujarat	7·3	6·7
5.	Jammu & Kashmir	1·8	—
6.	Kerala	9·5	0·5
7.	Madhya Pradesh	9·7	12·2
8.	Maharashtra	9·4	4·2
9.	Mysore	9·0	0·4
10.	Orissa	13·5	14·3
11.	Punjab	11·2	—
12.	Rajasthan	11·2	0·1
13.	Tamil Nadu	15·5	0·5
14.	Uttar Pradesh	12·3	—
15.	West Bengal	13·5	2·8
16.	Dadra and Nagar Haveli	3-7	68·1
17.	Delhi	7·6	—
18.	Himachal Pradesh	16·0	3·5
19.	Manipur	1·8	34·3
20.	Pondicherry	15·1	—
21.	Tripura	12·4	18·1
22.	Nagaland	0·6	96·8
23.	Nefa	—	93·1
24.	Laccadive & Minocy Islan 's	—	98·4
25.	A & N. Islands.	—	9·8
	India	10·9	4·2

राजधानी में पानी जमा हो जाने का खतरा

6163. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पानी के जमा हो जाने के खतरे के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालस में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राजधानी में पानी जमा होने की समस्या की जाँच करने सम्बन्धी एक योजना दिल्ली प्रशासन द्वारा, दिसम्बर, 1970 में शुरू की गई थी और यह निरीक्षण अभी चल ही रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय खाद्यान्न विक्रेता ऐसोसियेशन के संघ द्वारा राशन व्यवस्था समाप्त करने की मांग

6164. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गेहूँ और चावल की बहुत अच्छी फसल होने के कारण अखिल भारतीय खाद्यान्न विक्रेता एसोसियेशन के संघ ने हाल ही में शहरों में राशन व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हाँ। संघ ने बम्बई में चावल और ज्वार के लिये कलकत्ता तथा आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक कम्लैक्स में चावल और गेहूँ के लिए सांविधिक राशन व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया था। सरकार उस समय तक सांविधिक राशन व्यवस्था समाप्त करने के पक्ष में नहीं है जब तक कि राज्य सरकारों की राय में उसे समाप्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता है और उससे सप्लाई स्थिति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

शिक्षा नीतिकों नया रूप देना

6165. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की शिक्षा नीति को नया रूप देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(ख) यह नया रूप किस प्रकार का होगा और इसमें कितना समय लगेगा, और

(ग) क्या इस सम्बंध में किन्हीं शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है, और यदि हाँ, तो वे कौन-कौन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करने और शिक्षा पद्धति का इस प्रकार पुनर्निर्माण करने के लिये प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिससे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सके। इन प्रस्तावों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने पेश किया जायेगा तथा राज्य सरकारों से इन पर बातचीन की जायेगी।

पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का भविष्य

6166. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के दो स्वतंत्र देशों में विभाजन के परिणामस्वरूप लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का भविष्य क्या होगा, और

(ख) इसे प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : इंगलैंड सरकार से प्राप्त मध्यस्थता के लिए प्रारूप करार विचाराधीन रहा है। जिस प्रसंग में इण्डिया आफिस लायब्रेरी के बारे में चर्चा होती रही है वह बदल गया है। सम्बन्धित पक्षों के मध्य दोबारा विचार विमर्ष करना आवश्यक होगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापतनम से शिपयाड सम्बधीं मूल्य-निर्धारण एवं राज सहायता नीति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध

6167. **श्री के० मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम के, शिपयार्डों सम्बन्धी मूल्य निर्धारण एवं राज सहायता देने की सरकार की नीति का पुनरीक्षण करने के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ। 22 जुलाई, 1971 का 1–4–1971 से प्रवृत्त नये मूल्यनिर्धारण तथा राज सहायता देने की सरकार की नीति का निर्धारण करने वाले आदेश जारी किये गये।

(ख) नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं:—

(1) जहाज मालिक, अन्तराष्ट्रीय मूल्य तथा आयात प्रतिस्थापन की आंशिक लागत के प्रति 5 प्रतिशत अदा करेगा।

(2) सरकार, जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के 5% तक शिपयार्ड की सहायता करेगी। यह सहायता घटाकर 1–4–73 से 4 प्रतिशत, 1–4–75 से 3 प्रतिशत कर दी जायेगी और

यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब 1–4–81 से बिल्कुल लुप्त हो जायेगी । उस प्रयोजन के लिये निर्णायक तिथि पक्का आर्डर देने की तारीख ही होगी ।

(3) जहाज के अन्तराष्ट्रीय मूल्य की 10 प्रतिशत सीमा के अधीन सरकार, जहाज उपकरण की छः बड़ी-बड़ी मदों के देशी मूल्य और न्यूनतम अन्तराष्ट्रीय मूल्य के बीच वास्तविक मूल्य अब तक का भुगतान भी शिपयार्ड को करेगी ।

(4) जहाज मालिकों से निम्नलिखित के सम्बंध में भी मूल्य वृद्धि प्राप्त की जायेगी:—

(i) इस्पात जैसी नियत्रित और नियमित मदों के मूल्यों में सांविधिक वृद्धि ।

(ii) आयातित मदों के सम्बंध में सीमा शुल्क में हेरफेर, और

(iii) मूल्य की कुल वृद्धि का 7 प्रतिशत के अनुसार मजदूरी पँचाटों । पारस्परिक समझौतों के कारण, मजदूरी में वृद्धि, यदि कोई हो ।

(5) शिपयार्ड और इच्छुक जहाज मालिकों के बींच हस्ताक्षरित किये जाने वाले करार में एक और खण्ड भी शामिल किया जाना चाहिये ताकि अवमूल्यन जैसे अदृष्ट आकस्मिक व्यय और समान सांविधिक उद्ग्रहणों में अदृष्ट वृद्धियों के कारण निर्माण लागत में हुई काफी वृद्धियों के समंजनार्थ, शिपयार्ड जहाजों के मूल्य में वृद्धि कर सके ।

उच्चतम सीमा सम्बंधी कानूनों से धार्मिक धर्मस्वों को छूट

6168. **श्री हरिकशोर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिश के अनुसार धार्मिक धर्मस्वों को प्रस्तावित छूट पर आपत्ति की है, और

(ख) यदि हां, तो उठाई गई आपत्तियां क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिण्दे) : (क) तथा (ख) : दिनांक 14 अप्रैल, 1972 को हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि को जोत की अधिकतम सीमा से छूट देने के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। प्रायः सबकी राय यह थी कि केवल सार्वजनिक स्वरूप के वास्तविक न्यासों के सम्बन्ध में ही विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये । उनको वार्षिक अनुदान दिया जाये या उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जिनके लिये उनकी स्थापना हुई है, कोई उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केन्द्र

6169. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इस योजना को क्रियान्वित करने में यदि विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में

अप्रैल 1972 के अन्त तक निम्नलिखित प्रकार से 134 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं:—

राज्य का नाम	स्थापित कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या
उत्तर प्रदेश	75
बिहार	37
हरियाणा	19
मध्य प्रदेश	3
	जोड़ : 134

(ख) कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना वर्ष 1971–72 में चालू की गई और अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इसमें निम्न प्रकार की कुछ शुरू की कठिनाईयां हैं:—

(i) वित्तीय संस्थान उपक्रमियों को ऋण देने में हिचकचाती हैं और यहाँ तक कि अग्रिम राशि 25 प्रतिशत तक का लाभांश लेने और ऋण की राशि पर 200 प्रतिशत तक की जमानत लेने पर वाध्य करते हैं इसके अतिरिक्त वे अपनी मशीनों को भी रहन रखें जो अधिकांश उप-क्रमी नहीं कर पाते।

(ii) उपक्रमियों को कस्टम भाड़ा कार्यों के लिये 45–55 अश्व शक्ति के कम मूल्य के ट्रैक्टरों की आवश्वकता है ताकि वे स्थानीय ट्रैक्टरों के मालिकों का मुकाबला कर सकें, परन्तु ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि से नये उप-क्रमियों के कार्य पर प्रभाव पड़ा है।

(iii) उर्वरक, अतिरिक्त कल पुर्जों जैसे अन्य आदानों की बिक्री के लिये डीलरशिप में अभी देर लग रही है।

(iv) प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों में उप-क्रम को प्रोत्साहन देने में अभी देरी लग रही है।

उपरोक्त सब कठिनाइयों पर काबू पाने और योजना की प्रगति को तीव्र करने के लिये सब सम्भव किये जा रहे हैं।

संसद-सदस्यों के फ्लैटों के बरामदों में शीशेदार खिड़कियां लगाना

6170. **श्री डी० के० पन्डा** . क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 17 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3045 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नार्थ और साउथ एवेन्यू स्थित संसद-सदस्यों के अधिकांश फ्लैटों के बरामदों में शीशेदार खिड़कियां लगा दी गई हैं; और यदि हां तो कितने फ्लेटों में;

(ख) प्रतिबन्ध कब लगाया गया था और केवल उक्त मामलों में ही मितव्ययता बरतने के क्या कारण है और केन्द्रीय निर्माण विभाग के प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये इस प्रतिबन्ध से पूर्व कितने पत्र प्राप्त हुये थे; और

(ग) क्या बरामदों में शीशेदार खिड़कियां लगाये जाने पर अतिरिक्त किराया लिया जाता है; और यदि हां, तो कितना ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। नार्थ एवेन्यू में 188 मामलों में और साउथ ऐवेन्यू में 140 मामलों में बरामदों में शीशेदार खिड़कियां लगा दी गई हैं।

(ख) सरकार ने यथा सम्भव अधिकतम मितव्ययता करने हेतु अगस्त, 1971 में अनुदेश जारी किये थे। नवम्बर, 1971 में सरकार द्वारा समस्त परिवर्द्धनों परिवर्तनों पर एक सामान्य रोक लगा दी गई थी। 1971–72 के दौरान नार्थ तथा साऊथ ऐवेन्यू में 20 फ्लैटों तथा अन्य क्षेत्रों में 14 फ्लैटों में, बरामदों में शीशेदार खिड़कियां लगाने के अनुरोध प्राप्त हुये थे। इनमें किसी भी फ्लैट में शीशेदार खिड़कियां नहीं लगाई जा सकीं क्योंकि औपचारिकतायें पूर्ण करने तक मितव्ययता सम्बन्धी उपाय लागू कर दिये गये थे। उन मामलों में जहां आवंटी अभी भी शीशेदार खिड़कियां लगवाने के इच्छुक हैं, ऐसे 34 मामलों का पुनरवलोकन करने हेतु अब कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, हां। संसद-सदस्यों को अनुमेय 25 प्रतिशत की छूट को छोड़कर, कार्य की लागत के 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से आवंटियों से अतिरिक्त किराया मांगा और वसूल किया जाता है।

राज्य-राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव

6171. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या कतिपय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इन सड़कों की लम्बाई कितनी है, और

(ख) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : **(क) और (ख)** : उड़ीसा सरकार से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। गत वर्षों में समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुये थे जिसमें निम्नलिखित दो सड़के जो उड़ीसा राज्य में हैं को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है:—

	लम्बाई
1, हरीदासपुर [एक्सप्रैसवे का नीचला भाग] पारादीप	48 मील
2. रूंरकेला-बाड़ा कोट तालचंर राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के साथ जंकशन	13 मील

उक्त [2] में उल्लिखित सड़क का केवल एक भाग [130 मील] उड़ीसा में हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग कम्पनियों द्वारा लागू की गई भारत तथा अन्य देशों से माल की भाड़ा-दरें

6172. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग कम्पनियों ने विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले भारतीय माल के लिये भाड़े की भेदभावपूर्ण और अधिक दरें निश्चित कर रखी हैं ।

(ख) यदि हां, तो जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा और अन्य महत्वपूर्ण एशियाई देशों के लिये उनका माल यूरोप, अमरीका तथा लेटिन अम के विभिन्न प्रमुख स्थानों को भेजने के लिये भाड़े की तुलनात्मक दरें क्या हैं और भाड़े का अन्तर दूरी के अन्तर की तुलना में कहां तक न्यायोंचित है, और

(ग) भारतीय माल के लिए भाड़े की इन भेदभावपूर्ण दरों के लिए क्या कारण बताये जाते हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मेलन, दर निर्धारण की कोई यथार्थ प्रणाली का अनुसरण नहीं करे । सामान्यत: वे दावा करते हैं कि यातायात क्या वहन करती है । यही तथ्य एक भाग से दूसरे भाग तक वस्तु के दर का निर्णयक है । इस प्रक्रिया सिद्धान्त से भेदभावपूर्ण और असंगत दरों का निर्धारण होता है ।

यह दावा किया जा सकता है कि दूरी के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ विभिन्न कारक, दरों को निर्धारित करते हैं जैसे : (I) माल के प्रकार प्रमात्रा और उपलब्धता, (II) पेकिंग और संग्रह, (III) अन्य श्रोतों से माल के साथ प्रतियोगिता , (IV) प्रतियोगी प्रवेश द्वार, (V) परिचालन को प्रत्यक्ष लागत, (VI) पड़ाव, पत्तन सुविधायें, पत्तत विनियन, पत्तन प्रभार और पत्तन स्थितियाँ, (VII) बीमा और (VIII) वापसी माल प्राप्त करने की सम्भावना । इस कारकों में से प्रत्येक पर दिया गया और, वस्तु, वस्तु, मार्ग मार्ग और सम्मेलन सम्मेलन में अलग अलग होता है । इसमें बहुत सी परोक्ष वाह्य बातें भी हो सकती है । जब कोई भेद-भाव, वाह्य तथ्य पर आधारित पाया जाता है तो सम्मेलन के साथ मामला उठाया जाता है ।

एक ही उत्तर में प्रत्येक एशियाई देश से यूरोप, यू० एस० ए० और लेटिन अमरीका के बड़े बड़े पत्तनों तक लेजाई गई सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में हो जाने वाली भाड़ा दरों की सूचना देना सम्भव नहीं है । परन्तु यह देखा गया है कि कभी कभी भाड़ा दरें किसी देश के लिये लाभदायक सिद्ध होती है और कभी नहीं ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में धान का मूल्य

6173. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत दो वर्षों में बिहार और पश्चिम बंगाल में धान के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि क्रान्ति के कारण पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूं का उत्पादन और इसके लिये दी गई केन्द्रीय सहायता

6174. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960–61 या कृषि विभाग द्वारा मान्य किसी अन्य उचित आधार वर्ष की तुलना में 1969-70, 1970–71 और 1971-72 में पश्चिम बंगाल में कृषि-क्रांति के कारण या राज्य के जिलों में गहन कृषि विकास कार्यक्रम लागू करने से और इसी कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिक उर्वरक आदि डालने से चावल और गेहूँ के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) गहन कृषि विकास कार्यक्रम के लिये पश्चिम बंगाल को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है :

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1960-61 की अपेक्षा वर्ष 1969-70 नथा 1970-71 में पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूँ के उत्पादन की स्थिति निम्न हैं :

(लाख मीटरी टन)

फसल	1960-61	1969-70	1970-71	1960-61 की तुलना में 1969-70 वृद्धि	1960-61 की तुलना में 1970-71 में वृद्धि
चावल	54·54	63·50 (आ)	61·05 (अ)	+8·69	+6·51
गेहूँ	0·26	4·00 (आ)	7·00 (आ)	+3·74	+6·74

1971-72 के लिये चावल और गेहूँ के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है । किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार, वर्ष 1971-72 में चावल और गेहूँ का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होने की आशा है ।

उत्पादन में अधिक वृद्धि नई तकनीक को अपनाने के कारण हुई है, जिसमें अच्छी किस्म के चावल और गेहूँ की खेती, उर्वरकों का अधिक उपयोग और सिंचाई की सुविधाओं का प्रसार सम्मिलित है । बताया जाता है कि उच्च उपज वाली गेहूँ की किस्में लोकप्रिय हुई हैं और इनके कारण पश्चिम बंगाल में गेहूँ के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई हैं । यह भी बताया जाता है कि चावल की अधिक उत्पादनशील किस्में काफी अच्छी रही है (विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में) ।

(अ) —चावल की ग्रीष्मकालीन फसल के लिये अनुमानित आंकड़े शांमिल हैं ।

(आ) —अनुमानित, + —अतिम अनुमान

(ख) 1 अप्रैल, 1969 से चालू केन्द्रीय सहायता के प्रतिमान के अनुसार, वार्षिक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता एक मुश्तऋण व अनुदान के रूप में दी जाती है जिसका 70 प्रतिशत भाग ऋण व 30 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप होता है। परन्तु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अतः कृषि कार्यक्रमों अथवा विशिष्ट रूप से कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता की ठीक-ठीक धन-राशि के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है। फिर भी, उपरोक्त एक मुश्त दिये जाने वाले ऋणों और सहायता के प्रतिमान के आधार पर राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये प्राप्त कुल केन्द्रीय सहायता राशि (ऋण तथा अनुदान), जिसमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी सम्मिलित हैं, वर्ष 1969-70 में 7·21 करोड़ रुपये, 1970-71 में 9·12 करोड़ रुपये और 1971-72 में 8·53 करोड़ रुपये थी।

बंगला देश द्वारा भारत में बन्दरगाह सुविधाओं का उपयोग

6175. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार गत दिसम्बर में भारत और बंगला देश के पाकिस्तान के साथ हुये युद्ध के कारण बगला देश में पत्तन व्यवस्था अस्थायी तौर पर ठप्प हो जाने से विदेशों से सामान और राहत सामग्री के आयात के लिये भारत में बन्दरगाह सुविधाओं का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो किस सीमा तक,

(ख) यह उपयोग तब तक जारी रहेगा; और

(ग) यह उपयोग बंगला देश किन शर्तों पर कर रहा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बंगला देश सरकार विदेशों से माल और राहत सामान से आयात करने के लिये भारत में संमुद्री पत्तन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रही है। यह इस कारण से है कि उनके पत्तन चलना और चटगाँव पूरी तौर से परिचालनात्मक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Allotment of Land for Opening Hotels in Delhi

6176. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Works And Housing** be pleased to state :

(a) Whether Government are allotting land on concessional rates for opening hotels in Delhi;

(b) If so, the number of hotels for which the land could be allotted in Delhi; and

(c) The number of applications received and disposed of by Government so far ?

The Minister of State in the Ministery of Works and Housing (Shri I. K. Gujtal): (a) to (b) : The question of earmarking suitable sites for hotels in Delhi is being examined in consultation with the Ministry of Tourism and Civil Aviation and the New Delhi Redevelopment Advisory Committee. There is also a proposal to allot Government land for

hotels in Delhi on lease for an annuai rent without collecting any premium. Two such pilots have already been entrusted with the Ministry of Tourism and Civil Aviation for disposal accordingly.

Loan to Delhi transport Corporartion

6177. **Dr Sankata Prasad :** Will the Minister of **Shipping and transport** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have decided to advance loan to the Delhi Transport Corporation; and

(b) If so, the amount there of and the manner in which the Corporation would utilise the loan ?

The Minister of Parliamentarp Affairs and Shippiny and transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) : Yes, It is proposed to advance loans amounting to Rs. 400 lakhs to :he Delhi Transport Corporation during 1972-73 for the purchase of buses and other capital works.

1971-72 और 1972-73 में संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों के सहायता

6178. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में अर्थात् 1971-72 में संयुक्त राष्ट्र के कितने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों ने भारत को सहायता दी;

(ख) वर्ष 1972-73 में सहायता के लिये कितने संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है;

(ग) वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये संयुक्त राज्य के जिन कृषि संगठनों ने सहायतों का वचन दिया है उनके नाम क्या हैं और धन के रूप उन्होंने कितनी सहायता देने का वचन दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रकार दी जाने वाली सहायता का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्रियों और संसद सदस्यों के कार्यालयों और निवास स्थानों की मरम्मत और उनके नवीकरण पर व्यय

6179. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में दोनों सदनों के संसद सदस्यों के निवास स्थानों की मरम्मत और उनके नवीकरण पर कितनी धन राशि खर्च की गई थी; और

(ख) क्या आपातकालीन अवधि के दौरान मितव्यता के उपाय नहीं किये गये थे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 20, 98, 150 रुपये ।

(ल) आपतकाल में मितव्ययता के उपाय विधिवत् किये गये थे ।

टिप्पणी : (क) में दी गई सूचना संसद सदस्यों के केवल निवास स्थानों से संबंधित है और इसमें मंत्रियों के कार्यालय/निवास स्थान शामिल नहीं है ।

कैंसर के लिए अनुसंधान केन्द्र और अस्पताल खोलने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

6180 **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा कितने कैंसर अनुसंधान केन्द्र और कैंसर अस्पताल खोले गए;

(ख) गत तीन वर्षों में इन केन्द्रों और अस्पतालों की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितना अनुदान या सहयता प्राप्त हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में इसका उपयोग किस प्रकार किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क), से (ग)** . पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने किसी कैंसर अनुसंधान केन्द्र अथवा कैंसर अस्पताल की स्थापना नहीं की है । तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठन का तामिलनाडु राज्य में कैंसर नियन्त्रण के लिए एक अनुसंधान प्रायोजना शुरू करने का विचार है । वर्तमान सेवाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए 'शीघ्र पता लगाने और प्रभावी उपचार' पर आधारित कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के विकास का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कान्चीपुरम में एक कैंसर नियन्त्रण मार्गदर्शी प्रायोजना शुरू करने के बारे 4 नवम्बर, 1968 को भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक करार पर हस्ताक्षर किये । यह कार्यक्रम आरिगनार अन्ना मेमोरियल केन्सर इन्स्टीट्यूट, कान्चीपुरम में निम्नलिखित उद्देश्यों से शुरू किया गया है :—

(1) मुखग्रसनी ग्रीवा के दो प्रकार के प्रमुख कैंसर के मामलों का पता लगाना और उपचार करना

(2) सभी मामलों का पता लगाने के तरीके का विकास करने तथा उपचार के बाद देख भाल करने की व्यवस्था करना

(3) इन तकनीकी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

इस प्रायोजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

(1) विश्व स्वास्थ्य संगठन 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 20,000 डालर का अनुदान देगा ।

(2) नार्वेजियन एजेन्सी आफ इन्टरनेशनल डवलपमेंट के प्रस्ताव के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन, भवनों चिकित्सा साज सामान तथा आवश्यक वाहन आदि के अनावर्ती खर्च के लिए अधिकतम 10 लाख एस० के० आर० तक की सहायता देता है ।

(3) पाँच वर्ष की अवधि में इस उपस्कर के रख-रखाव के लिए भी सहायता दी

जाएगी जोकि पहले वर्ष 70,000 एन० के० आर० और उसके उपरांत प्रति वर्ष इसमें 20 प्रतिशत कमी की जायेगी ।

ढोरों की नसल सुधार के लिए केन्द्र और उनके लिये केन्द्रीय सहायता

6181. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गाय की नसल में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इस प्रकार के नसल सुधार केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्यों को कितनी सहायता दी गई है, और

(ग) ढोरों की नसल में सुधार करने के लिए वर्ष 1972-73 में क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) . राज्यों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लोवर डिवीजन क्लर्कों की दैनिक मजूरी पर भर्ती

6182. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय लोअर डिवीजन क्लर्कों की दैनिक मजूरी पर भर्ती करता रहा है, यदि, तो गत दो वर्षों में ऐसे कितने क्लर्कों की भर्ती की गई;

(ख) इनमें से कितने स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किये गये थे; और कितने सीधी भर्ती द्वारा लिए गए ।

(ग) क्या सीधी भर्ती के मामले में नियमों में ढील के लिए नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय की स्वीकृति ली गई थी; और

(घ) पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवारों के कितने व्यक्ति गत पांच मास में भर्ती किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ यह संख्या 1970 तथा 1971 ये दौरान मास प्रति मास की आवश्यकतानुसार 5 से 74 तक बदलती रही ।

(ख) रोजगार कार्यालय से नामित व्यक्तियों की एक स्तर पर की गई नियुक्ति की अधिकतम संख्या 45 थी, सीधी भर्ती से नियुक्त किये गए व्यक्ति भी रोजगार पंजीकृत कार्यालय में थे ।

(ग) जी, नहीं । क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

(घ) कुछ नहीं ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की नियुक्ति

6183. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पेथालोजिस्ट की, जो सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने के बाद 62 वर्ष की आयु में सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य और आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में सेवानिवृत हुए थे, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उच्च पद पर उनकी पुर्ननियुक्ति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पद के लिये कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था; और

(घ) क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि उन्हें किन परिस्थियों में पुन: नियुक्त किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) . अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2032/72]**

ग्राम्य कृषि क्षेत्र की आय में विषमता

6184. **श्री विरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य कृषि क्षेत्र की आय में विषगताओं का अनुपात क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार इन विषमताओं को कम करने का है, और

(ग) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देहाती कृषि क्षेत्रों में आय में असमानताओं से सम्बन्धित अनुपात की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि देहाती क्षेत्रों अथवा विभिन्न आय वर्गों के लिये राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान अलग-अलग नहीं लगाया गया है ।

(ख) तथा (ग) देहाती समुदाय के दुर्बल वर्गों की सहायता करने की आवश्यकता से सरकार सचेत है और सामाजिक न्याय की नीति के अनुसरण में इन वर्गों की सहायतार्थ विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं [इन कार्यक्रमों में भूमि सुधार के विभिन्न उपाय, सीमांत किसानों और कृषिक श्रमिकों के विकास की योजनाएं, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का कार्यक्रम, संकलित बाराँनी कृषि विकास के लिये योजना और देहाती रोजगार के लिये क्रेश कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

चावल के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध

6185. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चावल लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त करने का है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चावल के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध कब तक समाप्त किये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : चावल के संचलन पर प्रतिबन्ध इसलिए लगाया जाता है ताकि चावल अधिक से अधिक अधिप्राप्ति की जा सके । चावल की अधिप्राप्ति पर्याप्त बफर स्टाक तैयार करने और सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिये आवश्यक है । पिछली बार अक्तूबर, 1971 में हुये मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चावल के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों की समीक्षा की गई थी । इस बात पर मतैक्य था कि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए इन प्रतिबन्धों को जारी रखा जाना चाहिए । मौजूदा प्रतिबन्धों के हटाने संबंधी प्रश्न पर सरकार केवल आगामी समीक्षा के बाद ही विचार कर सकती है ।

उड़ीसा के सूखा और तूफान पीड़ित क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना

6186. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के सूखा और तूफान पीड़ित क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय इस बीच कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दस लाख से भी अधिक व्यक्तियों को पिछले कुछ समय से भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और क्या इस क्षेत्र में भुखमरी से कोई मृत्यु हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य में सूखे और तूफान से प्रभावित क्षेत्रों को अकाल से प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है । राज्य सरकार आवश्यक राहत उपाय कर रही है जिनमें राहत कार्य खोलना, मुफ्त सहायता वितरित करना और प्रभावित लोगों को दोपहर का भोजन देना शामिल है ।

(ग) राज्य सरकार को 13 जिलों में से, 11 जिलों से कमी की स्थिति के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । 10 लाख से भी अधिक व्यस्क और बच्चे दोपहर का भोजन और मुफ्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं । भूख के कारण कोई मौत नहीं हुई है ।

वर्ष 1971-72 में किये गए सांस्कृतिक करार

6187. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ वर्ष 1971-72 में सांस्कृतिक करार किये गये; और

(ख) इनमें से प्रत्येक करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1971–72 वर्ष के दौरान केवल एक देश अर्थात् आस्ट्रेलिया के साथ साँस्कृतिक करार किया गया था ।

(ख) आस्ट्रेलिया के साथ हुए सांस्कृतिक करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना है। इसमें शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कला तथा संस्कृति, रेडियो, प्रेस, फिल्मों, खेल और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान रखा गया है। इस करार की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा अपर्याप्त सहकारी ऋण के बारे में अध्ययन

6188. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि सरकारी ऋण अपर्याप्त था और उसका वितरण थोड़ी-थोड़ी राशि में किया गया था और वह आर्थिक वर्गों के बीच आनुपातिक भी नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2033/72]**

Employees in Modern Bakeries Ltd. Kanpur

6189. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of employees working in the Modern Bakeries, Ltd. (Kanpur) at present;

(b) The number of permanent and temporary employees among them; and

(c) The number of temporary employees who have been working there for a long time ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) 118 as on 31-3-1972.

(b) Out of 118 employees, 87 were confirmed, 15 were on probation and 16 were temporary.

(c) No temporary employee was in service for more than 4 months as on 31-3-1972.

Pay Scale of Veterinary Doctors in States and Union Territory

6190. **Shri Narindra Singh Bisht** : Will the Minister of **Agreculture** be pleased to state :

(a) Whether pay scales of veterinary doctors are very low and if so, their comparative pay scales in the Central and states services;

(b) Whether the students of Veterinary Colleges of the country have been demanding from time to time increased pay scales for Veterinary Doctors but the State Government could not solve this problem;

(c) If so, whether Government would revise their pay scales to ensure that their pay scales to ensure that their pay scales are fixed on the all India basis as in the case of other doctors; and

(d) If so, when ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasuheb P. Shinde): (a) to (d) The required information is being collected from the State Governments/Union Territories and it will be placed on the Table of the Sabha in due course.

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नल-कूप

6191. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले के भिंग और तुलसीपुर के तराई क्षेत्र में कोई सार्वजनिक नल-कूप नहीं है;

(ख) क्या उस प्रदेश में समन्वेशी नल-कूप लगाये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ । इस क्षेत्र में कोई सहकारी ट्यूब-वेल नहीं है ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में संदर्भित स्थल उत्तर प्रदेश की बाभर पट्टी में पड़ते हैं । वर्ष 1972-73 में इस क्षेत्र में समन्वेषी भेदन का कोई कार्य-क्रम नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

गोहाटी और नयामती के बीच यात्री एवं माल सेवा के बारे में केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार के बीच मतभेद

6192. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर गोहाटी और नयामती के बीच एक प्रायोगिक यात्री एवं माल सेवा आरम्भ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार और आसाम की राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना में मतभेद होने और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : **(क) और (ख).** आसाम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी में गोहाटी और नियामती के बीच एक क्रिस-क्रास यात्री एवं माल सेवा चलाने हेतु लगभग 30 लाख रुपये प्रत्येक की लागत के दो जहाजों जिनकी मान क्षमता 125 टन और यात्री 390 है, के अर्जन के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी । योजना की संवीक्षा करने से पता चला कि दोनों जहाजों के पूर्ण उपयोग के लिये पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । अतः भारत सरकार ने नदी-मार्ग से यातायात की उपलब्धता और उसकी अर्थ-क्षमता को आँकने हेतु गोहाटी और नियामती के बीच प्रयोगात्मक आधार पर परिचालन के लिये, शुरू करने के लिये 15 लाख रुपये की लागत के एक जहाज के अर्जन की स्वीकृति दी थी ।

Expenditure on Providing Irrigation, Fertilisers and Insecticides to Small Farmers

6193. **Shrimati Agamdas Manimata** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The exdenditure being incurred by the Centre on each State in providing irrigation. fertiliser and insecticides to small farmers; and

(b) If so, the number of farmers being benefited thereby in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricuture (Shri Jaggannath Pahadia) : (a) 1. The Government of India does not incur any expenditure directly on providing irrigation fertilisers and insecticides to small farmers. It only releases funds to the Agencies which run the schemes for the development of small and marginal farmers.

2. Under the SFDA scheme in operation in 46 projects in different states (including 3 projects in Madhya Pradesh) 25%subsidy is being provided to small farmers for capital investmer on minor irrigation, schemes. Generally, there is no provision for input subsidy to small farmers for fertilisers and the insecticides. The Agencies are. however, permitted to take up demonstrations on the land of selectcd small farmers.

3. In 42 MFAL projects (including the MFAL Projects in Madhya Pradesh) however, provision exists for the grant of 33-1/3% subsidy for the purchase of inputs iucluding fertilisers and insecticides, and also for laying our demonstrations on the land of selected participants.

(b) 1. Under the SFDA scheme in each of the 3 projects in Madhya Pradesh, 50,000 small farmers (having holdings ranginf from 2·5 to 1o acres) are expected to, be covered under various programmes.

2. In each of the 2 MFAL projects in Madhya Pradesh, about 15,000 marginal farmers (generally having less than 2·5 acres of holdings) and 5,000 agricultural labourers (having homestead and earning at least 50% of his income from agricultural pursuits) are expected to be covered under the various programmes.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लिये बनाए गए फ्लैटों का मूल्य

6194. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बस्तियों में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के अलाटियों से लिया जाने वाला मूल्य उन फ्लैटों के समान है, जो नकद रकम लेकर तथा किराया-खरीद के आधार पर अलाट किये जाते हैं;

(ख) क्या दिल्ली बिकास प्राधिकरण द्वारा वजीरपुर रिहायशी योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के किराया-खरीद के आधार पर दिये गये फ्लैटों के अलाटियों से नकद भुगतान के आधार पर दिये गये अलाटियों की अपेक्षा अधिक मूल्य लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां । तथापि, वजीरपुर रिहायशी योजना में निर्मित निम्न आय वर्ग के 188 फ्लैटों के मामले अपवाद स्वरूप किये गये थे ।

(ख) जी, हां, 500 रुपये ।

(ग) किराया खरीद वाले मामले में (मकानों के) पूरा होने से पूर्व आवंटियों से मूल्य का केवल 20 प्रतिशत लिया गया था, जबकि नकद देने वाले आवंटियों को उसी अवधि में मूल्य का 60 प्रतिशत अदा करना अपेक्षित था ।

लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दाखिल किया जाना

6195. **श्री अनंत प्रसाद घूसिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने विद्यार्थियों ने दाखिले के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे;

(ख) उपरोक्त मैडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने स्थान आरक्षित हैं और गत तीन वर्षों में वास्तव में कितने स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरे गये;

(ग) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय के किन्हीं आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विद्यार्थियों को लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज, नई दिल्ली में दाखिला दिया जायेगा जिन्होंने एफ० एस० सी० अथवा प्री-मैडिकल परीक्षा में चार अनिवार्य विषयों में से तीन में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों; यदि हाँ, तो क्या कुछ ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया था जिनके पास उक्त अपेक्षित अथवा इससे अधिक अर्हताएं थीं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस कालेज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान उन्हीं से भरे जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क)

1969	—	1
1970	—	4
1971	—	5

(ख)

	आरक्षित सीटों की संख्या	वास्तव में भरी गई सीटों की संख्या
1969	20	1
1970	20	4
1971	26	5

[ग] 1970 में स्वास्थ्य मन्त्रालय नें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को एक प्रपत्र भेजकर यह अनुरोध किया था कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों को ऐसा परामर्श दें कि प्रवेश-परीक्षा में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए नम्बरों का प्रतिशत 45% से अधिक विहित न करें । फिर भी दिल्ली विश्व-

विद्यालय जिसके साथ लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज एवं अस्पताल सम्बद्ध है, सामान्य उम्मीदवार के लिए 55 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंक विहित किये हैं। लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज में दाखिला इसी आधार पर दिया जाता है।

(घ) प्रवेश परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति यों/जन जातियों के उम्मीदवारों के दाखिले का मामला सरकार ने पहिले से ही दिल्ली विश्वविद्यालय से उठाया हुआ है तथा यह मामला अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

मार्किट रोड, गोल मार्किट, नई दिल्ली के रिहायशी क्वार्टरों की बाहिरी प्रांगण की दीवारों को ऊंचा करना

6196. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मार्किट रोड, गोल मार्किट नई दिल्ली के डाक-घर की बहुमंजिली इमारत के ऊपर से कुछ रिहायशी क्वार्टर दिखाई पड़ते हैं और वहां से क्वार्टरों के प्रांगण और पीछे के कमरे स्पष्ट दिखाई देते हैं;

(ख) क्या गर्मियों में रात्रि के समय जब क्वार्टरों के लोग प्रांगण में सो रहे होते हैं, तो बहु-मजिली इमारत से चमकने वाली ट्यूब लाइटें क्षुब्ध करती हैं; और

(ग) क्या वहाँ के निवासियों की कठिनाइयों को कुछ हद तक दूर करने के लिये सरकार प्रभावित क्वार्टरों के प्रांगणों की बाहरी दिवारें कुछ फुट ऊंचा करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं :

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

6197. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिये गये अपने निर्णय में संशोधित केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1964 के कई खण्डों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो केरल में इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को संविधान की 9 वीं अनुसूची में शामिल करके उसे तत्काल संवेधानिक संरक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) : केरल विधान के संरक्षण से सम्बंधित मामला भारत सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही फैसला हो जायेगा ।

नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, बम्बई, में जब्त की गई वस्तुओं का कम होना

6198. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, बम्बई शाखा के स्टाक में जब्त की गई वस्तुयें काफी कम होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : इस बारे में वास्तविक स्थिति और फेडरेशन द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड़ की बम्बई शाखा ने सितम्बर, 1969 से जब्त की गई वस्तुयें सीधे सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई तथा सूरत से लेनी आरम्भ की थीं। 30–6–70 (अर्थात् सहकारी वर्ष 1969-70 का अन्तिम दिन) को किए गए स्टाक के सत्यापन से पता चला था कि वर्ष के दौरान ली गई लगभग 98.00 लाख रु० के मूल्य की जब्त की गई वस्तुओं के स्टाक की कुल मात्रा में 5311.28 रुपये की वस्तुयें कम थीं। 2625 00 रु० की राशि एक कर्मचारी से वसूल की गई, जो इतनी कमी के लिए उत्तरदायी पाया गया था और शेष कमी केवल 2686.28 रुपये की थी, जो वस्तुओं के किए गए व्यापार के मूल्य का 0.025 प्रतिशत भाग बनता है। सहकारी वर्ष 1970-71 के लिये 30-6-71 को बम्बई शाखा में किये गये स्टाक के सत्यापन से पता चला था कि वर्ष के दौरान ली गई लगभग 1.42 करोड़ रु० के मूल्य की वस्तुओं की कुल मात्रा में 2379·42 रुपये की वस्तुयें कम थीं, जो वस्तुओं के किये गये व्यापार के मूल्य का 0.016 प्रतिशत भाग बनता है। फेंडरेशन ने इन कमियों की सूचना अपने निदेशक मण्डल को उनके विचारार्थ और कमियों को बट्टे-खाते में डालने सम्बन्धी कार्यवाही के लिये दी थी ।

सामूहिक आवास योजना के दूसरे चरण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण

6199. **श्री राम कंवर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकरण के दूसरे चरम में सामूहिक आवास योजना के प्रत्येक वर्ग में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है।

(ख) प्रत्येक समूह में, बस्ती-बार, इस समय कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक समूह के फ्लैटों की पहली पेशकश किस तारीख तक की जायेगी; और

(घ) सभी पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट कब तक मिल जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जनता वर्ग 3895

निम्न आय वर्ग 5884

मध्यम आय वर्ग 9331

(ख)	जनता वर्ग	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग
पनूखा रोड	—	1600	2400
मुनीरका	—	—	1000
मालविया नगर	—	—	448
राजौरी गार्डन (जी-8)	—	436	573
सनलाइट	—	176	—
मदनगीर	382	—	—
मादीपुर	1512	—	—
कालका जी	1288	1066	—
	3,182	3,278	4421

(ग) लगभग तीन महीनों के बाद।

(घ) लगभग दो वर्षों में।

फार्मेसिस्टों के लिये प्रबोधन पाठ्यक्रम (रीफ्रेशर कोर्स)

6200. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसी कौंसल आफ इण्डिया ने फार्मेसिस्टों की कमी को पूरा करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में गैर-जानकर लोगों को परिपूर्ण फार्मेसिस्ट बनाने के लिए एक प्रबोधन पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह निश्चय फार्मेसी अधिनियम, 1948 की भाषा एवं भावना के अनुकूल है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्यय्य) (क) भारतीय फार्मेसी परिषद ने सामान्य कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान विद्याधरपुर, उड़ीसा में नई किस्म के चावल का विकास

6201. **श्री राजदेव सिंह**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान विद्याधरपुर (उड़ीसा) ने चावल की देशी किस्म से हंगरी के चावल का संकरण करके अधिक उपज देने वाली चावल की एक नई किस्म का विकास किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि वैज्ञानिकों से चावल की ऐसी किस्म का विकास करने का अनुरोध किया जायेगा जो अपेक्षाकृत कठोर हो और औसत भारतीय किसानों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो जिन्हें आधुनिक उपकरण प्राप्त नहीं हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)—(क) जी हां। इस संस्करण मे पैदा हुई आय निश्चित किस्में काफी हद तक सर्दी को सहन कर सकती हैं और इनमें उच्च उत्पादन क्षमता होती है। ये दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में द्वितीय फसल मौसम (दिसम्बर-अप्रैल) में शीघ्र बोने के लिये उपयुक्त मानी जाती हैं। इन क्षेत्रों में इन पर पर परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) संस्थान के वैज्ञानिकों का लक्ष्य प्रत्येक ऋतु में उगने वाले ऐसे पौधों का विकास करना है जो सूखे व जलपान की परिस्थितियों में फल-फूल सकें और कीटों व रोगों से बचे रह सकें।

तम्बाकू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा

6202. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इण्डियन लाफ तम्बाकू डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा, जिसका तम्बाकू की 80 प्रतिशत फसल पर नियंत्रण है, किये गये प्रचार से 1971-72 की तम्बाकू की फसल पर पड़ने वाले कुप्रभावों का निराकरण करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ख) क्या नियमित विपणन व्यवस्था लागू करने और नीलामी करने की बहुत आवश्यकता है ताकि उत्पादकों को न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित किये जा सकें, और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : इस तथ्य के अतिरिक्त कि भारतीय पत्ता विकास निगम ने प्रेस वक्तव्य जारी की जिसमें इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित वी० एफ० सी० तम्बाकू के गुणों पर टिप्पणी की गई थी और यह भी कहा गया कि इस वर्ष इस तम्बाकू का अधिक उत्पादन हुआ है जिसके कारण मौसम के शुरू में तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट आ गई। उत्पादकों की कठिनाईयों को कम करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उन्हें उचित मूल्य मिलें सरकार ने राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू का व्यापार सम्भालने के लिये और उत्पादकों से सारा न बिका हुआ माल खरीदने के

लिये कहा। राज्य व्यापार निगम ने पर्याप्त मात्रा में खरीद की और राज्य व्यापार निगम के व्यापार में आने के कारण मूल्यों में काफी सुधार हुआ।

(ख) नियमित बाजार स्थापित करने का प्रश्न जहां तम्बाकू प्राथमिक श्रेणीकरण के पश्चात् आम नीलाम के द्वारा बेचा जा सके और उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करायें जा सके, विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTRE OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

बक्सर-कोइलर तट बंध के प्रस्तावित निर्माण से उत्तर प्रदेश के गांवों के डूब जाने की आशंका के समाचार;

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Sir, I call the attention of Minister of Irrigation and power to the following matter of urgent public imporatance and request that he may make a statement there on :—

"Reported apprehension of submission of some U. P. villages due to proposed Construction of Busxar-Koiloor embankment.

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैंजनाथ कुरील) : गंगा नदी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और बलिया जिलों और बिहार के शाहाबाद जिले के बीच सीमा के रूप में है। जब गंगा में भारी बाढ़ आती है तो इस पहुंच में वह अपने दोनों किनारों से उमड़ कर बहने लगती है और नदी के दोनों और बहुत बड़े क्षेत्र जल मग्न हो जाते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप फसलों घरों को क्षति पहुंचती है।

1955-56 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र में नदी के बायें किनारे की लगभग 39,000 हेक्टेयर भूमि का बचाव करने के लिये बलिया से बकुला तक तटबन्ध के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो बिहार सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर इस आधार पर आपत्ति उठायी कि उससे दाहिने किनारे पर उनके क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि प्रभावित होगी। यह विवाद गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आयोग को निर्दिष्ट किया गया जिसने यह विदेश दिया कि जब तक दूसरे किनारे पर तटबन्ध के प्रभाव के पूरे अन्वेषण नहीं हो जाते और उससे अपेक्षित उपचारों उपायों का निश्चय भी नहीं हो जाता, तटबन्ध पर आगे का निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाए। इस निर्णय के लिये जाने के समय तक सिर्फ आधे किलोमीटर को लम्बाई को छोड़कर बलिया-बोरिया बंध का निर्माण 33 किलोमीटर की लम्बाई में किया जा चुका था और संसारटोला-बकुला बन्ध का निर्माण भी अंशत: किया जा चुका था।

1956 में, बिहार सरकार ने लगभग 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र के बचाव के लिए दाहिनी तरफ तटकीय के निर्माण की एक स्कीम तैयार की। तब यह सुझाव दिया गया था कि इससे पहले कि स्कीम को अन्तिम रूप दिया जाये, तटबन्धों का कुल प्रभाव निश्चित करने के लिये माडल अध्ययन किये जायें। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पूना में किये गये माडल

परीक्षणों से यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश में तटबन्धों के पूर्ण किये जाने पर और बिहार की तरफ तटबंध के निर्माण से बाद की ऊंचाईयों में उत्तर-प्रदेश की तरफ 34 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर के बीच और बिहार की तरफ 9 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में वृद्धि होगी, ऐसा बक्सर में गंगा में 48100 क्यूमेक्स (17 लाख क्यूसेक), इंचकेप पुल पर घाघरा में 29000 क्यूमेक्स (10·3 लाख क्यूसेक), कोइलवर पर सोन में 17560 क्यूमेक्स (6 2 लाख क्यूसेक) और दीया पर गंगा में 94860 क्यूमेक्स (35.5 लाख क्यूसेक) की अधिकतम बाढ़ों के एक ही समय में एक साथ मिल जाने की आत्यंतिक स्थिति में होगा। बक्सर में गंगा में लगभग 39600 क्यूमेक्स (14 लाख क्सूसेक) और इन्चकेप में घाघरा में और कोलइवर में सोन में, प्रत्येक के मामले में 17100 क्यूमेक्स (6 लाख क्यूसेक) जल के निसार के साथ यह वृद्धि, 1971 की बाढ़ स्थितियों जैसी स्थितियों में अधिकतम लगभग 30 सेंटीमीटर ही होगी।

हाल के वर्षों के बाढ़ों के अनुभव के परिणामस्वरूप, यह आवश्यक समझा गया है कि बिहार में लगभग 80,000 हेक्टेयर के और उत्तर प्रदेश में 15000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के बचाव के लिये बिहार की तरफ तटबंध का निर्माण तेजी से किया जाए और उत्तर-प्रदेश की तरफ के शेष भागों को पूर्ण किया जाए। इन तटबन्धों को प्रतिकूल प्रभाव तटबंधों के भीतर आने वाले उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित होगा, जो इस समय भी प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें अन्तर सिर्फ इतना होगा कि बहुत अधिक ऊँचाई की बाढ़ों के दौरान जलप्लावन की गहराई थोड़ी अधिक होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के तटबन्धों के भीतर आने वाले ग्रामों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी लगाया जाना है लेकिन मोटे तौर पर उनकी संख्या लगभग 200 होगी।

बिहार राज्य सरकार दाहिने तट पर तटबंध के निर्माण की स्कीम को अंतिम रूप दे रही है।

Shri Jharkhande Rai : Consequent the Construction of the proposed embankment the Naurange group of villages. Buwal Chhapra group of villages. Jabhin Diara group of villages, Shivpur Diara group of villages, Umarpur Diara group of villages will be suhmerged. The calculations of the Government in this regard are not cancel. May I know whether the Government is prepared to have co-ordinated model sarvey of Bihar and Uttar Pradesh to solve all the problems ? May I also know whether Government propose to resume the construction of the garage or the Balia side ? May I also know whether the construtaion of the proposed embankment will be postponed untill all aspect of the problem have been considercd and a final decision taken by the tipantite conference of U. P. and Bihar and central Government ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : हमारी जानकारी के अनुसार गांवों की संख्या लगभग 200 है, इनमें प्रत्येक वर्ष पानी भर जाता है। अब जबकि उत्तर प्रदेश की ओर बांध बन गया है तो बिहार की ओर बांध न बनने देना उचित नहीं है। यह ठीक है कि लोगों की कठिनाईयों को कम करना होगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि जो

गाँव सीमा पर हैं उनको संरक्षण दिया जाना चाहिये। ऐसा किया जायेगा। कार्य को रोकने का कोई कारण नहीं है।

Shri Jharkhande Rai : May I know whether Government have formulated any scheme for the protection of the affected one thousand villages ;

डा० के० एल० राव : मानसून के चार महिनों में इन लोगों के लिये वहां से चले जाना ही बहत्तर है। यदि वे लोग जाना पसन्द करेंगे तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। मानसून के पश्चात वे अपने गांवों में वापस आ सकते हैं।

Shri Jankeshwar Pandey (Salempur) : May I know whether the scheme regarding construction of the embankment has been drawn with the concurrence of the Government of Uttar Pradesh ; I would also like to know the numbers of vilieges and their total population that will be affected by the constuction of this emhan ment ? Have the Government of Uttar Pradesh and the central Government prepared any scheme keeping in view the future of these people ? Has any scheme been framed to fill the gap which is there for the last twelve years ?

डा० क० एल० राव : योजना पर दोनों सरकारों ने सहमति दी है। विद्यमान दरवाजे को अब भर दिया जायेगा। मानसून के महीनों में इन लोगों का वहां न चले जाना ही बहत्तर है।

Shri Jankeshwar Pandey : May I know the number of villages and their population will be affected by the constructions of the embankment ? May I know whether Government has prepared any scheme for their rehabilitation elsewhere and if so, the place where they will be settled ?

डा० के० एल० राव : गावों की संख्या लगभग 200 है और प्रत्येक गांव में लगभग 500 लोग रहते हैं। सरकार का उद्देश्य उनको बांध से पीछे बसाने का है।

Shri Ram Chandra Vikal (Bagpat) : May I know whether any model survey has been conducted for the proposed embankment and if so, the rsults there of ? Secondly, has the concurrence of the Government of Uttar Pradesh been obtained and if so, when ? Thirdly. what steps are being taken to protect the affected villages and the morooned population and the area of land that will be benefited on the construction of this embankment ?

डा० के० एल० राव : इससे लगभग 1 लाख भूमि का लाभ होगा। लगभग तीन से चार लाख लोगों को भी इससे लाभ होगा। डियारा क्षेत्र के लोग बांध के बीच की भूमि पर रबी की फसल उगा सकेंगे।

Shri Ram Chandra Vikal : Sir, I wanted to know whether the number of people that will be affected is higher than the number of people that will the benefited.

डा० के० एल० राव : लगभग 200 गावों और एक लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। प्रतिवर्ष बाढ से यह लोग प्रभावित होते हैं। बंध के निर्माण से $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ भूमि और 3 लाख लोगों को लाभ होगा।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : The Hon. Minister has said many inpracticable things Where will the farmers go for four months and will they do ? What the chief Engineer of Uttar Pradesh has witten a letter to the joint Secretray of the ministry of irrigation on the 5th

May in which he has opposed the construction of this embankment and in which he has also demanded the report of the model survey. The Centeral Government is adopting the policy of discrimination as he has stopped the construction of many embankments in Uttar Pradesh because the Bihar Government opposed them but now this embankment is being constructed ignoring the opposition from the Uttar Pradesh Government. May I know whether the Hon. Minister is aware of just Communication ? May I know whether Government will fined any solusion to this problem in consultation with the chief Minister of Bihar & Utter Pradesh and concerned Engineers ? I will suggest that the level of these villages may be raised and they be used for embankment.

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य द्वारा बांध के निर्णय पर आपत्ति करने की बात मेरी समझ में नहीं आई । जो गांव बिल्कुल नदी के किनारे पर हैं उनकी बचाया नहीं जा सकता । जो गांव नदी से दूर बसे हुये हैं उनको बचाने के लिये ही बांध का निर्माण किया जा रहा है । हम नहीं चाहते किसी को हानि हो परन्तु कुछ ऐसी हानि होती हैं जिसको बचाया नहीं जा सकता ।

Shri Chandrika Prasad : The Government of Uttar Pradesh is prepared to protect the villages but they want to have the schence and report of the model Survey. The Hon. Minister should call a meeting of the Engineers and chief Minister of both the state and fined out a way to protect these villages.

डा० के० एल० राव : मुझे इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है । मैं सम्बन्धित दलों की एक बैठक बुलाऊंगा ताकि कम से कम हानि हो और लोगों को बचाया जा सके ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए : (अन्तर्बाधाएं) *

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चीज रिकार्ड में शामिल नहीं की जायेगी । (**अन्तर्बाधाएं**)*

श्री ज्योतिर्मय बसु (जयमंद हार्बर) : मैं 10·30 बजे एक नोटिस दिया था **(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसको देखने के लिए मुझे समय नहीं मिला । आप इस सम्बन्ध में नियम 377 को देखें । इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय मिलना चाहिये ।

सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए में प्रत्येक सदय को बोलने के लिए एक अथवा दो मिनट दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केरल से प्रकाशित होने वाले 'नवाब' में एक फोटोस्टेट कापी प्रकाशित हुई है जिसमें केरल के गृहमन्त्री के० पी० ए० ने कहा है कि मन्त्री ने अपने दामाद को श्री बी० बी० जान को अनुदेश दिये थे···

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य विषय है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : प्रेस की स्वतन्त्रता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ।

श्री पी० के० देव (कालाहाड़ी) : उनको वाक्य पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्यों के मन्त्रियों के बारे में यहां चर्चा करना उचित नहीं है ।

* कार्यवाही—वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : फोटोस्टेट काफी यहां पर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको देखना केरल विधान सभा का कार्य है । हम इस प्रकार के पूर्वोदहारण यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला बिलकुल पृथक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये मामले राज्य विधान सभाओं के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं ।

यदि इन बातों के बारे में हम चर्चा करने लगेंगे तो वे भी अपनी-अपनी विधान सभाओं में हमारे बारे में चर्चा करेंगे । फिर संसदीय गणतन्त्र कहाँ जायेगा । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : **

उपाध्यक्ष महोदय : एक सम्पादक को हिरासत में ले लिया गया है । यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । इस पर यहां चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री पी० के० देव (कलाहांडी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस सभा में विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के आचरण पर बहुत बार चर्चा हुई है इसके लिए ऐतिहासिक विनिर्णय था···

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है । मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं देना चाहता हूँ । यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वह मुझसे कक्ष में मिलें ।

श्री पी० के० देव : **

परियोजना भत्ता दिये जाने के लिये बरौनी क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों की हडताल के बारे में

RE : RAILWAY MENS STRIKE IN BARAUNI AREA FOR GRANT OF PROJECT ALLOWANCE

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : 8 फरवरी, 1971 को रेलवे बोर्ड इस बात पर सहमत हो गया था कि बरौनी रेलवेमैनों को परियोजना भत्ता मिलेगा । परन्तु वर्तमान रेल मन्त्री द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किये जाने से बरौनी क्षेत्र में 33 दिन की हड़ताल हुई । **(व्यवधान)** तत्पश्चात् श्रम मन्त्री के लिखित तथा हस्ताक्षरित आश्वासन पर कि रेलवेमैनों को तंग नहीं किया जायेगा और बोर्ड के निदेश पर माँगों को मंजूर किया जायेगा । तब श्रमिकों ने अपना कार्यभार पुनः संभाला । उसके बाद गत एक वर्ष से 4,000 कर्मचारियों को तंग किया जाता रहा है । बंगला देश के संकट के समय उन्होंने अपने परिवारों को भूल कर

---

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* Not recorded

निष्ठापूर्वक कर्त्तव्य का पालन किया क्योंकि हमारे देश के उस भाग का बरौनी क्षेत्र एक प्रमुख अंग है। अब रेल मन्त्री का रुख कठोर है। उन श्रमिकों के परिवार भूख से मर रहे हैं। श्रम मन्त्री के लिखित आश्वासन को रेल मन्त्री सुनना नहीं चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहां दो सरकारें हैं। (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रधान मंत्री को यहां बुलायें और वह आकर सभा में बतायें कि यहाँ दो सरकार है अथवा एक। (व्यवधान) मैं श्रम मन्त्री के आश्वासन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह बात कार्यवाही वृत्तान्त में चली गई है और इस ओर सरकार का ध्यान दिला दिया गया है। यह सरकार पर है कि वह इसे नोट करे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is given in an article written by Shri Krishna Bhatia from the U. S. A. and published in the 'Hindustan Times' dated 13th that a special envoy of president Nixon-Mr. Kissinger had come to Delhi and held talks with the Minister of External Affairs. This visit was secret

उपाध्यक्ष महोदय : यह परियों की कहानी जैसा लगता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : But it should be rebutted. Shri Krishna Bhatia is not used to write fairy tales.

पश्चिम बंगाल में सूखे और पानी की कमी की स्थिति के बारे में

RE : DRAUGHT AND WATER SCARCITY CONDITION IN WEST BENGAL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व सूखा, जलाभाव तथा भुखमरी से हुई मौतों के बारे में गंभीर स्थिति की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा था। पहले ही भुखमरी से 16 मौतें हो चुकी हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और सैंकड़ों नलकूप सूख गये हैं। वहां के लोग पानी की भारी कमी का सामना कर रहें हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है परन्तु अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला है। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन ने कहा है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक वह आमरण अनशन नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

श्री समर गुह : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह बहुत बड़ी मानव सम्बन्धी समस्या है अत: मैंने इस पर वक्तव्य देने के लिये उन्हें अनुमति दे दी है।

श्री समर गुह : यह समवर्ती विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा देश के अन्य भागों को सूखे की स्थिति का सामना करने

के लिये जो रकम दी गई है वह पर्याप्त है ?

पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति से उत्पन्न जलाभाव, भुखमरी तथा अन्य मामलों से निपटने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां उपस्थित है । उन्हें कुछ जानकारी एकत्र करके तैयार रहना चाहिये ।

श्री समर गुह : क्या आपने उन्हें व्यक्तव देने के लिये कहां है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा है । यह कार्यवाही-वृत्तान्त में है । यह मंत्री महोदय के लिये है कि वह वक्तव्य दें अथवा नहीं ।

श्री समर गुह : इससे लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी····· **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : यह केवल कार्यवाही-वृत्तान्त का प्रश्न नहीं है; इससे लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है····· **(व्यवधान)***

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2019/72]**

"तकनीकी अध्ययन के लिए योग्यता तथा साधन छात्रवृत्तियों के पुनरीक्षण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 535 Re : REVISION OF MERIT-CUM-MEANS SCHOLARSHIPS FOR TECHNICAL STUDIES

तकनीकी अध्ययन के लिये, योग्यता-तथा-साधन छात्रवृत्तियों के पुनरीक्षण के बारे में, श्री रामवतार शास्त्री द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर को जो 24-4-1972 को दिया गया, कृपया देखने का कष्ट करें (प्रति संलग्न है) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 22-4-1972 को की गयी बैठक में सुझायी गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* Not recorded.

हुये, पहले दिये गये उत्तर के भाग (ग) को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित रूप में पढ़ा जाये–

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद ने 22 अप्रैल, 1972 को हुई अपनी बैठक में इस योजना की सिफारिश की थी। आयोजना आयोग से विचार-विमर्श करके केन्द्रीय सरकार, इस मामले में शीघ्र निर्णय लेगी।

तकनीकी अध्ययन के लिये योग्यता व साधन क्षमता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की योजना पर पुनर्विचार

*535. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी अध्ययन के लिये योग्यता व साधन क्षमता के आधार पर छात्र-वृत्तियां देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या प्रो० एम० एस० ठक्कर की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने इस नई छात्रवृत्ति योजना की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : **(क) तथा (ख)** : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद द्वारा प्रो० एम० एस० ठक्कर की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार द्वारा पोलिटक्निकों के छात्रों के लिये योग्यता एवं साधनों के आधार पर छात्रवृत्तियों की एक योजना प्रारम्भ की जानी चाहिये।

(ग) अखिल भारतीय परिषद की अन्तिम सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के परामर्श से इस योजना पर विचार करेगी। **(अन्तर्बाधएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार मुझे धमकाया नहीं जा सकता है ·· **(व्यवधान)** मैंने श्री बनर्जी को अवसर देना चाहा था परन्तु उनके अन्य सहयोगी उन्हें अवसर का लाभ नहीं उठाते देते। वित्त मंत्री महोदय।

वित्त विधेयक, 1972
FINANCE BILL, 1972

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

गत 12 महीनों में हमें जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनसे निपटने के लिये हमने व्यापक आधार पर संसाधन जुटाने का प्रयास किया। हमें इन संसाधनों का उपयोग देश की आवश्यक आवश्कताओं को पूरा करने तथा विकास की गति को तेज करने के लिये करना पड़ा। वर्ष 1972–73 की वार्षिक योजना के लिये योजना परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है जिसमें सरकारी क्षेत्र के कार्य-क्रमों का उपबन्ध भी शामिल है। इससे उत्पादन बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था का और विकास होगा। सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिये 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, जिन लोगों के पास काला धन है उसे वे सफेद धन में बदलने के लिये लाटरियों तथा घुड़ दौड़ में इस्तेमाल करते हैं। इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था है जिससे इस प्रणाली पर रोक लगाई जा सकेगी। धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों को कर छूट योजना में रूप भेद करने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है उससे लेखकों अन्शदान करने वालों, न्यासियों और उनके रिश्तेदारों को लाभ देने के लिये तथा व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये न्यास कर छूट विधि का जो दुरुपयोग होता है, उसमें कमी होगी। भविष्य निधि अन्शदान, जीवन बीमा प्रीमियम आदि से जो अन्शदान किया जाता है उस पर करों में अधिक छूट देने ले मध्यम आय वाले लोगों को बचत करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 सम्बन्धी प्रवर समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर सभा शीघ्र ही विचार करेगी। इस विधेयक के एक उपबन्ध के अन्तर्गत सरकार को विक्री दस्तावेजों में लिखे गये मूल्य पर अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। दूसरे उपबन्ध के अन्तर्गत बेनामी सम्पत्ति के स्वामी को, जब तक कि वह सम्पत्ति से हुई आय अथवा उस सम्पत्ति का कर-अधिकारियों के समक्ष उल्लेख न करे, न्यायालय में उसका दावा दर्ज करने से वंचित किया गया है। सरकारी मूल्यांकन तंत्र के के प्रशासनिक ढाँचे को भी सुदृढ़ बनाया जायेगा।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में गठित प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें काले धन का पता लगाने, कराप बंचन को रोकने, करों की बकाया राशि को कम करने आदि के बारे में बहुत से दूरगामी सुझाव दिये गये हैं। इन सुझावों की शीघ्रता से जांच करने के लिये हमने विशेष उपाय दिये हैं तथा आशा करते हैं कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये जो विधेयक सरकार को स्वीकार्य होगा वही विधेयक लाया जायेगा।

व्यापार और उद्योग के सदस्यों से मिलकर अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी विभिन्न अभ्यावेदनों की ध्यानपूर्वक जांच करके अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके मैंने सामान्य चर्चा के पश्चात अब तक के समय का सदुपयोग किया है। बजट के बाद जो अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं उनकी संख्या पहले की अपेक्षा कम है जिससे पता चलता है कि मैंने जो प्रस्ताव रखे थे वे उचित है। मिट्टी के तेल पर जो रियायत देने की आवश्यकता समझी गई थी, वह दे दी गई है। राजस्व में किसी भी संसाधन में अनावश्यक रियायत देने का अर्थ अपनी संसाधन स्थिति दुर्बल करना होगा और इसके परिणामस्वरूप हमारे आवश्यक कार्यक्रमों पर कुप्रभाव पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैंने श्री बनर्जी से कह दिया है कि मध्याह्न भोजन के पश्चात वह इस प्रश्न को उठा सकते हैं ..." (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जब आपने श्री समर गुह को बोलने की अनुमति दी है, तो मुझे भी अनुमति दी जाये।... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी भी कुछ सीमायें हैं मैं उनसे परे अनुमति नहीं दे सकता हूँ । अब श्री दीनेन भट्टाचार्य····(**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जब सभा में शांति नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं बोलते हैं तो मैं डा० राव को बुलाता हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले विरोधी दल के वक्ता को क्यों नहीं बुलाया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बुलाया तथा परन्तु वह बोले नहीं ।

श्री योगेन्द्र झा :**

श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री समर गुह :**

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : जहाँ तक प्रो० समर गुह के प्रश्न का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मन्त्री ने उसे सुन लिया है तथा जो कुछ भी जान कारी उपलब्ध है उसे यथाशीघ्र माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी । किसी घटना के बारे में दूसरी ओर से प्रकट किये गये रोष के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सदस्यगण सहयोग करें । (**व्यवधान**) सदस्यों की शिकायतें प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दी जायेंगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : बरौनी की हड़ताल के मामले को यहाँ उठाया गया है परन्तु इस बात की ओर यहाँ उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री भोगेन्द्र झा, श्री सरजू पांडे तथा अन्य सदस्य जब कल रेल कर्मचारियों की ओर से श्री हनुमन्तैया से उनके घर पर मिले तो उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिये कहा गया। उसी वजह से इतना रोष हो रहा है ··(**व्यवधान**) मंत्री महोदय को यहाँ बुलाया जाना चाहिये···(**व्यवधान**) मंत्री महोदय इस प्रकार संसद सदस्यों का अपमान नहीं कर सकते हैं।

श्री राज बहादुर : सभी संसद सदस्य समान हैं तथा समान सत्कार के पात्र हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस बारे में प्रधान मंत्री को बता दिया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न् भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Reassembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
Shri K. N. Tiwary in the Chair

नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन के बारे में
Re. Anti-war Demorstrations at US Embassy in New Delhi

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : 12 मई, 1972 को दिल्ली युवक फेडरेशन द्वा युद्ध विरोधी प्रदर्शन किया गया जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निक्सन के वियतनाम में किये जा रहे नृशंस आक्रमण के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिये अमरीकी दूतावास में जाना चाहते थे परन्तु पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अमरीकी दूतावास के निकट जाने की अनुमति नहीं दी जो बहुत असाधारण बात थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उनको मुख्य सड़क पर ही रोक दिया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला प्रदर्शनकारियों, विशेषकर कुमारी बुलु रायचौधरी, के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। अब पुलिस एक मामला बनाने का प्रयास कर रही है कि प्रदर्शनकारी पटाखे लाये थे तथा अमरीकी दूतावास पर फेंकना चाहते थे। गृह मंत्री को समूचे मामले की जॉच करनी चाहिये तथा सुनिश्चित करना चाहिये कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाये। कम से कम इसके लिये उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों को तुरन्त मुअत्तिल कर दिया जाये।

सभापति महोदय : पहले रेल मन्त्री के बारे में कोई प्रश्न उठाया गया था अत: उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा।

बिहार में मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा करने की कथित घटनाओं के बारे में
Re. Alleged forcible Caputure of Election booths in Bihar

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I want to read out a telegram about an incident that took place in tne Chhaterpur village in Ramgarh Assembly constituency where polling took place yesterdery and curfew was impored.

Mr. Chairman : It is a state subject it is not the concern of the House.

Shri Ramavatar Shastri : Communal riot took place there.

Mr. Chairman : I have listened to you. If the matter relates to the Election Commission. that will go into it.

Shri Ramavatar Shastri : This telegram has been received from Shri Jagannath Sarkar, Secretary, Bihar Unit of C. P. I.

Mr. Chairman : Siece you have been allovred, the has gone on record, Now you sit down.

Shri Hukam Chand Kechwei (Morena) : What ever has been said have is not relevant and that should not go on record.

Mr. Chairman : Since I have allowed Shri Ramavatar Shastri to that would go on record.

रेलवे मन्त्री द्वारा अनेक संसद सदस्यों के कथित अपमान के बारे में
Re. Alleged insult of Certain M. P. S. by the Minister of Railways

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : मेरी अनुपस्थिति में कुछ सदस्यों ने कहा कि मैंने उन्हें मिलने से इन्कार कर उनका अपमान किया था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह मुख्य बात नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह भी एक बात है ।

Mr. Chairman : Please first listen to him and then speak if you hav to say any thing.

श्री के० हनुमंतैया : मुझे केवल तीन सदस्य मिलने आए थे । जो मेरे पास बैठे और उन्होंने मेरे साथ चाय पी थी । + " **(Interruption)**

Mr. Chairman : Please have restraint.

Shri Ramavatar Shstari : He is combining 13 and 14 togather.

श्री के० हनुमन्तैया : हमने तीन घन्टे तक बातचीत की । मैंने श्रमिकों के सम्मुख अंग्रेजी में भाषण दिया जिसका श्री योगेन्द्र झा ने हिन्दी में अनुवाद किया ।

Shri Ramavatar Shastri : What does he talk ?**

Mr. Chairman : Nothing would go on record.

श्री के० हनुमन्तैया : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि मैंने एक श्रमिक महिला का अपमान किया था । साम्यावादी दल के सदस्य किसी महिला को साथ नहीं लाये थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन्होंने इसे 5000 पुरुषों पर थोपा हैं किसी महिला की सेवा भंग नहीं की गई ।

श्री के० हनुमन्तैया : बरौनी और गारहारा की हड़तालों से देश को 4 करोड़, रुपये की हानि उठानी पड़ी है । उनकी हड़ताल गैर कानूनी थी अतएव उनकी सेवाएँ कानून के अनुसार भंग की गईं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जब हड़ताल समाप्त की गई तब क्या आश्वासन दिया गया था ?

श्री के० हनुमन्तैया : मेरे वक्तव्य में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर) : परन्तु उनके सहयोगी श्री खाडिलकर ने आश्वासन दिया था ।

श्री के० हनुमन्तैया : मैंने उन्हें कुछ बातें बताई थीं जिनके करने पर सेवा भंग पर पुनः विचार किया जा सकता था ।

जहाँ तक मान्यता देने का प्रश्न है मैंने श्री बनर्जी को बताया था कि इस मामले को विधि मन्त्रालय में भेजना होगा जहाँ इस पर विचार किया जायेगा । हिंसा के 43 मामले हैं । मैं उन मामलों को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूँ । यदि उन्हें वापस भी लिया जाता है तो किसी आधार पर लिया जा सकता है । सद्भावना के वातावरण को तैयार

*कार्यवाई वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

करने के स्थान पर वे लोग निर्दोष व्यक्ति पर व्यर्थ के आरोप लगाते हैं। श्री भोगेन्द्र झा ने मुझे श्रमिकों के समक्ष भाषण देने का लिये कहा। मैंने श्रमिकों को समझाया कि वे हड़ताल न करें क्योंकि उससे मुझे संसद में अधिक किराये भाड़े के प्रस्ताव रखने पड़ेंगे। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे मंत्रालय द्वारा सदस्यों का समुचित आदर किया जाता है। विधि के अनुसार रेलवे बोर्ड स्वायत्त संस्था है। मुझे निर्णय लेने से पूर्व उनसे परामर्श लेना होता है।

श्री राज बहादुर : मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद सदन में अच्छा वातावरण बनाना अत्यावश्यक है। जो भी आरोप लगाए जाते हैं वे तथ्य पर आधारित होने चाहिये।

Mr. Chairman : Do not allow any debate on it.

श्री बसन्त सांठे : जिन्होंने झूठे आरोप लगायें हैं उन्हें भूल स्वीकार करनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारा कहना है कि यह सही बात है।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : It is correct that Shri Hanamanthaiya addressed the workers in the presence of **Shri Bhgandra Jha**. He said that so long as thefts and pilferage is not stopped the break in serivce can not be helped These are the words of the Minister. The matter should be evquired in to. You do not recognize our union but have recognized an union which is not registered. One person came there and said that so long is the Railway officers do not want theft can not be stopped. Then he said, shut up, go out from here, This Minister should have the courage to say whether he uttered these words, or not.

Mr. Chairman : Please cenclede now.

Shri Sarjoo Pandey : The Minister has given false statement.

Mr. Chairman : Please state it now.

Shri Ramavtar Shastri ; The Minister is mis leading the house.

Mr. Chairman : I have given apportunity to you side please do not use such a language. It is not expecte1 from the members of adisciplined party ona member from his side has stated his views. The matter ends there·

Shri Bhojendre Jha (Jaynagar) : All the facts·have not come out yet,

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : रेल मन्त्री के घर में जो घटना घटी उस मामले को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये। दोनों ओर से आरोप लगाये गये हैं।

लगभग 5000 कर्मचारियों की सेवा भंग का प्रश्न है। उनमें से 500 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल कर रखी है। में चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री आश्वासन दें कि वह इन कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और नियमों का कठोरता से पालन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह मामला खत्म हो जाये।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उन्होंने मुझे झूंठा कहा है। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि यदि वह यह सिद्ध करदें कि मैं झूंटा हूँ तो मैं लोक सभा में त्यागपत्र दे दूंगा।

Mr. Chairman : I agree with the statement which has been given by your leader we can not pass jndgement over it.

श्री भोगन्द्र झा : उन्होंने प्रधान मन्त्री पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई बचन नहीं दिया। श्री खाडिलकर का वचन उनका वचन नहीं है। रेलवे बोर्ड का एक पत्र जिस पर हस्ताक्षर है, यहाँ पर है। वह इसके लिए जिम्मेदार है (**अन्तर्बाधाएं**)

Mr. Chairman : Please take you seat. I am not allowing you.

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैंने आपको यह कहा था कि तथ्य इसके विपरीत है। मेरे विचार में उनको विवाद उत्पन्न करने के बजाये समझौता करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विभिन्न मामलों को आपस में मिलाया जा रहा है। माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा उससे सदस्यगण संतुष्ट नहीं है। वास्तव में मामला यह है कि माननीय सदस्यों के पास वह पत्र है जो हड़ताल को समाप्त किये जाने के समय रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया था। उसमें कुछ आश्वासन दिये गये हैं। श्रम मन्त्री ने भी आश्वासन दिया था। उस समय यह अनुरोध किया गया था कि इस मामले में प्रधान मन्त्री हस्तक्षेप करें। परन्तु अब श्रम मन्त्री कहते हैं कि वह मजबूर हैं। हम एक कठिन स्थिति में हैं।

श्री राज बहादुर : श्रम सम्बन्ध विवाद चल रहा है। आपने कुछ बातें कहीं हैं। क्या क्या आप यह चाहते हैं कि मन्त्री महोदय मन्त्री तुरन्त उनका उत्तर दें ? हम श्रमिक विवाद को कामिक संघ को मान्यता देने सेवा में भंग के मामले को खत्म करने आदि मामले को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ कहा गया है उसको रिकार्ड कर लिया गया है। इस समय कोई वचन नहीं दिया जा सकता।

Mr. Chairman : These are two different matters one relates to the labour dispute and the other to the behavior allegedly meted out to them when they went to see the Minister we are not have to pursounce judgement over that you have levelled charges aganist the Hon. Minister and he has given reply to it.

Shri Bhogendra Jha : He has not heard the allegation correctly.

श्री राज बहादुर : हमें इस मामले पर सभा से बाहर खुले दिल से विचार करना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं उनसे बातचीत नहीं करूंगा मुझे झूंठा कहा गया है।

श्री राज बहादुर : मूल प्रश्न श्रमिकों के कल्याण के बारे में है। हो सकता है हमने एक दूसरे से अच्छा व्यवहार किया हो अथवा अच्छा व्यवहार न किया हो। अतः मैं उनके नेता से अपील करूंगा कि हमें इस मामले पर शान्तिपूर्ण ढंग से सभा से बाहर विचार करना चाहिये इस समय वित्त विधेयक विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह ठीक है कि यह श्रमिकों के कल्याण का मामला है परन्तु हमें श्रम मन्त्री तथा रेल मन्त्री में विश्वास नहीं है। मैं अपने साथी को एक शर्त पर मामला खत्म करने का परामर्श दे सकता हूँ। वह शर्त यह है कि इस मामले पर सभा से बाहर प्रधानमन्त्री से ही बात करूंगा। प्रधान मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप करने पर ही हड़ताल समाप्त की गई थी।

श्री राज बहादुर : मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दूं । हमें एक दूसरे से सहयोग करना होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस विश्वास पर इस मामले को प्रधान मन्त्री द्वारा निपटाया जायेगा इस मामले को खत्म करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री गुप्त ने जो कुछ कहा उसे रिकार्ड कर लिया गया है । माननीय मन्त्री इस पर विचार और उनसे बातचीत करेंगे ।

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILL—CONTD

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : माननीय वित्त मन्त्री ने जो कुछ कहा है मैं उसे सुन नहीं सका क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया गया था ।

विकास के लिये पूंजीवादी मार्ग को जारी रखने के लिये हम बजट में भारी कराधान किया गया है । 'गरीबी हटाओ' के नारे के बावजूद सरकार एकाधिकारपतियों और भू-स्वामियों की सहायता करने की नीति अनुसरण कर रही है । विधेयक में विद्यमान कराधान की नीतियों में स्थिरता आयेगी ।

इकनामिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो के अनुसार 1972-73 में बजट में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन से वस्तु के थोक मूल्य में पाँच से छः प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी ।

बजट में 183·25 करोड़ रुपये के कर लगाने का जो प्रस्ताव है उसमें से केवल 16 अथवा 20 करोड़ रुपये के करों का बोझ ही अमीर लोगों पर पड़ेगा शेष करों का बोझ गरीब लोगों को ही सहन करना पड़ेगा । सत्तारूढ़ दल गरीबों के लिये मगरमच्छ के आंसू बहाता है । क्यों कि अप्रत्यक्ष करों का बोझा गरीब लोगों को ही सहन करना होगा ।

1972–73 के बजट में अप्रत्यक्ष करों में 3106·13 करोड़ रुपये एकत्र करने का प्रस्ताव है । यह बहुत आश्चर्य जनक बात है क्योंकि सरकार गरीबी हटाओ का नारा लगा रही है और दूसरी ओर गरीबों पर करों का बोझ बढ़ाती जा रही है । माननीय वित्त मन्त्री ने 2 अप्रैल 1971 को इस सभा में इस बात का स्वीकार किया था कि 1968-69 से 1969-70 के बीच करों का बोझ प्रति व्यक्ति 9·7 प्रतिशत बढ़ा है । सरकार को कारपोरेट करों से केवल 480 करोड़ रुपये ही एकत्र होंगे ।

4 जनवरी 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि खुले बाजार में चीनी का मूल्य दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में 2·35 रुपये प्रति किलों से बढ़कर 3 रुपये प्रति किलो हो गया था । इसी प्रकार अनाज के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है । इन सभी का बोझ साधारण व्यक्ति पर पड़ता है । इनकी आय का 60 प्रतिशत भाग अभाव आदि पर कम हो जाता है ।

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए**
Shri Sezhiyan in the chair]

मूल्यों को बढ़ने में रोकने तथा चोर बाजार करने वालों, सट्टा लगाने वालों के विरुद्ध

कठोर कार्यवाही करने के बनाये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उनको संरक्षण दे रही हैं।

जहाँ तक आत्म–निर्भता का प्रश्न है पूंजीवादी देशों पर भारत की स्थिति बढ़ती जा रही है। यह बड़े शर्म की बात है कि बावजूद इसके कि निकसन प्रशासन ने बंगला देश के मामले में भारत विरोधी रवैया अपनाया हमारी सरकार ने अमरीका के भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मेकनमारा का शानदार स्वागत किया।

गत आम चुनाव के पश्चात सरकार ने ब्रिटेन के पूंजीपतियों को ऐसे क्षेत्रों में, जो कि पहले भारतीयों के लिये आरक्षित्व थे, अधिकांश शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है।

सरकार यह कहकर लोगों को धोखा देती रही है कि पी० एल० 480 पर उसकी निर्भरता कम होती जा रही है। परन्तु ऐसा इसलिए हुआ है कि अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 सहायता में कटौती करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास अब पहले से समान अब कम फालतू है। ली जाने वाली कुल विदेशी सहायता में वृद्धि हो रही है।

31 मार्च 1972 को भारत पर 6954 करोड़ रुपये का ऋण था। 31 मार्च 1973 को यह बढ़कर 7328 करोड़ रुपये हो जायेगा। गत वर्ष सरकार ने केवल विदेशी एकाधिकार पतियों बल्कि देश के एकाधिकारपतियों को भी लाइसेंस जारी किये हैं। उनको मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

श्री वांचू के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने कर अपवंचन के बारे में दिये गये अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 1968-69 में 1400 करोड़ रुपयों की आय को छिपाया गया जिससे 470 करोड़ रुपया सरकार को नहीं मिल सका। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है।

समिति ने यह भी कहा है कि 1969–70 ने कर की बकाया राशि लगभग 590 करोड़ रुपये थी जबकि 787 करोड़ रुपये की आयकर की राशि वसूल की गई।

वर्ष 1969–70 में संगठित क्षेत्र में बेरोजगारी 2·5 प्रतिशत बढ़ी तथा 1970–71 में 2·2 प्रतिशत। इससे स्पष्ट विदित होता है कि आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है जिससे कारखाने बंद हो रहे हैं। रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1970 में 34·5 लाख थी, 1970 में 42·2 लाख तथा मार्क 1971 में 22·2 लाख थी श्रम विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार गत वर्ष शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। पूंजी प्रधान उद्योगों पर नियन्त्रण करने तथा श्रम प्रधान उद्योगों का तेजी से विकास करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है किन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देगी क्योंकि इससे बड़े उद्योगपतियों का अहित होता है।

भूमि सुधार के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 'यंग-इण्डिया' नामक लेख में श्री रंजीत राम ने कहा है कि एक वर्ष पहले पश्चिम बंगाल की सलाहकार समिति ने भूमि सुधार विधेयक को पारित किया था

किन्तु बाद में श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने यह वक्तव्य दिया कि उनका कोई रिकार्ड भी नहीं है तथा समस्त मामला व्यर्थ हो गया। केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं हर राज्य में यही हो रहा है।

काले धन के बारे में कई समितियाँ नियुक्त की गई हैं। वाँचू समिति ने इस बारे में अपने प्रतिवेदन में कुछ आंकड़े दिये हैं तथा कर अपवंचन के लिये बड़े व्यापारियों द्वारा अपनाए गये तरीकों का भी उल्लेख किया है। देखा यह गया है कि इन समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार समिति पर समिति नियुक्त करती जाती है किन्तु कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाती जिसमें कर अपवंचन रोका जा सके तथा भूमि की अधिकतम सीमा को लागू किया सके। सरकार तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी भली भाँति जानती हैं कि जनता अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिये उसने एक कानून बनाया है जिसमें जो भी विरोध करे उसको बिना मुकदमा चलाये जेल में ठूंसा जा सके।

इतना ही नहीं सभी राज्यों में पुलिस का खर्च बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के अतिरिक्त पुलिस का अनुसंधान और विश्लेषण विभाग खोला गया है जिसका कार्य जनता के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया को अध्ययन करना है। यह विभाग गुंडों का दल बनाता है तथा हत्या कराता है। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। वहां लोक प्रिय सरकार बनने पर भी हत्याएँ बन्द नहीं हो पाई हैं। वित्त-मन्त्री उसी पुलिस विभाग के लिये धनराशि मांग रहे हैं। इससे गरीबी नहीं हटेगी, अमीरी बढ़ेंगी। इस प्रकार सरकार सारी जनता को हमेशा के लिये मूर्ख नहीं बना सकती। जनता एक दिन उन लोगों का पूरा विरोध करेगी जो केवल बातें करते हैं तथा कोई प्रगति नहीं चाहते। अत: में मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

डा० वी०के० आर वर्दराज राव (बेल्लारी) : गत तीन वर्षों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में बहत अधिक वृद्धि के कारण भारी आलोचना किये जाने का मुझे पहले ही आभास था। श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा सरकार, श्रीमती इन्दिरा गान्धी तथा पुलिस की कटु आलोचना को सुनते समय मैं समझ रहा था कि साम्यवादी दल (मार्क्स) के सदस्यों की कठोर बातें कहने की आदत है। किन्तु हत्याओं आदि की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य अवश्य हुआ है।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ और वह इसलिये नहीं कि मैं कांग्रेस दल से सम्बद्ध हूँ। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक औपचारिकता है तथा बिना विधेयक पारित किया जाना अनिवार्य है। इसके माध्यम के सरकार का ध्यान देश की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर दिलाया जा सकता है।

सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों की क्रियान्वित के लिये वित्त विधेयक एक महत्व पूर्ण माध्यम है अत: माननीय सदस्यों को इस दृष्टि से समीक्षा करनी चाहिये कि सरकार अपनी उन नीतियों को कहाँ तक क्रियान्वित करने में समर्थ हुई है। जिनके कारण सत्तारूढ़ दल को केन्द्र तथा राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ है।

मेरे विचार से सरकार अपनी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों को तभी सफलता पूर्वक क्रियान्वित कर सकती है जब उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए तथा संसाधनों का समान वितरण किया जाये। समाज में अधिक से अधिक नागरिकों को न्याय मिलने पर ही उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सकती है यह हमारी मान्यता है। अतः माननीय मन्त्री उत्तर देते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखें कि वित्त विधेयक तथा बजट और सरकारी नीतियों के द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक न्याय दिलाने तथा उत्पादन के वृद्धि करने में कितनी सफलता मिली है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार को जानना चाहता हूं कि क्या उसने यह निर्णय कर लिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का भारतीय अर्थ व्यवस्था में क्या योगदान होना चाहिये। क्या सरकार का ध्यान मिश्रित अर्थव्यवस्था की असफलता की ओर गया है ? क्या देश में सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर हाल में दिये गये बल को ध्यान में रखते हुये मिश्रित अर्थ व्यवस्था का पुनमूल्यांकन करना उचित समझा गया है।

लगभग 10 वर्ष पहले मैंने यह विचार व्यक्त किये थे कि यदि हम वास्तव में समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कोई स्थान नहीं है। इस सदर्भ में देश में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न की गई हैं। इसी उद्देश्य से मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में सरकार की स्पष्ट नीति जाना चाहता हूं।

भूमि सुधार का अर्थ केवल भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना ही नहीं है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि पट्टेदारों की क्या स्थिति है ? बंगाल, बिहार तथा अन्य राज्यों में साझेदारीं में खेती करने वालों की क्या स्थिति है हम बहुत दिनों से इस पर बल देते आ रहे हैं कि भूमि के स्वामित्व तथा बटाई पर खेती करने के अधिकारों के सम्बन्ध में उपयुक्त रिकार्ड रखने चाहिये जो इस समय नहीं है। इसके साथ-साथ बेनामी भूमि तथा भूमिहीन श्रमिकों के बारे में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। भूमि की अधिकतम सीमा तथा भूमि के वितरण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विवाद हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों के बारे में क्या निर्णय किया है ?

मूल प्रश्न यह है कि भूमि की अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित की जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि की आय के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। किन्तु मेरे विचार से भूमि की सीमा निर्धारित करना इस लिये आवश्यक है कि भूमि प्रकृति की देन है, जैसा कि श्री विनोवा भावे ने कहा है, तथा उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है।

भूभि ही ग्राम्य क्षेत्रों में रहने घाले जनसमुदाय के जीवन पालन का एकमात्र साधन है। कृषि सम्बन्धी अधिकतम सीमा अथवा भूमि की अधिकतम सीमा को आय की अधिकतम सीमा के साथ मिलाने की क्या तुक है ?

देश को स्पष्ट रूप से बता देना बहुत महत्वपूर्ण है कि सारी भूमि तथा भूमि के नीचे सारा जल राष्ट्र का है। सिंचित भूमि तथा नलकूपों के विषय में विवाद अनावश्यक है। हमें देश के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मैं उपस्थित तो नहीं था परन्तु मुझे बताया गया है कि पुनर्वितरण के लिये दस लाख एकड़ भूमि उपलब्ध

होगी । इससे भूमि की समस्या का किस प्रकार समाधान होगा ? यदि हम भूमि की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमारे पास 4 करोड़ अथवा 5 करोड़ एकड़ भूमि होनी चाहिये । हम अवमूल्यन के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं कर सके और यदि भूमि-सुधारों के लिये हमने अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की तो स्थिति और बिगड़ जायेगी ।

मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रधान मन्त्री से अनुरोध करें कि इस विषय पर चर्चा के लिए सदन में पूरा एक दिन रखा जाये ताकि सभी सदस्य अपने दृष्टिकोण रख सकें ।

मैं शहरी सम्पत्ति का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके बारे में हमने प्रतिज्ञा की है । 1967 से पहले प्रतिज्ञा की जाती थी और उसे कार्य रूप में परिणत करने के बारे में परवाह नहीं की जाती थी परन्तु अब समय बदल गया है । प्रधान मन्त्री ने कहा है कि प्रतिज्ञायें पूरी की जायेंगी ।

शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कनाट प्लेस में एक बड़े मकान की कीमत दो लाख रुपये हो सकती हैं परन्तु भूमि का मूल्य 50 लाख रुपया भी हो सकता है । समाजवादी सिद्धान्त में विश्वास रखने के कारण मैं कहता हूँ कि शहरी भूमि मूल्यों में कोई भी गैर-सरकारी सम्पत्ति नहीं हो सकती । यदि सरकार शहरी सम्पत्ति की प्रभावी अधिकतम सीमा निश्चित करना चाहती है तो शहरी भूमि मुल्यों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

मेरे कुछ मित्र बीस एकाधिकार गृहों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? कि राष्ट्रीयकरण के अच्छे परिणाम निकले ? जब हम इस सभा में इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं तो हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीयकरण कैसा सिद्ध हुआ है । यह सुनिश्चित करने के लिये क्या किया जा रहा है कि गैर सरकारी उपक्रमों की तुलना में सरकारी उपक्रम बहुत अधिक कार्यकुशल हो तथा सरकारी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तथा समानता की भावना हो ? वित्त मन्त्री को यह बताना चाहिये कि इस प्रश्न पर वह कितने चिंतित है तथा राष्ट्रीयकरण के बारे में वह क्या सोच रहे हैं ?

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर कुछ आशंकायें व्यक्त की गई हैं । मैं भारतीय इतिहास के अपने ज्ञान के आधार पर कह सकता हूँ कि यह देश केवल एकीकृत राष्ट्र तथा संघ के रूप में ही जीवित रह सकता है । यह कभी भी एकात्मक राज्य नहीं बन सकता है । यदि गत 25 वर्षों के दौरान केवल वित्तीय सम्बन्धों के दृष्टिकोण से ही विचार किया जाये कि राज्य सरकारों ने राज्य के राजस्व से कितनी राशि व्यय की तथा केन्द्र के एजेन्ट के रूप में उन्हें कितना धन मिला तो पता चलेगा कि केन्द्र द्वारा साहूकार के रूप में दिये गये ऋण की राशि बहुत ज्यादा हो गई है परन्तु बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी केन्द्रीय सरकार के ब्याज के रूप में दी जाने वाली राशि उन्हें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन से अधिक हो जाती है । अत: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्र राज्य सम्बन्धों के इस विशेष प्रश्न की जाँच संविधान, राजमन्नार समिति आदि के संदर्भ में नहीं करनी चाहिये अपितु यह देखना

चाहिए कि गत 25 वर्षों में क्या हुआ है और सरकार राज्य सरकारों के लिए कहां तक आत्म-निर्भरता तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर रही है। राज्यों को अधिकाधिक आत्म-निर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें अपने विकास, त्रुटियों तथा अच्छे कार्यों के लिये उत्तरदायी बनाया जाये। अतः यह एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह वित्त विधेयक ऐसे समय पर आया है जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अतः हम जानना चाहेंगे कि क्या पाँचवी पंचवर्षीय योजना में व्यापक एवं समेकित दृष्टिकोण अपनाया जायगा और उसमें आवश्यक संस्थागत तथा ढांचेगत परिवर्तन किये जायेंगे ?

हम गरीबी दूर करने के सम्बन्ध में न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिये बहुत व्यक्ति उत्सुक है। मैं इसके लिए पहले कुछ सीमित उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुयें मिलें, आवश्यक वस्तुओं से मेरा अभिप्राय कपड़ा, चीनी, खाद्यान्न, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा औषधियों से है। दूसरे, लोगों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा तीसरा, जन-साधारण की क्रय शक्ति बढ़ाना। पांचवी योजना की सफलता अथवा असफलता उसकी इस क्षमता पर निर्भर करती है कि इन लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जाता है।

दो महीने पूर्व वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उसका प्रभाव यह पड़ा कि मूल्य बढ़ गए। आर्थिक पत्रों के आंकड़ों के अनुसार मार्च के अन्त में अथवा अप्रैल के आरम्भ में मूल्य सूचकांक 5–8 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह 1970 की तुलना में अधिक हो गया।

क्या सरकार इन आवश्यक वस्तुओं पर किसी के एकाधिकार को समाप्त करेगी जिन वस्तुओं से जनसाधारण का बजट बनता है ?

कुछ चुने हुए क्षेत्रों में हमने राष्ट्रीयकरण किया है और कई प्रकार के नियन्त्रण लागू किये हैं।, परन्तु जब तक आवश्यक वस्तुओं पर कुछ लोगों का अधिकार बना रहेगा है तब तक इन नियन्त्रणों का कोई उपयोग नहीं है। मेरा सुझाव है कि अनाज के थोक व्यापार तथा उसके वितरण एवं मूल्यों पर नियन्त्रण को अपना अगला लक्ष्य बनाया जाये।

वस्त्र उद्योग हमारे देश का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। देश में लगभग 70–80 कारखाने बन्द पड़े हैं। मोटा कपड़ा जनता को अंकित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं होता। उसे बाजार में ऊँचे मूल्यों पर बेचा जाता है। आम लोगों की भलाई के लिए खाद्य पदार्थों, चीनी, वस्त्रों, खाद्य तेलों तथा अनिवार्य दवाइयों के उत्पादन को नियन्त्रण में लिया जाना चाहिये। परन्तु मुझे खेद है कि उत्पादन वृद्धि और आत्म-निर्भरता के नाम पर एकाधिकारों को नये लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ावा ही प्रयाप्त नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि उसके साथ-साथ सामाजिक न्याय को जोड़ा जाये।

आज एकाधिकारों पर रोक लगाने की चर्चायें तो बहुत आ जाती हैं, परन्तु उत्पादन को बढ़ावा देने एवं आत्म-निर्भरता के नाम पर उनको नये-नये लाइसेंस भी दिये जा रह हैं।

यूनियन कार्बाइड को, जो 93 लाख टार्च बनाती है, अपनी क्षमता में 60 लाख टार्चों की वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। उक्त विदेशी कम्पनी पंजीकृत क्षमता 60 लाख टार्चे थी जिसे उन्होंने बिना किसी लाइसेंस के 9 लाख बढ़ा लिया। यह उद्योग (विकास तथा विनिमन अधि-नियम का उलंघन) है। यह स्थिति उस विदेशी कम्पनी की है जो भारी विदेशी मुद्रा बाहर भेजती है।

एक स्वदेशी एकाधिकार गृह हिन्द अलयुमीनियम कम्पनी को दो मशीनें लगाने की अनु-मति दी गई थी, पर उसने तकनीकी विकास के महानिदेशालय को बताये बिना तीसरी मशीन भी लगा ली है। अतिरिक्त उत्पादन को काले बाजार में बेचा जाता है। इस बारे में पूछने पर मुझे बताया गया कि 'हमें इसकी जानकारी नहीं है परन्तु हम इस पर ध्यान देंगे।' इस पर उत्पादन शुल्क की भी हानि होती है।

भूमि की अधिकतम सीमाओं के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति धनी किसानों की संस्था है। उक्त समिति ने निजी साधनों से संचित भूमि की सीमा पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में दो फसलें देने की क्षमता वाली सभी जमीनों की उच्चतम सीमा 10–18 एकड़ रखी थी। किसी ने उसमें 'केवल सरकारी साधनों से संचित-भूमि' शब्द जोड़ दिये। अभी देश में, कांग्रेस पार्टी में एक बार और उथल-पुथल होगी।

कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में तथा योजना आयोग द्वारा भी प्रशासनिक सुधारों की पर्याप्त चर्चा की गई है। जब श्री के० एन० राज समिति अन्ततः ग्रामों में रहने वाले धनी लोगों की आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देगी तो कांग्रेस दल में भारी उथल-पुथल होगी।

देश के विभिन्न भागों में, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात पूर्वांग्रल, पश्चिम बंगाल और बिहार में, कारखानें बन्द होने से उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कारखानें वालों का कहना है कि वे बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कोयला नहीं मिलता तथा रेल के डिब्बे उपलब्ध नहीं होते। इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन के कतिपय हारों हजारों और कतिपय बेई-मान व्यापारियों के बीच भारी षड़यन्त्र है। माल डिब्बे सप्लाई न करने अथवा देर से सप्लाई करने की समस्या स्वयं पैदा की जाती है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि रेलवे प्रशासन से भारी क्षति पूर्ति वसूल की जाए और क्षति पूर्ति का धन स्वार्थी लोगों में बांटा जाये।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानें 60–70 लाख टन रोस्टम कच्चे तेल का परि-शोधन करते हैं। किन्तु इस तेल को नहीं उठाया गया क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि इस कच्चे तेल को न उठाया जाये और सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इसका उपयोग न किया जा सके। बरौनी तेल शोधक कारखानें में 10 लाख टन की परिशोधन क्षमता बेकार पड़ी हुई है और चार वर्षों तक हमें 120 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों का विदेशों से आयत करना पड़ा। ये उत्पाद हम स्वदेश में पैदा कर सकते थे। सरकार इस बारे में क्या

कर रही है ? सरकार को इस प्रकार की सांठ-गाठ का पता लगाना चाहिये, क्योंकि इसके कारण वे लोग अनुचित रूप से धन कमा रहे हैं। हम किसी भी योजना को तब तक कार्यान्वित नहीं कर सकते जब तक ऐसी प्रवृति को रोका नहीं जाता।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं प्रत्यक्ष करारोपण संबंधी विधान के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस प्रसंग में सदस्य वाँचू आयोग के प्रतिवेदन पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। उक्त प्रतिवेदन में अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया है तथा करापवंचन को रोकने के उपाय सुझाये गये हैं।

वित्त विधेयक, 1972 ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है जिसके लिये वित्त मन्त्री की बहुत आलोचना की गई है, अर्थात् यह कहा गया है कि अधिभार में 2·5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि करने के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों की दरों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया गया है। एक माननीय सदस्य ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार नियमित क्षेत्र में कर की दरों में वृद्धि क्यों नहीं करती है ? मैं इस बात से सहमत हूं कि नियमित क्षेत्र में कर की दरों में वृद्धि करने की गुंजाइश है। यह भी कहा जायेगा कि जो व्यक्ति कर सम्बन्धी कानूनों को समझता है वह यह सुझाव कभी नहीं देगा कि गैर-नियमित क्षेत्र में प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि की जाये जहां कराधान की सीमाँत दर 97·75 प्रतिशत पहले ही है। परन्तु निगमित क्षेत्र में कर बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। बजट आने से पहले के महीनों में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति को देखते हुए क्या वित्त मन्त्री के लिये नियमित क्षेत्र में कर बढ़ाना उचित था वित्त मन्त्री ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये एक बहुत ही कम-खर्चीला वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है जिससे उन्हें लाभाँश मिले हैं। गत दो महीनों में देश के औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष कर विधि के ढाँचे सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। यदि कोई व्यक्ति लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़-दौड़ अथवा अन्य किसी प्रकार के जुए में पैसा जीतता है तो उसे कर देना पड़ेगा। इससे न केवल करापवंचन का ही रास्ता बन्द होगा अपितु प्रत्यक्ष करों में जो दरार है वह भी दूर हो जायेगी। परन्तु लाटरी पर कर लगाते समय वित्त मन्त्री ने जो भेदभाव किया है, उसे समझने में मैं असमर्थ हूं। लाटरी के अतिरिक्त वर्ग पहेली, घुड़-दौड़ आदि पर छूट सीमा 1000 रुपया निर्धारित की गई है। परन्तु जहाँ तक लाटरी का सम्बन्ध है, यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपये तक जीतता है तो उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यदि यह राशि 10,000 रुपये से अधिक हो जाती हैं तो केवल पहले 5000 रुपये काट कर शेष राशि में से केवल 50 प्रतिशत पर कर लगता है। यह भेदभाव अनावश्यक है तथा घुड़-दौड़ जुआ, लाटरी आदि पर समान कर लगाया जाना चाहिये।

दूसरा मुख्य परिवर्तन जो किया जाना है वह यह है कि आभूषणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभों पर कर लगाना। इस सम्बन्ध में भी वित्त मन्त्री ने जो रियायत दी है उसे समझना कठिन है। यदि कोई व्यक्ति पुराने आभूषणों को बेचकर पूंजीगत लाभ कमाता है और उस पूंजीगत लाभ में से वह नये आभूषण खरीदता है तो उसे खरीदे गए नये आभूषणों पर कर

नहीं देना होगा। क्या इस प्रकार से की गई नये आभूषणों की खरीद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ?

आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 295 (एम एम) शामिल करने सम्बन्धी अगला परिवर्तन किया जाता है। जब यह धारा कानून बन जायेगी तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कतिपय शर्तें निर्धारण करने वाले नियम बनाने की शक्ति मिल जायेगी जिसके अन्तर्गत अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त अपील में नया साक्ष्य स्वीकार कर सकते हैं जिसे आय कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो। ऐसा विधान अत्यन्त अनुचित है। आयकर पदाधिकारियों में अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त की भूमिका सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपीलीय न्यायालय की भूमिका से बहुत भिन्न है। सरकार को अत्यधिक शक्ति प्राप्त अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त पर विश्वास करना चाहिये। सरकार नई धारा के अन्तर्गत नया नियम बनाने जा रही है। वित्त मन्त्री महोदय को ऐसे उपबन्ध पर बल नहीं देना चाहिये। इसके अतिरिक्त, सरकार उन्हें विभागीय अनुदेश भी दे सकती है।

मैं स्थायी लेखा संख्या दिये जाने का स्वागत करता हूं। इस पद्धति से करापवंचन नहीं किया जा सकेगा। यदि इसके लिये थोड़ी अतिरिक्त लागत भी होगी तो मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री उसे उपलब्ध करायेंगे।

वांचू आयोग की नियुक्ति मुख्यत: करापवंचन को रोकने के लिये मार्गोपाय सुझाने के लिए की गई थी। इस आयोग के निर्देश मद ये थे : (1) काले धन का पता लगाने के लिये प्रभावी उपायों की सिफारिश करना, (2) रूप भेद, कटौती अथवा वापसी की दृष्टि से कर कानूनों द्वारा दी गई विभिन्न छूटों की जांच करना और (3) ऐसे तरीके बताना जिनसे कर निर्धारण तथा प्रशासन में सुधार हो।

मैंने इस प्रतिवेदन का गहन अध्ययन किया है तथा उसमें मुझे कुछ गम्भीर त्रुटियां मिली हैं। पहली त्रुटि यह है कि कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कांग्रेस दल की कुछ वित्तीय एव मुद्रा सम्बन्धी नीतियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी।

दूसरी त्रुटि यह है कि सिफारिशें इतनी विस्तृत हैं कि वे करापवंचन अथवा कर अदा न करने की समस्या के अतिरिक्त कई अन्य बातों से सम्बन्धित हैं।

तीसरी त्रुटि यह है कि इस प्रतिवेदन में विभिन्न सिफारशें एक विचारधारा के पक्ष में तथा दूसरी के विपक्ष में अभिव्यक्ति मात्र हैं और उनके समर्थन में पर्याप्त तथा प्रामाणिक आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

अन्तत: न तो इन सब सिफारिशों को स्वीकार किया जायेगा और न ही सबको अस्वीकार किया जायेगा। इसका परिणाम यह निकलेगा कि मन्त्रालय इस प्रतिवेदन पर मनमाने ढंग से कार्य करेगा।

आयोग ने वैसे कुछ ठोस सुझाव दिये हैं। उसकी मुख्य सिफारिश यह है कि देश में करापवंचन और करों से बचने का एक कारण करों की दरों का अधिक होना है। इसीलिये उन्होंने कराधान की एक पुनरीक्षित अनुसूची का सुझाव दिया है जिसमें कहा गया है कि करा-

धान की उच्चतम सीमांत दर 74275 प्रतिशत होनी चाहिये जबकि इस समय वह 97 75 प्रतिशत है ।

वास्तव में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आज हमारे समाज में जो बढ़ती हुई असमानता है उसके लिये करों की ऊंची दरें उत्तरदायी हैं ।

मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है कि आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिये करों की दर कम हो अथवा अधिक । परन्तु यदि आयोग का विश्वास है कि यदि आयकर की दरों के पुनरीक्षण से बेईमान करदाताओं के रवैये में कोई सुधार हो जायेगा तो यह गलत है। बेईमान करदाता हर हालत में कर का अपवंचन करेगा ।

1950 में आयकर की दर आयोग द्वारा सुझाई गई दर से बहुत कम थी । परन्तु मैं यह बताना चाहता हू कि उस समय की तुलना में कर अपवंचन करने वालों की संख्या अब कम है । यदि पुनरीक्षित दरों को स्वीकार कर लिया जाता है । तो श्री चव्हाण को 45 करोड़ रुपये का घाटा होगा और एक भी कर दाता के रवैये में परिवर्तन नहीं होगा । अतः यह अपने आप को धोखा देने की बात है ।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि दो लाख तथा इससे अधिक पाने वाले को कर में 23 प्रतिशत की छूट दी जाए, परन्तु 10,000 रुपया कमाने वाले को कोई छूट नहीं दी गई हैं, इस प्रकार 15,000 रुपया कमाने वाले को 0.66 प्रतिशत की तथा 20।000रु० से अधिक रुपया कमाने वाले को केवल 2 प्रतिशत की छूट का सुझाव दिया गया है । मेरे विचार में 10,000 रुपये तक कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए और 25,000 से अधिक रुपया कमाने वाले व्यक्ति के आयकर की दर का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ।

व्यापार व्यय की अधिकतम सीमा के बारे में आयोग ने कहा है कि अतिथि गृह तथा मनोरंजन व्यय की अनुमति दी जानी चाहिये । इस बारे में आयोग को कुछ अधिक आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिये थे । मेरे विचार में वौचरों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इस समूचे व्यय को बिक्री-संवर्धन व्यय दिखाया जाता है । अत केवल ईमानदार व्यक्ति को ही कठिनाई होती है, इस मामले में बेईमान व्यक्ति को दण्ड दिया जाना चाहिए ।

दण्ड सम्बन्धी सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं । आयोग ने यह सिफारिश की है कि आय-कर छिपाने के लिए दण्ड देने का आधार छिपाने जाने वाला आयकर तथा धनकर होना चाहिये न कि छिपाये जाने वाली आय अथवा सम्पत्ति । अतः आयोग के कहने के अनुसार वर्तमान दण्ड बहुत अधिक है और कोई भी व्यक्ति दण्ड की राशि का भुगतान करने में रुचि नहीं लेता ।

आयोग की गणना के अनुसार, 1961-62 में 811 करोड़ रुपये पर कर नहीं लगाया और 1965-66 में 1216 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 1400 करोड़ रुपये पर कर नहीं लगा था तथा 1968-69 में 480 करोड़ रुपये का कर अपवचन हुआ उनके अनुसार, उक्त वर्ष में काले धन में 7000 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ । इसका अर्थ यह हुआ कि देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है । इसको समाप्त किया जाना चाहिये, चाहे इसके लिये समूचे गैर-सरकारी क्षेत्र को ही क्यों ने समाप्त करना पड़े ।

आयोग ने बताया है कि गत सात वर्षों में आयकर बिभाग ने 1447 छापे मारे जिनमें से 1418 छापे सफल हुए और करोड़ों रुपये की छिपी राशि का पता लगाया गया। मेरे विचार में छापे मारने की प्रणाली अपनाई जानी चाहिये परन्तु इसका प्रयोग लोगों को अपमानित करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये, जैसा कि हाल में बम्बई में किया गया है। मुझे बताया गया है कि अनेक कलाकारों के घरो पर छापे मारे गये परन्तु वहाँ से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। अतः इस प्रकार के छापे नहीं मारे जाने चाहिये।

श्री विरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : क्या यह कहना ठीक नहीं है कि आर्थिक नीतियों के कारण साधारण व्यक्ति बेईमान, भ्रष्ट तथा अदक्ष हो गया है। भारत की आधे से अधिक जनसंख्या का जीवन स्तर निर्वाह स्तर से भी कम है। यदि अभी भी साधारण व्यक्ति कुछ अच्छा दिखाई देता है तो उसका कारण यह है कि इसने कदाचारों में दक्षता प्राप्त कर ली है।

जब तक हम साफ प्रशासन का प्रबन्ध नहीं करते तब तक व्यक्ति के स्तर में कोई सुधार नहीं हो सकता। सर्वप्रथम प्रशासन को साफ किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि व्यक्ति गत स्वतंत्रता की भावना में कमी आ गई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को धक्का पहुंचाये बिना हम अपने उद्देश्य प्राप्त करें।

अब प्रश्न केवल यह है कि गरीबी को कितने समय में हटाया जायेगा ? योजना मन्त्री के अनुसार छटी योजना के अन्त तक गरीबी खत्म हो जायेगा। परन्तु मेरे विचार में हम लोगों को न्यूनतम आवश्यकता का सामान अगले 150 वर्षों में भी नहीं दे सकेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी गलत नीतियों से कुछ सीखना नहीं चाहती बल्कि उनको छिपाने के लिए नये-नये ढंग निकाल रही है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि गरीबी हटाने के लिये हमें विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में वैज्ञानिकों को आत्महत्या करने पर बाध्य होना पड़ता है। जो लोग निर्वाह स्तर से भी कम में गुजारा करते हैं उनपर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 50,000 बच्चे पैदा होते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1995 में देश की जनसंख्या 100 करोड़ होगी। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें आगामी वर्षों में किस हद तक गरीबी का सामना करना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमारा कार्य तथा जिम्मेदारी बहुत अधिक है।

हमें आर्थिक नीतियां इस प्रकार से निर्धारित करनी चाहिये कि देश से कम से कम समय में गरीबी दूर की जा सके। सरकार की इस समय की नीतियों और योजनाओं के अनुसार प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है परन्तु इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो 1980 के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 400 लाख हो जायेगी।

देश की आर्थिक प्रगति का आधार त्वारित औद्योगिकीकरण होता है। इसके लिये आवश्यक है कि लोगों को कृषि की ओर आकृषित किया जाये। अर्थशास्त्रियों का मत है कि देश की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक भाग को जीविका के लिये कृषि पर निर्भर नहीं रहना

चाहिये। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विकास दर में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये। यदि विकास दर में तेजी के साथ वृद्धि न की गई तो रोजगार के अधिक अवसर नहीं पैदा होंगे और जनता गरीब ही रहेगी। प्रधान मन्त्री की आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप 1969-70 वर्ष में देश में औद्योगिक विकास की दर 7 प्रतिशत तक पहुंच गई परन्तु उद्योगों को जितने भी प्रोत्साहन दिये जा रहे थे वह वापस ले लिये जाने के परिणाम-स्वरूप पिछले 2 वर्षों में इस गति को फिर धक्का लगा है। इस प्रकार की आर्थिक नीति के साथ औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि नहीं हो सकती। सरकार को औद्योगिक समस्याओं कर रियायतें देनी चाहिये जिससे कि औद्योगिक विकास दर बढ़ सके और गरीबी को देश में और फैलने से रोका जा सके।

ब्रिटेन की सरकार ने हाल में उद्योगों को कुछ आर्थिक रियायतें दी है। इसी प्रकार की आर्थिक रियायतें पश्चिम जर्मनी, जापान और अमरीका में भी दी गई हैं।

हमारे देश में विश्व भर में सबसे अधिक कर लगते हैं। वांचू समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि व्यक्तिगत आयकर की दर को घटा कर 75 प्रतिशत किया जाये।

हमारे देश के कृषकों ने बहुत प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। परन्तु इसका लाभ कृषक को क्या मिल रहा है ? उसके लिये सरकार कभी कृषि आयकर की बात करती है तो कभी जोत की सीमा निर्धारित करने की बात की जाती है। सरकार को इस प्रकार की बातों के परिणाम भी सोचने चाहिये। नीति कुछ भी बनाई जाये, कृषि उत्पादन में कमी नहीं आने देनी चाहिये। सरकार का ऐसा प्रयास होना चाहिये कि किसान की आर्थिक हालत में स्थिरता आये जिससे कि वह आर्थिक विकास में सहयोग देने के योग्य हो सके। चालू बजट में उर्वरकों, बिजली चालित पम्पों, स्नेहकों और ट्रैक्टर के मूल्यों पर जो कर लगाये गये हैं वह इस प्रकार के दृष्टिकोण में विरोधी हैं। इससे किसान के पास उत्पादन बढाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा।

सरकार की आर्थिक नीतियों के चार लक्ष्य हैं, अर्थात विकास, स्थिरता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता। पिछले 21 वर्षों में विकास दर बहुत ही कम रही हैं अतः जो भी विकास हुआ है वह जनसंख्या में वृद्धि के साथ फिर से समरूप हो गया सरकार कहती तो हैं कि देश में मूल्य स्थिर होने चाहियें, परन्तु सरकार के कार्य इस प्रकार के हैं कि वह ऐसा कर कर नहीं पायेगी। सरकार यदि इस बारे में गम्भीर है तो उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये तत्काल कार्यवाही करे। सामाजिक न्याय स्थापित करने की दृष्टि से सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिये बड़े-बड़े ग्रामिण निर्माण कार्य प्रारम्भ करने चाहिए जिससे कि ग्रामीण लोगों से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम देश से गरीबी मिटा सकें। देश की सभी आर्थिक समस्याओं का मूल हल यह है कि हम बचतों की दर को किस सीमा तक बढ़ा पाते हैं। यदि पिछले तीन वर्षों की तरह यह कम होती गई तो विकासोन्मुख अवस्था नहीं आ सकती। अतः बचत दर में कम से कम 18-20 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये।

प्रधान मन्त्री तीन वर्षों में देश से गरीबी का अन्मूलन करने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। परन्तु हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोक तन्त्र में रह रहे हैं न कि एकछत्र राज्य में। प्रगतिशील कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास संगठनात्मक और प्रशासकीय ढांचे की कमी है। प्रधान मन्त्री के अपने दल को भी यह स्पष्ट किया है। इस समय सारे देश में अनिर्णय, अकर्मण्यता का वातावरण व्याप्त है और यह वातावरण आज के नेताओं के लिये कार्यवाही करने और नेतृत्व प्रदान करने के लिये चुनौती है।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : वित्त मन्त्रालय में वित्त विधेयक तैयार करते समय देश की विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है। भारत में परिवार का मुखिया ही कमाने वाला सदस्य होता है और सारा परिवार उस पर निर्भर करता है, परन्तु अन्य उन्नत देशों में वयस्कता हासिल कर लेने पर परिवार के अन्य सदस्य भी कमाना प्रारम्भ कर देते हैं। दूसरे, भारत जीविका कमाने के अवसर भी बहुत सीमित हैं। हमारे देश में जीवन के 30 से 35 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने और रोजगार की तलाश में व्यतीत हो जाते हैं और उसके पश्चात् व्यक्ति जब कमाना आरम्भ करता है तो उसे अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में दुर्भाग्य से 'वृद्धावस्था पेंशन' के रूप में कोई व्यवस्था नहीं दी जाती।

सेवा निवृत होने पर सरकारी अधिकारियों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उनकी पेन्शन नियत करने में बहुत सा समय लग जाता है और यदि उनके परिवार में कमाने वाला कोई अन्य सदस्य न हो तो यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है इसलिये भी उपरोक्त व्यवस्था जीवन काल में करनी पड़ती है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे देश में कर-भार की मात्रा अन्य सब देशों की अपेक्षा सर्वाधिक है, 20,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को आस्ट्रेलिया में 2500 रुपये इंगलैंड में 3,250 रुपये और भारत में 4200 रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं। हमारे देश में आयकर की अधिकतम सीमा 97·75 प्रतिशत तक है।

कराधान के अपवंचन पर कर की दरों का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। हमें वास्तविकता से आंख मूंदनी नहीं चाहिये। अतएव यह आवश्यक है कि करों में छूट की सीमा बढ़ाई जाये। 1939 में छूट सीमा 2,000 रुपये थी और जबकि आज मूल्यों में दस गुना वृद्धि हुई है तो यह छूट सीमा 20,000 रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि यह सीमा हर स्थिति में 15,000 रुपये होनी चाहिये, इससे लोगों के पास पर्याप्त आय बच रहेगी। इस प्रकार आयकर अधिकारी भी उन बड़े कर दाताओं पर भलि-भांति निगरानी कर सकेंगे जो 15,000 रुपये कर के रूप में देते हैं।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि आयकर की दरें इस प्रकार होनी चाहिये जिससे लोगों को धन अर्जित करने के लिये प्रोत्साहन मिल सके। हमारे देश में कर की दरें बहुत ऊंची होने के कारण काले धन को बचाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कर का ढ़ाचा इस प्रकार होना चाहिये जिससे अधिक राशि पर कम कर लगे और कम राशि पर अधिक। इसका प्रभाव यह होगा कि अधिक आय पर कम कर लगने से लोग अपनी वास्तविक आय को बतायेंगे।

कोई भी व्यक्ति काले धन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। अतएव इस सम्बन्ध में नीति परिवर्तन की आवश्यकता है। उनको कहा जाये कि यदि वे तीन वर्ष की अवधि में अपना काला धन पूंजीकृत बैंकों में जमा करें अथवा उद्योगों में लगायें तो उनको ऐसे धन के स्त्रोतों के बारे में कुछ नहीं पूछा जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि वे अपना धन उद्योगों में लगायेंगे तथा बैंकों में जमा करेंगे। अन्य देशों में भी यही तरीका अपनाया गया था और काफी सफल भी रहा, मैं जानता हूँ कि संसद में व्यावहारिक पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। नारे लगाने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने रोजगार के लिये 75 करोड़ रुपया बजट में रखा था परन्तु केवल 3 करोड़ रुपयों का ही उपयोग किया गया है। यही स्थिति शिक्षा, सड़क निर्माण आदि मदों की है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में करोड़ों रुपया लगाया गया है। परन्तु इनका संचालन करने लिये किस प्रकार के लोग भेजे जाते हैं ? कर दाताओं की पसीने की कमाई इन उपक्रमों में लगाई जाती है परन्तु इनमें कोई व्यक्ति भी दिलचस्पी नहीं लेता। हमारे लिये यह देखना आवश्यक है कि इन उपक्रमों में लगाये जाने वाले संसाधनों से हमें लाभ मिले। इन उपक्रमों में निरंतर घाटा होना हमारे लिये ठीक नहीं है। इनका संचालन उन व्यक्तियों के हाथ नें देना चाहिये जो इनको चलाना जानते हैं। भारतीय सिविल सेवा अथवा प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त व्यक्ति भलि-भांति इनका संचालन नहीं कर सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक सरकारी उपक्रमों में 50 प्रतिशत निदेशक गैर सरकारी व्यक्ति होने चाहिये। मैं शिपिंग कारपोरेशन तथा अन्य उपक्रमों के उदाहरण दे सकता हूँ। जहां निदेशक गैर-सरकारी व्यक्यिों में से लिये गये हैं और वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। अतएव मेरा सुझाव यह है कि संसाधन जुटाने से पूर्व सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि इनका समुचित रूप से उपयोग किया जायेगा और कर-दाताओं से लिया गया धन व्यर्थ नहीं जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : वित्त विधेयक को निरपेक्ष रूप से देखने से पता चलता है कि इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। वित्त विधेयक को देखने से कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला क्या सरकार, पूर्ण राजनीतिक स्थिरता और विजय प्राप्त करने के उपरान्त जनता का जो मनोबल उठा है, उसका लाभ उठा सकी है ? दूसरा क्या इस विधेयक से योजना आयोग का अल्प कालीन उद्देश्य पूरा होता है ? तीसरा, क्या इससे दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा होता है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में होगा। वित्त मन्त्री महोदय जनता की आकांशाओं को पूरा नहीं कर सके हैं और उन्होंने सभी आशाओं को झुठला दिया है। वे अभी भी पुरानी नीतियों पर चल रहे हैं।

आय कर और संपत्ति कर का संयुक्त रूप से भार अन्य देशों की तुलना में यहाँ बहुत अधिक है। सरकार द्वारा कड़े नियम बनाने के बावजूद भी लोग करापंवचन तथा अन्य तरीकों से अमीर बनते जा रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक कमियों तथा इससे सम्बन्धित शिकायतों को

दूर करने हेतु लोक आयुक्त और लोकपाल नियुक्त करने की सिफारिश की थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

वित्त मन्त्री महोदय ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया है कि प्रत्यक्ष करों से निर्धनों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार के बजट का उदाहरण लेना चाहिये जहां कि करों में कमी करके विकास दर में वृद्धि की गई है और रोजगार के अवसर उपलब्ध किये हैं। हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है। सामाजिक न्याय की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाये।

वांचू समिति की सिफारशों का मैं समर्थन करता हूं। उसमें कहा गया है कि करापंवचन को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके साथ ही उसमें कहा गया है कि आय कर की अधिकतम सीमांत दर घटा कर 75 प्रतिशत तक कर देनी चाहिए, परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि छूट की सीमा कम से 15,000 रुपये तक कर देनी चाहिये। वांचू समिति की सभी सिफारिशों की उपेक्षा की गई है।

भारत वस्तुतः निर्धन देश नहीं है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, श्रम-शक्ति कुशलता, आदि उपलब्ध हैं परन्तु गलत वित्तीय नीतियों के कारण देश को निर्धन बनाया गया है।

यह कहा गया है कि यदि 25,000 रुपये वार्षिक आय से अधिक आय वाले व्यक्तियों की आय समूचे देश में बराबर वितरित की जाये तो प्रति व्यक्ति आय में चालीस पैसे की वृद्धि होगी। सामाजिक न्याय को बराबरी के नारे के साथ भ्रमित न कीजिये। सामाजिक न्याय में विभेदक का भी स्थान होता है। विभेदकों के बिना आर्थिक विकास होना संभव नहीं है। बजट का भाग एक सही है जबकि भाग दो उसका विरोधी है।

242 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रसंग में अप्रत्यक्ष कर लगाकर निर्धन व्यक्तियों का गला घोटा गया है। इससे मूल्यों में वृद्धि हुई है।

औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। आज चीनी 3 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम से बिक रही है। चीनी के बड़े व्यापारियों से साँठ-गाँठ करके चीनी का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है। मछली, मांस तथा अण्डों के मूल्यों में भी 10·4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। सभी वस्तुओं का मूल्य सूचकांक बढ़कर 1971 में 192 तक पहुंच गया है।

खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम हर प्रकार के एकाधिकार के के विरोधी हैं। जब भी राज्यों द्वारा निश्चित राशि से अधिक राशि निकाले जाने का प्रश्न उठता है तब राज्य-केन्द्र के सम्बन्धों पर चर्चा छिड़ जाती है। मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन का समर्थन करता हूँ, जिसमें केन्द्र-राज्य संबंधों को नया रूप देने का प्रयत्न किया गया है। राज्यों को और अधिक अधिकार दिये जाने का में समर्थन करता हूँ। राजनीतिक कारणों से हुई गैर-कांग्रेसी सरकारों को केन्द्र ने कई मामलों में मदद नहीं दी है।

केन्द्रीकृत योजना से उड़ीसा को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। वहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत कम है। यह अन्तर बढ़ रहा है। यदि केन्द्र के

पक्षपातपूर्ण रवैये के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अतएव मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सरकार यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : कुछ वर्ष पूर्व तक विश्व बैंक विकासशील देशों में विकास का स्थान महत्वपूर्ण मानता था। परन्तु अनुभव ने यह बताया है कि बड़ी मात्रा में धन नियोजित करके तथा विकास को प्राथमिकता देने के बावजूद तनाव पैदा हुये हैं और सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हुई है। अब विश्व बैंक ने अचानक यह कहना शुरू कर दिया है कि विकास का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सामाजिक न्याय का है। उसका कथन है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति से ही हम अन्य लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतएव हमारे नीति-निर्धारकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पूंजी निवेश, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विकास, अधिक उत्पादन आदि इतने महत्वपूर्ण नहीं है अपितु सामाजिक न्याय की प्राप्ति से ही इनकी प्राप्ति स्वयंमेय हो जायेगी यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। दो वर्ष पहले प्रधान मन्त्री ने देश को प्रगति और न्याय की दिशा में ले जाने के लिये सराहनीय योजना बनाई थी। भारत अथवा किसी अन्य विकासशील देश के लिये इस दिशा में कदम बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। देश में रोजगार अवसर उत्पन्न करना तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में न्यायसंगत रूप से अधिक से अधिक पूंजी लगाना तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने किन किन सिद्धान्त का जाने-अनजाने त्याग दिया है जिसके अनुसार कुछ धनी व्यक्ति ही अधिक धन बचाकर पूंजी निवेश कर सकते हैं और शेष जनता की बचत करने का कोई अवसार नहीं दिया जाता। यह सिद्धान्त असमानता में ही विश्वास रखता है। वित्त मन्त्री के भाषण तथा मन्त्रालय के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है अब सरकार को इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं रहा।

जहां तक भूमि की अधिकतक सीमा का सम्बन्ध है, मैं शुद्ध वैज्ञानिक आधारों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि भूमि की सीमा निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उत्पादन में कमी होगी तथा बड़े-बड़े टैक्टर बेकार हो जायँगे। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि भूमि की अधिकतम सीमा 5 एकड़ निर्धारित की जाये तो उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। मेरे विचार से 5 एकड़ कुछ कम हो सकती है अतः इसे कुछ बढ़ाया जा सकता है।

मेरा यह भी विचार है कि हमने कृषि औद्योगिकी को अमरीका या रूस से नहीं अपनाया वरन् जापान और ताइवान जैसे देशों से अपनाया है। अतः भारत जैसे देश में भूमि की सीमा निर्धारित करना अत्यन्त उचित तथा लाभप्रद है उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। मैं भारतीय किसानों को खाद्यान्न में आत्म निर्भरता लाने के लिये बधाई देता हूं।

भूमि के वितरण के बारे में मतभेद हो सकता है। किन्तु मेरा मत यह है कि यदि देश में लाखों भूमिहीन किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को थोड़ी थोड़ी भूमि मिल जाये तथा साथ ही उनको खाद और बीज आदि की पर्याप्त उपलब्धि होती रहे तो देश में कृषि उत्पादन में कई गुनी वृद्धि होगी। मेरा यह भी सुझाव है कि भूमि की अधिकतम सीमा को भूत लक्षी प्रभाव से

लागू किया जाना चाहिये। मैं प्रो० वी० से० आर० वी० राव के इस मत से भी सहमत हूँ कि भूमि प्रकृति की देन है उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता।

फिल्म निर्माता होने के कारण कुलक चाहते हैं कि मैं भूमि की अधिकतम सीमा पर अपने विचार व्यक्त न करूं। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्रालय की सराहना करता हूं कि उसने फिल्मी दुनियां के लोगों के काले धन को निकालने के लिये छापे मारे हैं। मैं बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता रहा हूँ कि आज फिल्म उद्योग कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो नवयुवकों को भ्रष्ट करना चाहता है तथा जिनका उद्देश्य केवल धन जुटाना है। फिल्म उद्योग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिनके द्वारा जनता का नैतिक उत्थान किया जा सकता है तथा उनके समक्ष आदर्श जीवन का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि रेलवे तथा प्रसारण विभाग की भांति इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। सरकार इस उद्योग को अपने हाथ में लें तथा उनका उपयोग जनता के लाभ के लिये करें। फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण से सरकार को फिल्म निर्माताओं को कोई मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा।

भूमि सुधार का मूल्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि भूमि उसी व्यक्ति की हो जो वास्तव में उसमें काश्त करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करके महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। नगरीय सम्पति तथा कृषि भूमि की सीमाएं निर्धारित करने के उद्देश्यों में अन्तर है। कृषि भूमि की सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है जबकि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य यह है कि बड़े व्यापार गृहों को अधिक से अधिक व्यापारिक इमारतें बनाए जाने से रोका जा सके तथा उनके काले धन का पता लगाया जा सके। यदि सरकार इस कार्य में सफल नहीं होती तो भूमि सुधार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

मैं डा० राव के इस सुझाव से सहमत हूँ कि सभी नगरीय भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाये तथा उनके पश्चात आवास की समस्या को सुलझाने के लिये उसका उचित अनुपात में वितरण किया जाये।

काले धन के कारण देश की अर्थ व्यवस्था खराब होती जा रही है। मूल्यों में वृद्धि हो रही है तथा सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं कि विमुद्रीकरण किया जाये जिससे देश में छिपा काला धन निकल सके। काले धन की समस्या का हल केवल इसी प्रकार किया सकता है। एक निश्चित तिथि तक सरकारी योजनाओं में पूंजी लगाने पर इस बात की खोज नहीं की जानी चाहिये कि वह धन कहाँ से आया किन्तु साथ ही सरकार को विमुद्रीकरण की घोषणा भी करनी चाहिये। इस प्रकार सरकार द्वारा उ क राशि में रेगिस्तान को समाप्त करने जैसी लाभकारी कदम उठाये जा सकते। राजस्थान का दो-तिहाई भाग रेगिस्तान है जिसकी भारी उपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भारत सरकार रेगिस्तान उन्मूलन के लिए एक स्वायत्त शासी प्राधिकार नियुक्त करे जिसका नाम भारतीय रेगिस्तान उन्मूलन प्राधिकरण रखा जा सकता है।

राजस्थान के साथ किये गये भेद भाव का वहाँ के विकास कार्यों के लिये किये गये नियतन से पता लग सकता है। चौथी योजना में पुरानी योजनाओं के लिये इस्पात और हैवी इन्जीनियरिग तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कुल 9·41 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में कुल नियत राशि 774.47 करोड़ रुपये है। किन्तु इस मन्त्रालय के अन्तर्गत नई योजनाओं के लिये राजस्थान के लिए एक पैसा भी नियत नहीं किया गया जबकि कुल नियत राशि 560 61 करोड़ रुपये है। देश में खान और धातु विभाग के अन्तर्गत पुरानी योजनाओं के लिये कुल खर्च 297.53 करोड़ रुपये हैं जबकि राजस्थान को केवल 78·70 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं, आदि।

इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान की भारी उपेक्षा की जाती है। भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थापित किये जाने वाले नये तेल शोधक कारखाने को सवाई माधोपुर में स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि विशेज्ञों के अनुसार यह स्थान अधिक उपयुक्त है तथा वहाँ कपडला से लाए जाने वाले तेल का शोधन किया जा सकता है। यह स्थान पत्तन के निकट होगा। हम चूंकि शांति प्रिय हैं तथा पिछड़े हुए हैं तो इसका आशय यह नहीं कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाये। अतः मेरा सुझाव है कि इस कारखाने की स्थापना आवश्यक रूप से राजस्थान में होनी चाहिये।

श्री सुबोध हंसदा (मिदानपुर) : महोदय समाजवाद और आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है किन्तु मेरे विचार से हम इन लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक प्रशासन पद्धति में सुधार न किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी अपने ही दृष्टिकोण से कार्य करते हैं तथा किसी के समक्ष उत्तरदायी नहीं हैं। कोई सरकार आये, कोई सरकार जाए किन्तु ये अधिकारी उसी प्रकार अपनी मनमानी करते हैं। अतः इन अधिकारियों को जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये।

जहाँ तक मिट्टी के तेल पर कर में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है इसकी सदन में आलोचना हुई है। मेरे विचार से ग्रामीण जनता पर इस वृद्धि का अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसी से सभी ओर से यह मांग की जा रही है कि मिट्टी के तेल से कर को हटाया जाये। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

लोहा और इस्पात पर लगाये गये शुल्क को भी ग्रामीण लोग अच्छा नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण लोगों के लिये भवन-निर्माण में काम आने वाले लोहा और इस्पात में कुछ रियायतें दी जानी चाहिये।

यदि हमें उद्योगपतियों को पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है तो उन्हें लोहा और इस्पात के मूल्यों में रियायतें देनी चाहिये।

बंगला देश के स्वतंन्त्र होने के पश्चात् पूर्वी क्षेत्र में तस्करी बहुत बढ़ गई है। वहाँ पर चोरी-छिपे ले जाये गये भारतीय सामान को 4–5 गुना मूल्यों पर बेचा जाता है। इससे नये देश के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें हमारे प्रति गलत धारणा उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार की तस्करी रोकने के लिये सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर निगरानी चौकियाँ स्थापित करनी चाहिये।

कृषि मूल्य आयोग ने देश में कृषि उत्पादों के लिये सहायक मूल्यों की सिफारिश की है। बड़े कृषकों के दबाव के कारण गेहू के मूल्य में वृद्धि की गई है परन्तु पश्चिम बंगाल में पटसन के मूल्य धीरे-धीरे गिरते जा रहे हैं। जब तक पटसन के मूल्यों में वृद्धि नहीं की जाती तब तक पटसन उत्पादक धान की खेती नहीं करेंगे। मन्त्री महोदय को पटसन के मूल्यों को बढ़ाना चाहिये ताकि पटसन के उत्पादन क्षेत्र में कमी न हो।

देश में डाक्टरों की कमी है तथा कई चिकित्सा केन्द्र डाक्टरों के वगैर कार्य कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सभी गैर-सरकार चिकित्सा कालेजों का राष्ट्रीयकरण किया जाय या देश में लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक चिकित्सा संस्थाएं खोली जाये। पश्चिम बंगाल में और अधिक चिकित्सा संस्थायें खोली जानी चाहिये क्योंकि वहां पर चिकित्सा—शिक्षा की भारी कमी है।

मेरे जिले की जनसंख्या 60 लाख है। संलग्न जिलों को मिला कर जनसंख्या एक करोड़ हो जाती है। वहाँ पर एक चिकित्सा कालेज एवं एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के कारखानों में भारी हानि हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में बिजली की भारी कमी है। कई कारखाने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है।

धान की खेती में नये उपायों को आरम्भ करने से पश्चिम बंगाल में कृषि क्रान्ति लाई जा रही है। वहाँ पर पानी की कमी है। इन परिस्थियों में सुधार के लिये पश्चिम बंगाल को अधिक अनुदान दिये जायें।

सेना और पुलिस में भर्ती के लिये जन-जातियों के लोगों को पर्वतीय लोगों के समान अवसर मिलने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं वित्त विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूँ वित्त विधेयक में यथार्थवाद और सामाजिक न्याय का समिश्रण है। जिन्हें 1971 के संसदीय चुनावों में और इस वर्ष राज्य विधान सभाओं के चुनावों के समय हमने अपने कार्यक्रम में स्वीकृत किया था।

मार्कसवादियों एवं जनसंघ के सदस्यों ने कहा है कि 'गरीबी हटाओ' मत प्राप्त करने के लिये एक नारा मात्र था। वित्त विधेयक और बजट की समूची योजना पर उचित महत्व के साथ विचार किया जाना चाहिये। कांग्रेस पार्टी गैर-सरकारी सम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त करने के लिये वचनबध नहीं है।

हमारा संविधान लोकतान्त्रिक समाजवाद पर आधारित है। इसमें निहित है कि देश की अर्थ—व्यवस्था को इस प्रकार चलाया जाये कि धन का केन्द्रीयकरण कुछ ही लोगों के हाथ में न हो। प्रस्तुत बजट पर दृष्टि डालने ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके द्वारा गरीबी हटाने के लिये दिये गये वचनों को पूरा करने का यत्न कया गया है।

पिछले वर्ष लाखों विस्थापितों के आगमन से इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। परन्तु जनता की देश भक्ति, से मूल्यों को स्थिर बनाये रखा। अगस्त 1970 में

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया था। अब अधिकांश राज्यों ने भूमि की उच्चतम सीमा सम्बन्धी निर्देश दे दिये हैं। आमदनी के अन्तरों को कम करने के लिए भूमि की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है।

अमरीका और आस्ट्रेलिया में भूमि की अधिकता के कारण सीमा की आवश्यकता नहीं है। रूस में साझी खेती के कारण उसकी जरूरत नहीं। हमारे देश में बेरोजगार भूमिहीनों के लिए कुछ एकड़ भूमि की व्यवस्था करना आवश्यक है। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति निश्चय ही राज्य विधान सभाओं का मार्गदर्शन कर सकती है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, धार्मिक वृत्तिदानों आदि पर रियायतें देने के पक्ष में कई छूटें देने की मांगे की गई हैं। ऐसी छूटें उदारता से नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से लाखों किसान और श्रमिक लाभ से वंचित हो जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र में लिये गये उद्योगों का किन्हीं कारणों से हम समुचित प्रबन्ध नहीं कर पाए। इसलिए अभी सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये।

आज आप कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बचत को बैंक में जमा कर देता है तो उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने श्रम की कमाई को भूमि पर लगा दे तो उसे अधिग्रहण करने की बात की जाती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था की जाती है उसे उन योजनाओं पर व्यय नहीं किया जाता। इससे काला धन पैदा होता है। जब तक केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित नहीं करती कि जिस उद्देश्य के लिये धन की व्यवस्था की जाती है उसे उसी उद्देश्य पर व्यय किया जाए, तब तक काले धन की समाप्ति नहीं होगी तथा गरीबी हटाने के हमारे समस्त प्रयास विफल हो जायेंगे।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : No body says that there should be no ceiling on land holdings or on property. But the real difficulty is that such measures are not implemented properly. The present ceiling is the fourth one and it has become necessery because of the non-implementation of the previous ceilings.

Land, service; cinema or Business are meant for earning, one's livelihood. Has it been cunsidered as to what should be the income of a family ?

The average of land ceiling does not matter much. What matter is the income accruing form land it must be decided as to what should be the ceiling on income.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 16 मई, 1972/26 वैशाख, 1894 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The lok sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, May 16, 1972/Vaisakha 26, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works. MODINAGAR.